



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276185
CG-DL-E-15092026-276185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड3—उप-खण्ड(i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितंबर 3, 2026/ भाद्र 12, 1948

No. 709]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/ BHADRA 12, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2026

सा.का.नि.777(अ).— केंद्रीय सरकार, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 5 की उपधारा (3), धारा 78 की उपधारा (1) के खंड (ग) और उपधारा (2), धारा 113 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ड) और खंड (ढ) तथा धारा 319 की उपधारा (2) के खंड (च) और (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती एवं नियोजन) नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय I

सामान्य प्रावधान

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और नियोजन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ — (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “अधिनियम” से वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24 अभिप्रेत है);

(ख) “शाखा कार्यालय” से कारबार के मुख्य स्थान के अधीन भर्ती और नियोजन सेवा का कार्यालय अभिप्रेत है;

(ग) “सामूहिक सौदेबाजी करार” से अभिप्रेत है, —

(i) समय-समय पर नाविकों के संघ और पोत मालिकों के संघ के बीच हस्ताक्षरित करार जिसमें भारतीय ध्वज वाले जलयानों पर नाविकों के लिए समुद्री करार के अनुसार नियोजन की शर्तों और नियमों का उल्लेख हो; या

(ii) विदेशी ध्वज वाले जलयानों पर नियोजन के लिए संबंधित नाविकों के संघ और पोत मालिकों या नियोक्ताओं या उनकी ओर से अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा या उनके एसोसिएशनों के बीच हस्ताक्षरित करार, जो कानूनों के अनुरूप हो और संबंधित ध्वज देश को स्वीकार्य हो।

स्पष्टीकरण- इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, “विधियों के अनुरूप और संबंधित ध्वज देश को स्वीकार्य” पद से अभिप्रेत है कि जब ऐसे सामूहिक सौदेबाजी करार का नाविक नियोजन करार में उल्लेख किया गया हो, और जिसे पोत स्वामी द्वारा समुद्री श्रम अनुपालन घोषणा के भाग II के साथ ध्वज देश को समुद्री श्रम प्रमाण पत्र का समर्थन करने और उसके बाद उसे जारी करने के लिए प्रस्तुत किया गया हो;

(घ) “नियोक्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पोत के संबंध में नाविक को नियुक्त करने की जिम्मेदारी लेता है और जो पोत स्वामी के सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए सहमत हो गया है;

(ङ) “प्ररूप” से इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(च) “निरीक्षण प्राधिकारी” से कोई भी ऐसा व्यक्ति या मान्यता प्राप्त संगठन अभिप्रेत है, जिसे महानिदेशक द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया हो;

(छ) “जारीकर्ता प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है;

(ज) “न्यायालयीन जारीकर्ता प्राधिकारी” से वह निदेशक अभिप्रेत है जिसका भर्ती और नियोजन सेवा के कारबार के मुख्य स्थान का न्यायाधिकार अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है;

(झ) “अनुज्ञप्ति” से इन नियमों के अधीन भर्ती और नियोजन सेवा को जारी की गयी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(ञ) “अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा” या “अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती एवं स्थानन सेवा” से कोई भी भर्ती और नियोजन सेवा अभिप्रेत है जिसके पास इन नियमों के अंतर्गत प्रदान किया गया वैध अनुज्ञप्ति है;

(ट) “समुद्री श्रम करार” से 23 फरवरी, 2006 को जिनेवा में हस्ताक्षरित समुद्री श्रम करार अभिप्रेत है;

- (ठ) "समुद्री श्रम अनुपालन बोर्ड" से नियम 5 के अन्तर्गत गठित बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ड) "जलदस्युता" से जलदस्युता निरोधक अधिनियम, 2022 (2023 का 3) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में परिभाषित जलदस्युता अभिप्रेत है;
- (ढ) "कारबार का प्रमुख स्थान" से मुख्यतः वह स्थान अभिप्रेत है जहां से भर्ती और नियोजन किया जाता है तथा जहां निरीक्षण किया जाएगा;
- (ण) "भर्ती और नियोजन सेवा" अथवा "आरपीएस" से अधिनियम की धारा 55 के खंड (ख) में परिभाषित भर्ती और नियोजन सेवा अभिप्रेत है;
- (त) "पंजीकृत कार्यालय" से भर्ती और नियोजन सेवा का पंजीकृत कार्यालय अभिप्रेत है, जैसा निगमन, पंजीकरण या सरकारी- द्वारा जारी किसी अन्य पंजीकरण या अनुज्ञप्ति के दस्तावेज़ में दर्ज है, जो ऐसे व्यक्ति, कंपनी, संस्था, अभिकरण या अन्य संगठन, जैसा भी लागू हो के पते को प्रमाणित करता है;
- (थ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
- (द) "पोत के स्वामी" से अधिनियम की धारा 55 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित के अनुसार पोत का स्वामी अभिप्रेत है;
- (ध) "शीर्ष प्रबंधन" से भर्ती और नियोजन सेवा में प्रबंधन के सबसे ऊँचे स्तर पर मौजूद व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है, जिसके पास इसके प्रचालन कार्यों को निदेश देने और नियन्त्रित करने तथा इसके उद्देश्यों और कानूनी दायित्वों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी होती है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. लागू होना – ये नियम इन पर लागू होंगे –

- (क) अनुज्ञप्ति-प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा के ज़रिए भर्ती किए गए भारतीय नाविक, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो; और
- (ख) भर्ती और नियोजन सेवा।

अध्याय II

जारीकर्ता प्राधिकारी और समुद्री श्रम अनुपालन बोर्ड

4. भर्ती और नियोजन सेवाओं की गतिविधियों से संबंधित शिकायत —

- (1) किसी नाविक द्वारा भर्ती और नियोजन सेवाओं की गतिविधियों से संबंधित शिकायत जारी करने वाले प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जा सकती है और जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
- (2) जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा भारतीय जलयानों के अतिरिक्त अन्य जलयानों के लिए भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा नियुक्त नाविक की शिकायतों या समस्याओं की जांच की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी, परन्तु यह कि ऐसी शिकायतें या समस्याएं उस घटना जिसके कारण ऐसी शिकायत या समस्या उत्पन्न हुई हो, की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

5. समुद्री श्रम अनुपालन बोर्ड — (1) अधिनियम के भाग 5 का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ एक समुद्री श्रम अनुपालन बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: -

- (क) महानिदेशक, अध्यक्ष, पदेन।
- (ख) अपर महानिदेशक, सह-अध्यक्ष, पदेन;
- (ग) समुद्री सलाहकार, पदेन, सह-अध्यक्ष;
- (घ) मुख्य सर्वेक्षक, पदेन, सह-अध्यक्ष;
- (ङ) मुख्य पोत सर्वेक्षक, पदेन;
- (च) वाणिज्यिक समुद्री विभागों के सभी प्रमुख अधिकारी और प्रभारी सर्वेक्षक, पदेन;
- (छ) उप महानिदेशक (चालक दल), पदेन, सदस्य सचिव
- (ज) सभी नौवहन कार्यालयों के शिपिंग मास्टर, निदेशक और नाविक कल्याण अधिकारी, पदेन;
- (झ) नाविक कल्याण निधि सोसाइटी का प्रतिनिधि;
- (ञ) समुद्रकर्मि भविष्य निधि संगठन का प्रतिनिधि;
- (ट) पर्यवेक्षक के रूप में, पोत स्वामी संगठनों के तीन प्रतिनिधि; और
- (ठ) पर्यवेक्षक के रूप में, नाविकों के संगठनों के तीन प्रतिनिधि।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के कार्यों से संबंधित विशेषज्ञ सलाह या जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति, जैसे निरीक्षण प्राधिकरणों, नाविक कल्याण निकायों और उद्योग एसोसिएशनों को आमंत्रित कर सकते हैं।

(3) समुद्री श्रम अनुपालन बोर्ड-

- (क) जलयानों तथा भर्ती एवं नियोजन सेवाओं के संबंध में समुद्री श्रम करार के अनुपालन की अपेक्षाओं की समीक्षा करेगा;
- (ख) भर्ती और नियोजन सेवाओं के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदनों पर सलाह देगा;
- (ग) महानिदेशक द्वारा भेजे गए ऐसे अन्य मामलों पर सलाह देगा।

अध्याय III

भर्ती और नियोजन सेवा के लिए अनुज्ञप्ति

6. नाविकों की भर्ती और नियोजन — कोई भी व्यक्ति, सिवाय भारतीय पोत के स्वामी के अपने पोत के संबंध में, भर्ती और नियोजन सेवा का काम तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसके पास इन नियमों के अधीन जारी की गयी वैध अनुज्ञप्ति न हो।

7. अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया — (1) सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, कंपनी, संस्था, अभिकरण या अन्य संगठन जो अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, वह अनुसूची 1 में निर्दिष्ट फीस के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में

प्ररूप-I में जारीकर्ता प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेगा, अर्थात्: -

(क) प्ररूप-II और प्ररूप-III में घोषणाएं;

(ख) प्ररूप-IV में एक करार;

(ग) आवेदक के एकल सम्पर्क बिंदु का ब्यौरा; और

(घ) नियम 8 के उप-नियम (3) की तालिका में बताई गई रकम के लिए किसी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन मिलने पर, जारीकर्ता अधिकारी आवेदन की जांच करेगा और आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इन नियमों के पालन के बारे में स्वयं का समाधान करेगा।

(3) जारीकर्ता प्राधिकारी अनुसूची-IV तथा महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट अन्य मानदंडों के अनुसार निरीक्षण के प्रयोजन हेतु आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में निरीक्षण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन निरीक्षण करने के बाद, निरीक्षण करने वाला अधिकारी, जारी करने वाले अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर जारी करने वाले अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) निरीक्षण रिपोर्ट मिलने पर, यदि जारीकर्ता अधिकारी समाधान है, तो वह उप-नियम (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन को मंजूर करने देने या अस्वीकार करने की सिफारिश महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा।

(6) भर्ती एवं नियोजन सेवा का शीर्ष प्रबंधन महानिदेशक से पत्र प्राप्त होने पर, अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट ब्यौरे को शामिल करते हुए समुद्री श्रम अनुपालन बोर्ड को प्रस्तुति देगा।

(7) समुद्री श्रम अनुपालन बोर्ड जारीकर्ता प्राधिकारी को लिखित रूप में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

(8) जारीकर्ता प्राधिकारी, महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, प्ररूप -v में इलेक्ट्रॉनिक रूप में भर्ती और नियोजन सेवा के लिए अनुज्ञप्ति जारी करेगा या आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

(9) जहाँ उप-नियम (8) के अन्तर्गत कोई अनुज्ञप्ति जारी की जाती है, वहाँ जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा भर्ती और नियोजन सेवा को लॉगिन क्रेडेंशियल उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा।

(10) इस नियम के अन्तर्गत किसी अस्वीकृति की स्थिति में, आवेदन की अस्वीकृति के कारणों को आवेदक को सूचित किया जाएगा।

8. बैंक गारंटी — (1) प्रत्येक भर्ती और नियोजन सेवा संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले जारीकर्ता प्राधिकारी को उप-नियम (3) की तालिका में निर्दिष्ट रकम की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा और उसे बनाए रखेगा। यह गारंटी भारत के किसी अनुसूचित बैंक में संबंधित जारी करने वाले प्राधिकारी के नाम आहरित की जाएगी, ताकि इन नियमों के अधीन आने वाली बाध्यताओं का पालन हो सके और ऐसी भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा भर्ती या नियोजन किए गए नाविकों के हितों की सुरक्षा हो सके।

(2) उप-नियम (3) में सारणी में विनिर्दिष्ट बैंक गारंटी रकम इन नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन करने वाली सभी भर्ती और नियोजन सेवाओं पर लागू होगी।

(3) सभी मौजूदा अनुज्ञप्ति धारक भर्ती और नियोजन सेवा, इन नियमों के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष के अंदर नीचे दी गई तालिका में यथा निर्दिष्ट अंतर की रकम की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह कि यह उप नियम मौजूदा अनुज्ञप्ति धारक भर्ती और नियोजन सेवा पर लागू नहीं होगा जो अपनी भर्ती क्षमता को बढ़ाना चाहती हैं।

तालिका

क्रम संख्या	विदेशी ध्वज वाले जलयानों और भारतीय ध्वज वाले जलयानों पर नियोजन के लिए प्रस्तावित नाविकों की संख्या	भारतीय रुपये में बैंक गारंटी की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	50 तक	25 लाख
2.	250 तक	40 लाख
3.	550 तक	55 लाख
4.	750 तक	70 लाख
5.	1000 तक	85 लाख
6.	1000 से अधिक	1 करोड़

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजन से, "मौजूदा अनुज्ञप्ति-प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा" से ऐसी भर्ती और नियोजन सेवा अभिप्रेत है जिसके पास वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और नियोजन) नियम, 2016 के अधीन जारी वैध अनुज्ञप्ति हो।

(4) बैंक गारंटी, भर्ती और नियोजन की संख्या के अनुपात में होगी।

(5) बैंक गारंटी, अनुज्ञप्ति की अवधि के लिए या संबंधित भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा भर्ती किए गए सभी नाविकों के संविदा नियोजन के पूरा होने की तारीख तक, जो भी बाद में हो, वैध रहेगी, चाहे अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द ही क्यों न कर दी गयी हो।

(6) उप-नियम (1) के अधीन बैंक गारंटी निम्नलिखित परिस्थितियों को कवर करने के लिए प्रस्तुत की जाएगी, जिनमें जारीकर्ता अधिकारी बैंक गारंटी को भुना सकता है, अर्थात्: -

(क) किसी परित्यक्त या फंसे हुए नाविक या ऐसे नाविक जिसे हिरासत में लिया गया हो या गिरफ्तार किया गया हो नाविक की लागत, जिसमें उचित और शीघ्र साधन, सामान्यतः हवाई मार्ग द्वारा ऐसी यात्रा की लागत, और भोजन, कपड़े, पीने के पानी की आपूर्ति, पोत पर जीवित रहने के लिए आवश्यक ईंधन, पोत छोड़ने के समय से लेकर नाविक के घर पहुंचने तक नाविकों के आवास, आवश्यक चिकित्सा देखभाल, व्यक्तिगत सामान के परिवहन, उसकी मृत्यु की स्थिति में नाविक के पार्थिव शरीर का परिवहन और परित्याग से उत्पन्न कृत्य या चूक से नाविक के घर पहुंचने तक आने वाली कोई अन्य उचित लागत या प्रभार शामिल है;

(ख) नियोजन से उत्पन्न या इसकी प्रक्रिया के दौरान परिव्यक्त नाविक को हिरासत में लिए जाने या गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में, और महानिदेशक के विवेक से, ऐसे नाविक का पक्ष रखने के लिए ज़रूरी कानूनी खर्च और फीस, जिसमें रहने की जगह, टेलीफोन सेवाएँ, और खाने-पीने व कपड़ों का खर्च शामिल है;

(ग) मौद्रिक हानि, जिसमें पोत के स्वामी से नाविक को मिलने वाले बकाया वेतन और अन्य हक शामिल हैं, जो किसी भर्ती और नियोजन सेवा की असफलता या संबंधित पोत स्वामी द्वारा नाविक के नियोजन करार या संबंधित सामूहिक सौदेबाजी करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफलता के परिणामस्वरूप नाविक को हो सकती है:

परन्तु यह कि किसी भी धन की हानि के लिए बैंक गारंटी को नाविक द्वारा जारीकर्ता प्राधिकारी को किए गए ऐसे दावे के आधार पर, जिसके पहले नाविक को शिकायत की निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा, अर्थात्:-

(i) ध्वज देश की पोत पर अनुपालन प्रक्रिया के अनुसार शिकायत करना; और

(ii) यथा संभव शीघ्र, भर्ती और नियोजन सेवा को धन की हानि की विस्तृत जानकारी देना।

(7) जहाँ अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा भर्तियों और नियोजन की संख्या बढ़ाने, अपनी बैंक गारंटी बढ़ाना चाहती है, तो अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा, महानिदेशक द्वारा यथा निर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन के साथ अपेक्षित बैंक गारंटी देगी।

(8) प्रारंभ में अनुज्ञप्ति जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर उप-नियम (7) के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

(9) उप-नियम (7) के अधीन आवेदन करने वाली कोई भी अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा यह सुनिश्चित करेगी कि-

(क) इसने प्रचालन निष्पादन प्रदर्शन किया है, और इसके विरुद्ध कोई शिकायत या मुद्दा लंबित नहीं है; और

(ख) जहाँ तक व्यावहारिक हो, इस आवेदन के साथ अनुज्ञप्ति-प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा की वार्षिक लेखा-परीक्षा संलग्न किया जाए, ताकि निरीक्षण प्राधिकारी इसकी पुष्टि कर सके:

परन्तु यह कि अपवादस्वरूप मामलों में, नियमित वार्षिक लेखा-परीक्षा चक्र के बाहर आवेदन पर भी जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारण दर्ज करके विचार किया जा सकता है।

(10) जारीकर्ता प्राधिकारी अनुसूची-V के अनुसार निरीक्षण के प्रयोजनार्थ आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में निरीक्षण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(11) उप-नियम (10) के अंतर्गत निरीक्षण करने के बाद, निरीक्षण प्राधिकारी उप-नियम (10) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर जारीकर्ता प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(12) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि जारीकर्ता अधिकारी संतुष्ट होता है, तो वह बैंक गारंटी बढ़ाने के लिए महानिदेशक को सिफारिश करेगा।

(13) उपनियम (12) में सिफारिश प्राप्त होने पर महानिदेशक उक्त वृद्धि को सक्षम करेगा।

9. अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की प्रक्रिया — (1) नवीकरण के लिए आवेदन, वर्तमान अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से पूर्व अनुसूची-I में यथा निर्दिष्ट संदेय फीस के साथ प्ररूप-VI में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, जारीकर्ता प्राधिकारी आवेदन की जांच करेगा तथा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर इन नियमों के अनुपालन के बारे में अपना समाधान करेगा।

(4) जारीकर्ता प्राधिकारी अनुसूची-IV तथा महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट अन्य मानदंडों के अनुसार निरीक्षण के प्रयोजन हेतु आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में निरीक्षण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन जांच करने के बाद, जांच करने वाला अधिकारी, जारी करने वाले अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर जारी करने वाले अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जारीकर्ता अधिकारी, यदि अपना समाधान कर लेता है, तो उप-नियम (5) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर भर्ती और नियोजन सेवा की अनुज्ञप्ति का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप-VI में नवीकरण करेगा या आवेदन को अस्वीकार कर देगा:

परन्तु यह कि आवेदन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, आवेदन अस्वीकार करने के कारणों की जानकारी आवेदक को दी जाएगी:

परन्तु यह भी कि अस्वीकृति का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि भर्ती और नियोजन सेवा को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

(7) जहां कोई व्यक्ति वैध अनुज्ञप्ति के बिना भर्ती और नियोजन सेवा का कारबार जारी रखता है, जिसमें अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद की अवधि और उसे मंजूर करने या उसके नवीकरण से पहले की अवधि भी शामिल है, तो ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 281 की उपधारा (3) के अधीन दंड का दायी होगा।

10. अनुज्ञप्ति की वैधता — (1) इन नियमों के अन्तर्गत जारी अथवा नवीकृत अनुज्ञप्ति, वार्षिक निरीक्षणों के अध्यधीन, पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए वैध होगा।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत जारी अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगा।

11. अनुज्ञप्ति को निलंबित करना या वापिस लेना - (1) निरीक्षण प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या संबंधित नाविक से शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा, यदि क्षेत्राधिकार प्राप्त जारीकर्ता प्राधिकारी का यह मानने का कारण है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा की गतिविधियां अधिनियम के उपबंधों या इन नियमों का उल्लंघन है या नाविक के हित के विरुद्ध है, तो वह प्ररूप-VII में अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें उसे ऐसे नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर यह कारण बताना होगा कि क्यों न अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया जाए या वापस ले लिया जाए।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात तथा उप-नियम (3) के अन्तर्गत आदेश जारी करने से पूर्व, जारीकर्ता प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा को किसी और नाविक की भर्ती करने या उसका नियोजन करने से रोक सकता है, जिसकी सूचना महानिदेशक को दी जाएगी।

(3) क्षेत्राधिकार प्राप्त जारीकर्ता प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति के निलंबन या उसकी वापसी के आदेश सहित एक आदेश जारी करेगा, जिसकी सूचना क्षेत्राधिकार प्राप्त प्रधान अधिकारी और महानिदेशक को दी जाएगी।

(4) अनुज्ञप्ति रद्द करने या निलंबित करने का प्रत्येक आदेश लिखित में और कारण बताते हुए दिया जाएगा और महानिदेशक द्वारा शासकीय वेबसाइट पर प्रकाशित करवाया जाएगा:

परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति निलंबित करने या रद्द करने का कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि भर्ती और नियोजन सेवा को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।

(5) जहां इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द किया जाता है, वहां भर्ती और नियोजन सेवा और उसका शीर्ष प्रबंधन पर अधिनियम के अधीन कोई भी अनुज्ञप्ति या मंजूरी के लिए आवेदन करने या उसे प्राप्त करने से पांच वर्ष की अवधि की रोक लगा दी जाएगी।

12. अनुज्ञप्ति का स्वेच्छा से अभ्यर्पण करना — (1) कोई भी अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा जो अनुज्ञप्ति को वापस करना चाहती है, वह जारीकर्ता प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन कर सकती है।

(2) जहाँ उप-नियम (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो जारीकर्ता प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों का समाधान करने के अध्यक्षीन अनुज्ञप्ति रद्द कर देगा, अर्थात: -

(क) किसी भी पोत स्वामी की ओर से भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा कोई नाविक नियुक्त नहीं किया जाता है;

(ख) भर्ती एवं नियोजन सेवाओं की गतिविधियों से संबंधित कोई शिकायत लंबित नहीं है;

(ग) किसी नाविक की कोई शिकायत या मुद्दा लंबित नहीं है;

(घ) नाविकों की कल्याण फीस, कल्याण निधि अंशदान के संबंध में और नाविकों के प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा संदेय कोई बकाया रकम नहीं है; और

(ङ) नाविकों का कोई बकाया वेतन या कोई अन्य प्रतिकर नहीं है।

(च) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य शर्त।

(3) यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कोई भी शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो जारीकर्ता प्राधिकारी बैंक गारंटी को भुना सकेगा।

13. बैंक गारंटी जारी करना या वापस करना — (1) जब नियम 12 के उप-नियम (2) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है या जारी की गयी अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाती है, तो जिस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी, वह बैंक गारंटी छुड़वाने या उसे वापस पाने के लिए प्ररूप-VIII में अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(2) जारीकर्ता प्राधिकारी, नियम 12 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के समाधान के अध्यक्षीन बैंक गारंटी निर्मुक्त करेगा या वापस करेगा-

(क) उपनियम (1) में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात, यदि किसी नाविक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है; या

(ख) नाविक का प्रत्यार्पण होने या प्रतिकर तय होने के बाद, ऐसे मामलों में जहाँ किसी नाविक को परिव्यक्त कर दिया गया हो या बंदी बना लिया गया हो या हिरासत में लिया गया हो या कारावास में डाला गया हो या उससे होने वाले प्रतिकर के लिए कोई दावा लंबित हो।

अध्याय IV

निरीक्षण

14. निरीक्षण — (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा, ऐसे अनुज्ञप्ति जारी होने का एक वर्ष पूरा होने की तारीख से दी माह पूर्व या उसके एक महीने के भीतर वार्षिक निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन प्रस्तुत करेगी।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, “एक वर्ष पूरा होने की तारीख” का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष का वह दिन और महीना अभिप्रेत है, जिस दिन भर्ती और नियोजन सेवा की अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त हो जाती है।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, जारीकर्ता प्राधिकारी आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदन की जांच करेगा।

(3) जारीकर्ता प्राधिकारी, अनुसूची IV और महानिदेशक द्वारा यथा निर्दिष्ट अन्य मानदंडों के अनुसार अधिनियम और इन नियमों का संतत पालन सत्यापित करने के प्रयोजन से, आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन निरीक्षण करने के बाद, निरीक्षण करने वाला प्राधिकारी, जारी करने वाले प्राधिकारी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जारीकर्ता प्राधिकारी वार्षिक निरीक्षण को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज करेगा।

(6) महानिदेशक अनुज्ञप्ति जारी होने या नवीनीकरण की तारीख से तीसरा वार्षिक निरीक्षण करवाएगा।

(7) महानिदेशक या जारीकर्ता प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे, तो यह निदेश दे सकता है कि निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन, जैसा महानिदेशक या जारीकर्ता प्राधिकारी निर्दिष्ट करें, के लिए विशेष निरीक्षण किया जाए।

15. पुलिस या विधि प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारियों की सहायता लेना — (1) इन नियमों के अधीन निरीक्षण को आसान बनाने के लिए, यदि परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित हों, तो महानिदेशक या कोई अधिकृत अधिकारी पुलिस या अधिकार क्षेत्र वाले अन्य विधि प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं।

(2) प्रत्येक भर्ती और नियोजन सेवा, निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी को प्रत्येक उचित सहायता और सहयोग देगी और इन नियमों के अधीन कार्यों के विधि सम्मत निर्वहन में कोई बाधा या रुकावट नहीं डालेगी।

16. बिना अनुज्ञप्ति के भर्ती और नियोजन सेवा — (1) जहां महानिदेशक को इस आशय की सूचना प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था, अभिकरण या अन्य संगठन इन नियमों के अधीन वैध अनुज्ञप्ति के बिना कोई भर्ती या नियोजन सेवा संचालित कर रहा है या संचालित करने का दावा कर रहा है, तो महानिदेशक या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी ऐसी सूचना की जांच कर सकेगा।

(2) जहां, ऐसी परीक्षा जांच करने पर, महानिदेशक को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति इन नियमों के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना काम कर रहा है, तो महानिदेशक निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्: -

- (क) ऐसी गतिविधि को बंद करने के लिए निदेश जारी करना;
- (ख) नाविकों तथा अन्य प्राधिकारियों की जानकारी के लिए सूचना का प्रसार करना;
- (ग) उचित विधि प्रवर्तन प्राधिकारी या अभिकरण को मामले की रिपोर्ट करना; और
- (घ) कोई भी अन्य कार्रवाई करना जो जनहित में आवश्यक हो।

अध्याय 5

अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा के कर्तव्य

17. शीर्ष प्रबंधनमें परिवर्तन — (1) कोई भी अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा, जो अपने शीर्ष प्रबंधन में कोई परिवर्तन करना चाहती है, उसे जारीकर्ता प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, जारीकर्ता अधिकारी, महानिदेशक द्वारा यथा निर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन, आवेदन को मंजूर करेगा या उसे अस्वीकार कर देगा।

(3) अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उप-नियम (2) के अधीन अस्वीकृति का कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन प्रदत्त जारी करने वाले अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना शीर्ष प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

18. करार या संविदा में परिवर्तन की सूचना — जहां पोत स्वामी या नियोक्ता और अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा के बीच करार या संविदा में कोई भी परिवर्तन किया जाता है, जो अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा, ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर जारीकर्ता प्राधिकारी को इस बारे में सूचित करेगी और नियम 8 के उप-नियम (3) के अधीन सारणी में निर्दिष्ट अपेक्षित बैंक गारंटी और अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट लागू फीस के साथ संशोधित करार या संविदा की एक प्रति प्रस्तुत करेगी।

19. कारबार के स्थान में परिवर्तन की सूचना — (1) अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवाद्वारा अपने कारबार के स्थान में कोई भी परिवर्तन करने की स्थिति में, जारीकर्ता प्राधिकारी को अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ, ऐसे परिवर्तन का ब्यौरा देते हुए, सात दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचित करेगी।

(2) जारीकर्ता प्राधिकारी के सत्यापन तथा समाधान के अध्यक्षीन, कारबार का अद्यतन स्थान इन नियमों के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति में दर्शाया जाएगा।

20. अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा के नाम में परिवर्तन की सूचना - (1) अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा, अपने नाम में परिवर्तन की स्थिति में, ऐसे परिवर्तन के सात दिनों के भीतर ऐसे परिवर्तन की विस्तृत जानकारी देते हुए अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट सभी सहायक दस्तावेजों तथा फीस के साथ जारीकर्ता प्राधिकारी को सूचना देगी।

(2) जारीकर्ता प्राधिकारी के सत्यापन तथा समाधान के अध्यक्षीन, अद्यतन नाम इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति में दर्शाया जाएगा।

अध्याय 6

अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा की ज़िम्मेदारियाँ

21. अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा की ज़िम्मेदारियाँ — प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा को—

(क) अपने ज़रिए भर्ती किए गए या नियोजित किए गए सभी नाविकों का अद्यतन अभिलेख रखना होगा, जो यथा अपेक्षा निरीक्षण करने वाले अधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका प्रबंधन और स्टाफ़, —

(i) पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है, तथा इस संदर्भ में उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों की सीमा तक समुद्री उद्योग का सुसंगत ज्ञान है;

(ii) उसके शीर्ष प्रबंधन में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति हो, जिसके पास इन नियमों के प्रयोजन के लिए, 'नाविकों के लिए यथा संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय नाविक प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक समझौता, 1978' के अधीन प्रबंधन-स्तर का पहले वैध प्रमाण-पत्र रहा है या वर्तमान में जिसे रद्द या वापस नहीं लिया गया है, और जिसे महानिदेशक ने जारी किया है या मान्यता दी है या स्वीकार किया है:

परन्तु यह कि जहाँ अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा विशेष रूप से कूज़ सेक्टर के लिए नाविकों की भर्ती और नियोजन में लगी है, वहाँ 'सक्षमताप्रमाण-पत्र' के बदले प्रबंधन स्तर पर सुसंगत और सत्यापन योग्य उद्योग अनुभव को स्वीकार किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि, जहाँ अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा विशेष रूप से ड्रेजर, मछली पकड़ने वाले जलयानों, या किसी अन्य श्रेणी के जलयानों के लिए भर्ती और नियोजन में लगी है, वहाँ इस नियम के प्रयोजन से ऐसे जलयानों के लिए उपयुक्त समकक्ष ग्रेड या प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाएगा;

(iii) किसी भी समय एक से अधिक भर्ती और नियोजन सेवाओं में नियोजित नहीं होगी;

(iv) किसी भर्ती एवं नियोजन सेवा में प्रबंधन क्षमता में एक साथ काम करते हुए समुद्री सेवा में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होगी;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके माध्यम से भर्ती या नियुक्त किए गए नाविकों को उनके नियोजन करारों के अधीन उनकी नियुक्ति से पूर्व या इसकी प्रक्रिया के दौरान उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें पोत के स्वामी का नाम और जानकारी भी शामिल होगी, और यह कि उनके साथ करार पर हस्ताक्षर करने से पहले और उसके बाद ऐसे नाविकों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे अपने नाविक नियोजन करारों या संविदाओं की जांच-पड़ताल कर सकें और यह भी कि और उन्हें उन करारों या संविदाओं की प्रतियां भी दी गई हैं:

परन्तु कि जहां कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा, नाविक नियोजन करार या संविदा करते समय नाविक को पोत स्वामी का नाम और ब्यौरा प्रकट नहीं करती है, तो ऐसी भर्ती और नियोजन सेवा को अधिनियम की धाराओं 281 और 282 के अधीन अपराधों और शास्तियों के प्रयोजनों के लिए पोत स्वामी माना जाएगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि नाविक नियोजन करार या संविदा में, सभी मामलों में, प्ररूप-9 में उल्लिखित ब्यौरा शामिल होंगे और इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित होंगे।

(ङ) यह सुनिश्चित करेगी कि उनके माध्यम से भर्ती या नियुक्त किए गए नाविक योग्य हैं और उनके पास संबंधित नौकरियों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं; और नाविकों के रोज़गार करार या अनुबंधों, लागू 'ध्वज देश' (जिस देश का ध्वज जलयान पर लगा है), के विधियों और विनियमों और उनके नियोजन करारों का भाग बनने वाले किसी भी सामूहिक सौदेबाज़ी करार के अनुसार हैं;

(च) जहाँ तक व्यावहारिक हो, यह सुनिश्चित करेगी कि पोत के स्वामी के पास ऐसे नाविकों के पत्तन पर फँसने से बचाने के साधन हैं; और ऐसी स्थिति में, उनके प्रत्यावर्तन के लिए पर्याप्त उपबंध करेगी और साथ ही प्रत्यावर्तन से पहले रखरखाव और आवश्यक आपातकालीन चिकित्सा सहायता और मृत्यु की स्थिति में नाविक के पार्थिव शरीर के परिवहन की व्यवस्था करेगी;

(छ) यह सुनिश्चित करेगी कि पोत का स्वामी ने परिव्यक्त नाविकों का संप्रत्यावर्तन किया है और प्रत्यावर्तन पहले उनके रखरखाव और ज़रूरी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की है;

(ज) अपने कार्यकलापों से संबंधित किसी शिकायत की तत्परता एवं पर्याप्त रूप से जांच करना तथा उसका जवाब देना तथा निपटाई नहीं गई किसी भी शिकायत के बारे में महानिदेशक को सूचित करना;

(झ) यह सुनिश्चित करें कि नाविकों को उस नियोजन को पाने से रोकने या हतोत्साहित करने के लिए किसी भी साधन, तंत्र या सूचियों का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके लिए वे योग्य हैं;

(ञ) यह सुनिश्चित करें कि पोत का स्वामीने वीजा की लागत खर्च, पोत पर काम शुरू करने से पहले और काम खत्म होने के बाद मेडिकल जांच के प्रभार जहां भी जरूरी हो, नाविकों की कल्याण फीसकल्याण निधि में योगदान और नाविकों के संप्रत्यार्पण या प्राप्त की लागत वहन की है;

परन्तु यह कि चिकित्सा प्रमाण पत्र, निरंतर निर्वहन प्रमाण पत्र या पहचान दस्तावेज और पासपोर्ट या अन्य इसी तरह के व्यक्तिगत यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने की लागत नाविक या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहन की जा सकती है;

(ट) यह सुनिश्चित करेगा कि पोत पर हुई किसी भी घटना, जिससे किसी भारतीय नाविक को चोट (मामूली चोटों को छोड़कर), गुमशुदगी, मृत्यु, पोत पर हानि या हत्या होती है, की सूचना प्ररूप-10 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारीकर्ता प्राधिकारी या महानिदेशक द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सूचना प्राप्त होने के यथाशीघ्र अधिकतम चौबीस घंटे के भीतर दी गई है;

(ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी नाविक की मृत्यु, लापता होने या परित्याग की स्थिति में, नाविक कल्याण निधि सोसाइटी और नाविक भविष्य निधि संगठन, जैसी भी स्थिति हो, को किए जा सकने वाले उपलब्ध दावों के बारे में सूचना नाविक के परिवार को प्रदान की गई है;

(ड) नाविकों की चिकित्सा जांच, पहचान दस्तावेजों और ऐसी अन्य मदों, जो नाविकों को नियोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं को सत्यापित करने के लिए परिचालन पद्धतियों को विकसित करना और बनाए रखना;

(ढ) निजता के अधिकार का ध्यान रखते हुए और लागू विधि के अनुसार गोपनीयता का संरक्षण करने की आवश्यकता के अनुसार, नाविकों की भर्ती और नियोजन प्रणाली के अधीन आने वाले नाविकों का पूरा और संपूर्ण रिकार्ड रखना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा-

(i) नाविकों की अर्हताएं;

(ii) नियोजन का अभिलेख;

(iii) नियोजन से संबंधित व्यक्तिगत डेटा और निकटतम संबंधी से संबंधित डेटा और

(iv) नौकरी से जुड़ी चिकित्सा जानकारी;

(ण) उन जलयानों की अद्यतन सूची रखी गई है जिनके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा, नाविक उपलब्ध कराती हैं और यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में हर समय जलयानों से संपर्क करने के उचित साधन उपलब्ध है;

(त) यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष जलयानों या विशेष कंपनियों द्वारा नियोजन के प्रस्ताव के संबंध में उनके कर्मियों द्वारा नाविकों का शोषण नहीं किया जाता है;

(थ) पोत स्वामी और नाविक के बीच अग्रिमों या किसी अन्य वित्तीय लेन-देन के मुद्दे से उत्पन्न होने वाले नाविकों के शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं, जिनका अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा संचालन किया जाता है;

(द) यदि कोई लगातार हो, जिसे नाविक को भर्ती प्रक्रिया में बहन करना पड़े, तो उसे स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना;

(ध) यह सुनिश्चित करेगा कि नाविकों को उन नौकरियों के लिए लागू किसी भी शर्त विशेष के बारे में सूचित किया गया है जिनके लिए उन्हें नियुक्त किया जाना है और साथ ही उनके नियोजन से संबंधित पोत स्वामी विशेष की नीतियों के बारे में भी सूचित किया गया है;

(न) यह सुनिश्चित करेगा कि अक्षमता या अनुशासनहीनता के मामलों से निपटने के समय अपनाई जाने वाली पद्धतियां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, लागू विधि और प्रक्रिया और जहां भी लागू हो, सामूहिक सौदेबाजी करारों के अनुरूप हैं;

(प) यह सुनिश्चित करेगा कि नियोजन के लिए प्रस्तुत किए गए सभी अनिवार्य प्रमाण पत्र और दस्तावेज अद्यतन हैं और उन्हें धोखाधड़ी से प्राप्त नहीं किया गया है और नियोजन संदर्भों का सत्यापन किया गया है;

(फ) यदि जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र या दस्तावेज प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अनुज्ञप्ति-प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा को उस मामले की रिपोर्ट करनी होगी, और ऐसे धोखाधड़ी से हासिल किए गए प्रमाण-पत्र के बारे में महानिदेशक को रिपोर्ट करना होगा;

(ब) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी परिस्थितियों, जिनमें नाविकों का अपहरण हो जाता है, उन्हें परिव्यक्त कर दिया जाता है, या वे ऐसी ही संकटकालीन स्थितियों में आ जाते हैं, तो नाविकों या उनके परिवारों की जानकारी, सहायता या सलाह के लिए की जाएगी सभी अनुरोधों पर तुरंत, सहानुभूति के साथ और बिना किसी लागत के कार्रवाई की गई है;

(भ) सत्यापित करेगा कि जलयानों पर आवास सहित श्रम की दशाओं, जहाँ नाविकों को नियोजित किया गया है, लागू विधियों और सामूहिक सौदेबाजी करारों के अनुरूप हैं;

(म) यह सुनिश्चित करेगा कि पोत स्वामी ने निम्नलिखित की स्थिति में प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा बनाए रखी है-

(i) किसी नाविक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर, जब ऐसा नाविक, नाविक नियोजन करार के अधीन सेवा कर रहा हो; या

(ii) व्यवसाय से जुड़ी चोट, बीमारी या खतरे के कारण दीर्घकालिक विकलांगता होने पर, 'नाविक नियोजन करार' या लागू 'सामूहिक सौदेबाजी करार', जैसी भी स्थिति हो, में यथा उपबंधित हो।

(य) यह सुनिश्चित करेगा कि पोत का स्वामी खंड (म) में उल्लिखित प्रतिकर से जुड़े संविदा संबंधी दावों को प्राप्त करता है, उन पर कार्रवाई करता है और निष्पक्ष प्रक्रियाओं के माध्यम से तेज़ी से और नीचे निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उनका निपटारा करता है:

(i) खंड (म) के उपखंड (i) के अधीन मृत्यु के लिए प्रतिकर की स्थिति में प्रतिकर मृत्यु की तारीख से तीन महीने के भीतर दिया गया है;

(ii) खंड (म) के उपखंड (ii) के अधीन दीर्घकालिक विकलांगता के लिए प्रतिकर का भुगतान, जहां तक व्यावहारिक हो, घटना की तारीख से बारह महीने के भीतर किया जाएगा;

(यक) यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति की एक प्रति, अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा के परिसर में ऐसी जगह पर साफ़-साफ़ दिखने वाली जगह लगाई गई है जहाँ आम लोग उसे देख सकें;

(यख) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्ति की संख्या, जारी करने की तारीख तथा वैधता अवधि का उल्लेख उनके सभी प्रकाशित विज्ञापनों में किया गया है तथा अनुज्ञप्ति संख्या का उल्लेख उसके सभी पत्रों में किया गया है;

(यग) यह सुनिश्चित करेगा कि जहां नाविक का परित्याग कर दिया गया हो, इसकी सूचना जारीकर्ता प्राधिकारी या महानिदेशक द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सूचना प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी गई है;

(यघ) यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्री श्रम करार के अनुसार, भर्ती और नियोजन की प्रक्रियाओं में हिंसा और उत्पीड़न, जिसमें उत्पीड़न, डराना-धमकारना और यौन उत्पीड़न शामिल है, को रोकने और उनसे निपटने के उपाय किए गए हैं;

(यङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय पोत स्वामी वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविक कल्याण बोर्ड और फीस का उद्ग्रहण) नियम, 2026 के अनुसार ऐसे भारतीय पोत पर अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा नियोजित प्रत्येक नाविक के लिए नाविक कल्याण फीस और कल्याण निधि अंशदान का भुगतान करता है;

(यच) यह सुनिश्चित करेगा कि पोत स्वामी वाणिज्यिक पोत परिवहन (समुद्री श्रम) नियम, 2026 में निर्दिष्ट प्रत्यावर्तन से संबंधित पोत स्वामियों के दायित्वों का पालन करता है;

(यछ) यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय पोत के अतिरिक्त किसी अन्य पोत पर सवार भारतीय नाविक, जिन्हें तटीय जल क्षेत्र के बाहर किसी पत्तन या स्थान पर परिव्यक्त दिया गया है और जो स्वदेश प्रत्यावर्तन के हकदार हैं, उन्हें पोत स्वामी तथा प्राधिकारियों जैसा भी मामला हो, के साथ समन्वय करके, नियम 22 के अनुसार प्रत्यावर्तित किया गया है;

(यज) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संरचित शिपबोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों की इस प्रकार योजना बनाई जाए और निगरानी की जाए कि वे अंतर्राष्ट्रीय नाविक प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक पर करार, 1978, यथा संशोधित, और अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के द्वारा निर्दिष्ट क्षमता के लागू मानकों को पूरा कर सकें और नाविकों को क्षमता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें;

(यझ) यह सुनिश्चित करेगा कि जहां किसी नाविक को जलयानों पर सशस्त्र डकैती के परिणामस्वरूप पोत पर या पोत से बाहर बंदी बना लिया जाता है या हिरासत में लिया जाता है या कैद किया जाता है, वहां नाविक नियोजन करार, सुसंगत सामूहिक सौदेबाजी करार या इन नियमों के अधीन प्रत्यावर्तन सहित वेतन और अन्य अधिकार, जैसा भी लागू हो, किसी भी आवंटन के प्रेषण सहित, कैद की पूरी अवधि के दौरान और नाविक को रिहा करने और विधिवत प्रत्यावर्तित करने तक या जहां कैद में रहते हुए नाविक की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु की तारीख तक भुगतान किया जाता रहेगा;

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “जलयानों पर सशस्त्र लूट” से हिंसा या हिरासत का कोई अवैध कृत्य या लूटपाट का कोई कृत्य, या उसकी धमकी, जलदस्युता के कृत्य के अतिरिक्त, निजी उद्देश्यों के लिए किया गया और किसी पोत के विरुद्ध या ऐसे पोत पर सवार व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध, देश के आंतरिक जल क्षेत्र, द्वीपसमूह जल क्षेत्र और भू-भागीय जल क्षेत्र के भीतर, या ऐसे कृत्यों को उकसाने या उनमें जानबूझकर सहायता करने का कोई कृत्य।

(यञ) यह सुनिश्चित करेगा कि जिस नाविक के साथ नियोजन करार किया गया है, उसे उसी पोत पर भेजा जाए, यदि नाविक ऐसा करने के लिए तैयार और इच्छुक है और यथा निदेशित पोत पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय 7

नाविकों का प्रत्यावर्तन और कल्याण निधि में अंशदान

22. परिव्यक्त नाविकों का प्रत्यावर्तन - (1) यदि भारतीय पोत के अतिरिक्त किसी अन्य पोत का स्वामी तटीय जल क्षेत्र के बाहर किसी पत्तन या स्थान पर परिव्यक्त नाविकों के, जो प्रत्यावर्तन के हकदार हैं, प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करने या उसकी लागत वहन करने में असफल रहता है, तो-

(क) वित्तीय सुरक्षा प्रदाता संबंधित नाविक के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करेगा;

(ख) जिस सदस्य देश जिसका ध्वज पोत पर फहरता है, उसका सक्षम प्राधिकारी संबंधित नाविकों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करेगा; और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह देश जहाँ से नाविकों का प्रत्यावर्तन किया जाना है या वह देश जिसके वे नागरिक हैं, उनके प्रत्यावर्तन की व्यवस्था कर सकता है और उस सदस्य देश से लागत वसूल कर सकता है जिसके ध्वज तले पोत चल रहा है;

(ग) नाविकों के प्रत्यावर्तन में आने वाली लागत को उस सदस्य देश द्वारा पोत के स्वामी से वसूला जाएगा जिसका ध्वज पोत पर फहरता है;

(घ) उपनियम (2) में दिए गए उपबंध को छोड़कर, किसी भी स्थिति में प्रत्यावर्तन की लागत नाविकों पर प्रभारित नहीं होगी।

(2) पोत का स्वामी ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं करेगा जिसमें नाविकों को नियोजन की शुरुआत में ही प्रत्यावर्तन की लागत के लिए अग्रिम भुगतान करना पड़े, और न ही वह नाविकों की मजदूरी या अन्य हकदारियों से प्रत्यावर्तन की लागत वसूलेगा, सिवाय उस स्थिति के जब लागू सामूहिक सौदेबाजी करारों के अनुसार नाविक को अपनी नियोजन से जुड़ी बाध्यताओं का गंभीर उल्लंघन करने वाला पाया गया हो।

23. नाविकों के प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए फीस - (1) प्रत्येक नाविक की नियुक्ति के संबंध में, नाविकों के प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए पचास रुपए की दर से या ऐसी अन्य दर से, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर नाविकों के प्रत्यावर्तन के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे, फीस उद्गृहीत और संगृहीत की जाएगी।

(2) भारतीय जलयानों के अतिरिक्त सभी जलयानों के संबंध में, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट फीस अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा संदेय होगी, जहां नाविक को पोत स्वामी द्वारा उनके स्वामित्व वाले पोत के लिए नियुक्त किया जाता है।

(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित फीस में महानिदेशक द्वारा संशोधन के अध्वधीन होगी।

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट संशोधन, प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जा सकेगा:

परन्तु कि इस प्रकार संशोधित रकम उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) फीस का भुगतान सरकारी खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा किया जाएगा।

(6) उप-नियम (1) के अधीन संगृहीत फीस से नाविकों के प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए उपगत किसी भी व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (4), धारा 91 तथा धारा 92 के अनुसार संबंधित पोत स्वामी या अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा से वसूल किया जाएगा।

परन्तु कि इस प्रकार वसूली योग्य रकम, अधिनियम के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही आरंभ होने की तिथि को उप-नियम (1) के अधीन ऐसे पोत स्वामी या अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा पहले ही नाविकों के प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए भुगतान की गई फीस में से कटौती करने के पश्चात् प्राप्त की जाएगी।

(7) उप-नियम (1) के अधीन नाविकों के प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए संगृहीत फीस की रकम तथा उप-नियम (6) के अंतर्गत वसूले गए व्यय, भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे।

(8) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट फीसों और व्ययों के संग्रहण की लागत, वार्षिक रूप से अवधारित करेगी और सकल संग्रहण में से ऐसी लागत की कटौती के पश्चात् निवल आय नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को प्रेषित की जाएगी।

(9) उप-नियम (1) के अधीन नाविकों के प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए उद्गृहीत फीस तथा उप-नियम (6) के अधीन वसूले गए तथा नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को प्रेषित व्यय का उपयोग, महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के अध्वधीन, केवल परित्यक्त नाविकों के प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के प्रयोजन के लिए अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(10) नाविक कल्याण निधि सोसाइटी अपने खातों में ऐसी सभी प्राप्तियों का लेखा-जोखा रखेगी और इस नियम के अधीन प्राप्त रकम के लिए अलग से अभिलेख रखेगी।

24. भारतीय जलयानों के अतिरिक्त अन्य जलयानों के लिए कल्याण निधि में अंशदान – (1) भारतीय जलयानों के अतिरिक्त सभी जलयानों के संबंध में, ऐसे पोत पर कार्यरत प्रशिक्षुओं के अतिरिक्त सभी नाविकों के लिए, कल्याण निधि अंशदान, नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को संदेय होगा।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत अंशदान अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा द्वारा किया जाएगा।

(3) ऐसा अंशदान छह सौ रुपए प्रति नाविक, प्रति माह की दर से या ऐसी अन्य दर से देय होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अंशदान, नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को तिमाही आधार पर इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा, पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम दिन से पंद्रह दिनों के भीतर प्रेषित किया जाएगा।

(5) उप-नियम (3) में उल्लिखित कल्याण निधि अंशदान रकम, महानिदेशक द्वारा संशोधन के अध्यक्षीन होगी।

(6) उप-नियम (5) में निर्दिष्ट संशोधन, प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जा सकेगा:

परंतु यह कि इस प्रकार संशोधित रकम, उपनियम (3) में निर्दिष्ट अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(7) नाविक कल्याण निधि सोसायटी प्ररूप-11में प्राप्त प्रत्येक भुगतान के लिए एक रसीद जारी करेगी।

अध्याय 8

विविध

25. फीस — इन नियमों के अधीन उदग्रहीत की जाने वाली फीस वही होगी जो अनुसूची I में निर्दिष्ट की गई है, या यह कोई अन्य फीस होगी जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

26. शास्तियां— इन नियमों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन अथवा इनकी किसी अपेक्षा का अनुपालन न करने पर अधिनियम में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित की जा सकता है।

27. अपील - (1) इन नियमों के अन्तर्गत जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर प्रधान अधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) प्रधान अधिकारी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, अपील के तीस दिन के भीतर आदेश पारित कर सकेगा।

(3) इस नियम के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ उस आदेश की प्रति संलग्न की जाएगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

अनुसूची I

(नियम 7 (1), 9 (1), 18, 21 और 25 देखें)

फीस

क्र.संख्या	व्यौरा	भारतीय रुपयों में रकम
1.	नए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन	300,000 (निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की फीस के अतिरिक्त महानिदेशक को संदेय)
2.	नवीनीकरण के लिए आवेदन: क) जब नवीनीकरण के लिए आवेदन चालू अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीन से छह महीने पहले प्रस्तुत किया जाता है। ख) जब नवीनीकरण के लिए आवेदन, मौजूदा अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से तीन महीने पहले से लेकर अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख तक कभी भी प्रस्तुत किया जाता है।	क) 100,000 (निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की फीस के अतिरिक्त महानिदेशक को संदेय) ख) 150,000 (निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की फीस के अतिरिक्त महानिदेशक को संदेय)
3.	प्रारंभिक निरीक्षण	40,000 (निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की फीस के अतिरिक्त महानिदेशक को संदेय)
4.	वार्षिक निरीक्षण	40,000 (निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की फीस के अतिरिक्त महानिदेशक को संदेय)
5.	नवीनीकरण निरीक्षण	40,000 (निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की फीस के अतिरिक्त महानिदेशक को संदेय)
6.	कारबार की जगह बदलने के लिए आवेदन	100,000 (निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की फीस के अतिरिक्त महानिदेशक को संदेय)
7.	भर्ती और नियोजन सेवा का नाम बदलने के लिए आवेदन।	100,000

अनुसूची 2

[नियम 2 (1) (ज) देखें]

राज्यवार जारीकर्ता का अधिकार क्षेत्र

कार्यालय का नाम	निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) शामिल करते हुए अधिकार क्षेत्र:
नौवहन कार्यालय, मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव, चंडीगढ़
नौवहन कार्यालय, चेन्नई	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप
नौवहन कार्यालय, कोलकाता	सभी पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और अंदमान और निकोबार द्वीप

अनुसूची 3

[नियम 7 (6) देखें]

समुद्री श्रम अनुपालन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति की सामग्री

क. प्रस्तुति में ये बातें अवश्य शामिल होनी चाहिए, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होगी:

1. कंपनी प्रोफाइल और प्रमोटर की जानकारी

(क) कॉर्पोरेट संरचना, मालिकाना हक की जानकारी, संबद्धता (अगर कोई हो)

(ख) प्रमोटरों और मुख्य अधिकारियों की पृष्ठभूमि

2. कारबार योजना और भर्ती का विज्ञान

(क) विज्ञान, मिशन और कारबार के लक्ष्य

(ख) प्रस्तावित नाविकों की संख्या और खण्ड (अधिकारी, रेटिंग, कैडेट)

(ग) संचालन कार्यनीति और ग्राहक आधार

3. प्रचालन संबंधी अवसरचना और स्टाफिंग

(क) कार्यालय अवसरचना, संगठनात्मक चार्ट

(ख) तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ की अर्हता

(ग) कर्मिदल प्रबंधन प्रणाली और शिकायत निवारण के तरीके

4. विधिक और विनियामक तैयारी

(क) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और नियोजन) नियम, 2026 और समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 की जानकारी

(ख) संविदा पर हस्ताक्षर करने, नियोजन, चिकित्सा, बीमा के लिए आंतरिक प्रक्रियाएं

(ग) नमूना एसओपीएस और संविदा के टेम्प्लेट

5. भर्ती के नैतिक मानक

(क) धोखाधड़ी रोकने के उपाय, जागरूकता तंत्र

(ख) दलालों या अवैध एजेंटों के लिए कोई स्थान नहीं

(ग) सभी चरणों में नाविकों के साथ पारदर्शिता

(घ) कंपनी या उसके निदेशकों के विरुद्ध किसी भी आपराधिक कार्रवाई की जानकारी देना।

6. नाविक कल्याण और जोखिम प्रशमन

(क) स्वास्थ्य सुरक्षा, आपातकालीन परिस्थिति, प्रत्यावर्तन की प्रक्रियाएं

(ख) सलाह, हेल्पलाइन, अनुकूलन सहायता

7. सीएसआर और इंडस्ट्री में अंशदान (वैकल्पिक)

(क) शिक्षा, जागरूकता या समुद्री कल्याण के लिए पहल

ख. प्रस्तुति को निर्धारित बैठक से कम से कम 3 कार्यदिवस पहले महा निदेशक कू ब्रांच की नामित ईमेल आईडी पर .ppt या .pptx फॉर्मेट में प्रस्तुत करना होगा।

ग. शीर्ष प्रबंधन के अनुपस्थित होने या प्रस्तुति के दौरान प्रस्तुत न करने पर अनुमोदन आस्थगित हो जाएगा।

अनुसूची 4

[नियम 7(3), 4(9), 13(3) देखें]

निरीक्षण जांच सूची

भर्ती और नियोजन सेवाओं के निरीक्षण के लिए जांच सूची (नई/वार्षिक/नवीनीकरण/विशेष निरीक्षण)

1. भर्ती और नियोजन सेवा का संपर्क ब्यौरा।

भर्ती और नियुक्ति सेवा का नाम सीआईएन के साथ (यदि लागू हो)	
आरपीएस अनुज्ञप्ति संख्या	

जारी करने की तारीख (डीओआई)	
समाप्ति की तारीख (डीओआई)	
काम पर रखे गए नाविकों की संख्या (जो अभी पोत पर हैं)	
(1) पंजीकृत कार्यालय का पता (आपीएस के पेन/टिनके साथ) (2) मुख्य कारबार स्थल का पता (प्रचालन कार्यालय) यदि यह पंजीकृत कार्यालय से भिन्न है (3) शाखा कार्यालयों का पता, यदि कोई हो	
प्रत्येक कार्यालय की संपर्क जानकारी टेलीफ़ोन (लैंडलाइन): फ़ैक्स (यदि हो तो) ई-मेल (कार्यालयी ई-मेल डोमेन के साथ): वेबसाइट: (कंपनी/प्रधान की वेबसाइट भी स्वीकार की जाएगी)	
निरीक्षण की तारीख	
निरीक्षण की अवस्थिति (अवस्थितियां)	
शीर्ष प्रबंधन की जानकारी, डीआईएनके साथ, जहाँ लागू हो (जैसा कि भर्ती एवं स्थानन सेवाने प्ररूप III में घोषित किया है)	
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की जानकारी डीआईएनके साथ, जहाँ लागू हो	
आरपीएस के शीर्ष प्रबंधन के किसी भी व्यक्ति द्वारा घोषणा यदि कोई हो: क्या वह वर्तमान में किसी अन्य भर्ती एवं स्थानन सेवा/ समुद्री प्रशिक्षण संस्थान / समुद्री से जुड़ी कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं; जानकारी के लिए, क्या वे वर्तमान में किसी अन्य भर्ती एवं स्थानन सेवा/ समुद्री प्रशिक्षण संस्थान / समुद्री से जुड़ी कंपनी में शीर्ष प्रबंधन पद पर हैं।	अगर शीर्ष प्रबंधन का कोई व्यक्ति जो अभी किसी दूसरे भर्ती एवं स्थानन सेवाया समुद्री प्रशिक्षण संस्थान में हिस्सेदार है या शीर्ष प्रबंधन के पद पर है, तो उसकी जानकारी यदि कोई हो, दें। (केवल अभिलेख प्रयोजन के लिए)

क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की भर्ती एवं स्थानन सेवा कार्यकलाप करने के लिए कोई लिखित प्रणाली है?	
टिप्पण : लिखित प्रणाली डीओसी/डीडीओसीएसएमएस का हिस्सा होगी या आईएसओ 9000 मानकों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से प्रमाणित प्रणाली होगा (आईएसओ प्रमाणन के मामले में प्रमाणन के लिए अपेक्षित समय के अनुसार दिया जाएगा।)	
संपर्क व्यक्ति का नाम (संपर्क का पहला बिंदु) ईमेल और मोबाइल संख्या के साथ	यहभर्ती एवं स्थानन सेवाप्रोफाइल की संपर्क जानकारी जैसा ही होना चाहिए।
संपर्क व्यक्ति का पदनाम	

2. निरीक्षण दल का ब्यौरा

	नाम	हस्ताक्षर
निरीक्षण दल का संचालन		
निरीक्षण दल का सत्यापनकर्ता		

टिप्पण : प्रत्येक मुख्य प्रश्न के दाईं ओर 3 उत्तर वाले बॉक्स हैं: हाँ का खाना (हां), नहीं का खाना (नहीं) और लागू नहीं का खाना (लागू नहीं)] (कोष्ठों में दिए गए आंकड़े एमएसनियम की संदर्भ संख्या दर्शाते)

3. प्रचालन संबंधी मानक

3.1	क्या अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन में दिया गया पता, चालू पंजीकृत पते या मुख्य कारबार वाली जगह के पते जैसा ही है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.2	क्या इन नियमों के अधीन जारीभर्ती एवं स्थानन सेवाअनुज्ञप्ति की प्रतिभर्ती एवं स्थानन सेवा के परिसर में ऐसी जगह पर प्रमुखता से लगाई गई है जहाँ आम लोग आसानी से देख सकें (और लागू होने पर वेबसाइट पर भी)?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ: केवल वार्षिक/नवीनीकरण निरीक्षणों के समय ही सत्यापित किया जाना है।				

3.3	क्याभर्ती एवं स्थानन सेवाकी अपनी सेवाएँ देने के लिए पर्याप्त संसाधन और कार्यालय की अवसंरचना उपलब्ध है? टिप्पण : सत्यापित करें (क) पंजीकृत पट्टे /किराये के करार (नए आवेदकों के लिए कम से कम 5वर्ष की वैधता या 3 वर्ष की वैधता जिसे उसे आगे 3 वर्ष के लिए बढ़ाने का उपबंध है), जो वार्षिक/नवीनीकरण लेखापरीक्षा या मालिकाना हक के दस्तावेज के समय कम से कम 12माह के लिए वैध हों (ख) क्याभर्ती एवं स्थानन सेवाके नियुक्ति के अधीन निम्नलिखित अवसंरचना/सुविधाएँ नाविकों की संख्या के अनुपात में सही और पर्याप्त हैं:	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	(i) शौचालय की सुविधाएँ (ii) नाविकों के लिए प्रतीक्षालय (iii)भर्ती एवं स्थानन सेवा कर्मचारियों के लिए कार्य स्थल (ग) अभिलेख रखने के लिए जगह जब तक कि उन्हें केवल डिजिटल रूपविधान में न रखा जाए (घ) आवश्यकता होने पर सहायक पावर सप्लाई: (i) क्या स्थानीय/नगरपालिका विधियों के अनुसार परिसर में वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति है? (ii) यथा लागू संचार और आईटीअवसंरचना टिप्पण:भर्ती एवं स्थानन सेवा गतिविधियों के लिए कम से कम फर्श क्षेत्र (या उसके अनुरूप निर्मित क्षेत्र) इस प्रकार होना चाहिए: पोत पर नाविकों की संख्या कम से कम फर्श क्षेत्र (वर्ग फीट में) (i) 50- 150, (ii) 51 से 250- 200 (iii) 251 से 500 - 400 (iv) 501 से 750 - 500 (v) 751 से 1000 - 1000 (vi) 1000 से अधिक 2000 टिप्पण: फर्श क्षेत्र का नियम नए भर्ती एवं स्थानन सेवा अनुज्ञप्ति आवेदनों या पते में किसी भी परिवर्तन या बैंक गारंटी में किसी भी बढ़ोतरी के लिए लागू होता है।			

टिप्पणियाँ:				
3.4	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा अपने ज़रिए भर्ती या नियोजित सभी नाविकों का अद्यतन अभिलेख रखता है? टिप्पण: 1. डेटाबेस में नाम, पता, आयु, कौशल, अनुभव, निकटतम रिश्तेदार का पता आदि शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा। 2. यदि नाविकों की कुल संख्या 10 से अधिक है, तो नावियों रद्द किए गए ई-माइग्रेट अभिलेखों की जाँच कम से कम 10 नाविकों या कुल संख्या के 10% (इनमें से जो भी अधिक हो) के लिए की जानी चाहिए।	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				

3.5	क्या नाविकों की भर्ती और नियोजन (आरपीएस) करने वाला सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करती है कि उसका प्रबंधन और स्टाफ़ पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है और उन्हें इस संदर्भ में सौंपी गई ज़िम्मेदारियों के लिए समुद्री उद्योग की ज़रूरी जानकारी है? आरपीएसके साथ काम करने वाले उन सभी कार्मिकों की ज़िम्मेदारी, अधिकार और आपसी संबंध परिभाषित किए गए हैं जो काम को प्रबंधन करते हैं, निष्पादन हैं और सत्यापन करते हैं।	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	टिप्पण 1:			
	<u>वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और नियोजन) नियम 2026 के प्रारूप 3 में प्रबंधन कर्मियों की अर्हता और अनुभव के ब्यौरा की पुष्टि करें।</u>			
	टिप्पण 2:			
	1. अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा के शीर्ष प्रबंधन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, जिसकी इन नियमों के प्रयोजन से, पहले या अभी कोई मान्य प्रबंधन-स्तर का एसटीसीडब्ल्यू/प्रमाण-पत्र हो। यह प्रमाण-पत्र रद्द या वापस नहीं लिया गया होना चाहिए और इसे महा निदेशक द्वारा जारी, मान्यता प्राप्त या स्वीकार किया हुआ हो। 2. परन्तु यह कि जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा केवल कूज़ क्षेत्र के लिए नाविकों की भर्ती और नियोजन का काम करती है, तो 'सक्षमता प्रमाण-पत्र' के स्थान पर प्रबंधन स्तर पर सुसंगत और सत्यापन योग्य उद्योग का अनुभव स्वीकार किया जा सकता है। 3. परन्तु यह भी कि जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा केवल ड्रेजर, मछली			

	पकड़ने वाले जलयानों या किसी अन्य श्रेणी के जलयानों के लिए भर्ती और नियोजन का काम करती है, तो इस नियम के प्रयोजन से ऐसे जलयानों के लिए उपयुक्त समकक्ष ग्रेड या प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाएगा।			
टिप्पण:				
3.6	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा भर्ती या नियोजित नाविकों को उनके नियोजन करार के अधीन उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में, उनके काम पर रखने से पहले या काम के दौरान बताया गया है और ऐसे करारों पर हस्ताक्षर करने से पहले और बाद में उनके नियोजन करार की जांच करने की गई है और उन्हें उन करारों की प्रति भी दी गई है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
3.7	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा का कोई अभिलेख है जिसमें नाविक को एमएलसी खण्ड 2.5 और 4.2 के अधीन उपलब्ध बीमा सुरक्षा के बारे में बताया गया हो और यह कि आवश्यकता होने पर उसे कैसे उपयोग किया जाए?			
टिप्पणियाँ :				
3.8	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा यह सुनिश्चित करता है कि उनके द्वारा भर्ती या नियोजित नाविक अर्हताप्राप्त हैं और उनकी संबंधित नौकरी के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं और नाविकों के नियोजन करार लागू ध्वज देश की विधियों और विनियमन और किसी भी सामूहिक सौदेबाजी करार के अनुसार हैं जो उनके नियोजन करार का हिस्सा हैं?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
3.9	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवानाविकों को जारी किए गए प्रमाण-पत्र/दस्तावेज के वास्तविक होने की पुष्टि करता है? दस्तावेजों प्रमाण रखे जाते हैं/दिए जाते हैं।			
	टिप्पण :			
	<i>जहाँ भारतीय प्रशासन द्वारा जारी कोई प्रमाण-पत्र या दस्तावेज वास्तविक नहीं पाया जाता है, तो भर्ती एवं स्थानन सेवा को उस मामले की रिपोर्ट करनी होगी और धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए ऐसे प्रमाण-पत्र के बारे में महा निदेशक को सूचित करना होगा।</i>			
	टिप्पण :			
	<i>एमएलसी प्रमाण-पत्र जारी होना इस बात का प्रमाण है कि नाविक की सेवा की शर्तें 'ध्वज देश' की अपेक्षाओं का पालन करती हैं।</i>			
टिप्पणियाँ:				
3.10	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवाप्रदाता यह सुनिश्चित करता है कि पोत के स्वामी की ऐसे नाविकों को पत्तन में फंसे/परिव्यक्त/निरुद्ध किए जाने या गिरफ्तार किए जाने से बचाने के तरीके हैं, फंसे/छोड़े गए नाविक/या हिरासत या गिरफ्तार किए जाने से बचाने के लिए ऐसे नाविक के पत्यावर्तन की व्यवस्था है, या साथ ही प्रत्यावर्तन से पहले उसके भारणपोषण की व्यवस्था और ज़रूरी आपातकालीन चिकित्सा सहायता, और नाविक की मृत्यु होने पर उसके शव के	हाँ	नहीं	लागू नहीं

	परिवहन की व्यवस्था है?			
	टिप्पण:			
	1. भर्ती एवं स्थानन सेवा, परित्यक्त नाविक या फंसे हुए या निरुद्धकिए गए नाविक या निरुद्धकिए गए या गिरफ्तार किए गए नाविक के प्रत्यावर्तन की लागत और साथ ही, आपीएसया संबंधित पोत स्वामी के एसईएया संबंधित सीबीएके अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के लिए असफल रहने की वजह से पोत स्वामी की ओर से नाविक को देय बकाया वेतन और दूसरे हकों सहित धन की किसी भी हानि को पूरा करने के लिए भी बैंक गारंटी देगा। 2. भर्ती एवं स्थानन सेवा, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ई-गवर्नेंस मॉड्यूल पर सत्यापन के प्रमाण के साथ-साथ शिप प्रोफाइल/दस्तावेजों पर अपलोड करने से पहले बीमा प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता की जांच करेगा। 3. निरीक्षक को भर्ती एवं स्थानन सेवा द्वारा अपनी सूची में सबसे अधिक नाविकों को काम पर रखने वाले 10 जलयानों के बीमा प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता की जांच और पुष्टि करनी चाहिए।			
टिप्पणियाँ:				
3.11	परिव्यक्त मामला, यदि कोई हो, की समीक्षा। (क) क्या कोई मामला 2 सप्ताह से अधिक समय से बिना कार्रवाई के लंबित है? (ख) क्या कोई मामला 2 महीने से अधिक समय से बिना वेतन भुगतान लंबित है? (ग) क्या कोई ऐसा मामला है जिसमें नाविकों को बिना किसी वैध कारण के, काम छोड़ने के बाद 2 महीने से अधिक अधिक समय तक प्रत्यार्पित नहीं किया गया?			
टिप्पणियाँ:				
3.12	क्या बैंक गारंटी मान्य है और यह नौकरियों की संख्या के अनुपात में है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	टिप्पण : बैंक गारंटी की वैधता अवधि की जाँच करें और इसे केवल अनुसूचित बैंकों से ही लिया जाना चाहिए। किसी भी समय विशेष में पोत पर मौजूद नाविकों की संख्या बैंक गारंटी (बीजी) के अनुपात में होनी चाहिए।			
टिप्पणियाँ:				
3.13	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की अपनी गतिविधियों से जुड़ी किसी भी शिकायत की तुरंत और पर्याप्त रूप से जांच करने, उसका जवाब देने और किसी भी निपटवाई नहीं	हाँ	नहीं	लागू नहीं

	गई शिकायत के बारे में महा निदेशक को सूचित करने की प्रक्रिया है? 1. पिछली जांच के बाद से कुल कितनी शिकायतें मिलीं? 2. क्या शिकायतों का समाधान प्रशासन के निर्देशों और कंपनी की नीति के अनुसार किया गया? 3. कारणों के साथ निपटाई नहीं गई शिकायतों की सूची। टिप्पण: 3 महीने से अधिक समय से निपटाई नहीं गई शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।			
टिप्पणियाँ:				
3.14	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा और संबंधित पोत स्वामी की असफलता के कारण नाविकों को होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बैंक गारंटी के ज़रिए सुरक्षा की कोई स्थापित व्यवस्था है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	भर्ती एवं स्थानन सेवा द्वारा दी गई बैंक गारंटी और एमएलसी के 2.5 और 4.2 के अधीन पी एण्ड आईक्लब द्वारा जारी वित्तीय सुरक्षा प्रमाण-पत्रों की जाँच करें। टिप्पण – निरीक्षक को भर्ती एवं स्थानन सेवा द्वारा दी गई सूची के अनुसार, सबसे अधिक नाविकों को काम पर रखने वाले 10 जलयानों के बीमा प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता की जाँच और पुष्टि करनी चाहिए। यदि जलयानों की कुल संख्या 10 से कम है, तो सभी जलयानों के दस्तावेज़ों की जाँच की जानी चाहिए।			
टिप्पणियाँ:				
3.15	क्या कोई ऐसी प्रक्रिया या नीति है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नाविकों को ऐसे नियोजन पाने से रोकने या हतोत्साहित करने के लिए किसी भी तरीके, तंत्र या सूची का प्रयोग न हो, जिसके लिए वे सक्षम और अर्हता प्राप्त हैं?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	टिप्पण:			
	भर्ती, बिना किसी भेदभाव वाली नीति या जाति, रंग, लिंग, धर्म, राजनीतिक मत, राष्ट्रीयता या सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव के की जानी चाहिए। तथापि, नौकरी की अंतर्निहित अपेक्षाओं के आधार पर नौकरी के संबंध में कोई भी विशिष्टता, अपवर्जन या वरीयता देने को भेदभाव नहीं माना जाएगा।			

टिप्पणियाँ:				
3.16	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की कोई लिखित नीति है जिसमें यह बताया गया हो कि चिकित्सा प्रमाण-पत्र, नाविक बुक, पासपोर्ट या यात्रा से जुड़े ऐसे अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने की लागत के अतिरिक्त, नाविकों को कोई भी फीस या अन्य प्रभार सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, पूरी तरह या आंशिक रूप से वहन नहीं करनी होगी?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	टिप्पणः 1. बीज़ा की लागत, प्री-साइन ऑन और पोस्ट-साइन ऑफ चिकित्सा जांच के प्रभार, जहां भी अपेक्षित हों, नाविकों की कल्याण फीस, कल्याण निधि में अंशदान और नाविकों के प्रत्यावर्तन भेजने या प्रतिस्थापन की फीस पोत के स्वामी को वहन करनी होगी। 2. यह लिखित नीति भर्ती एवं स्थानन सेवा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और भर्ती एवं स्थानन सेवा की वेबसाइट (जहां उपलब्ध हो) पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।			
टिप्पणियाँ:				
3.17	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की कोई लिखित नीति है जिसमें यह उल्लिखित हो कि अधीन पोत पर होने वाली किसी भी ऐसी घटना मामूली चोटों को छोड़कर, की जानकारी जिसमें किसी भारतीय नागरिक द्वारा या उसे चोट लगने, मृत्यु, लापता होने, पोत से गिरकर खो जाने या मानव हत्या जल्द से जल्द महा निदेशक को दी जाएगी?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	टिप्पणः ऐसी जानकारी मिलने के अधिकतम 24 घंटे के भीतर। तथापि, निकटतम संबंधी को भी तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। कृपया 3.31 भी देखें।			
टिप्पणियाँ:				
3.18	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे वे प्रचालन प्रक्रिया विकसित और बनाए रख सकें? ताकि इनसे नाविकों के चिकित्सा टेस्ट, पहचान के दस्तावेज़ और नियोजन पाने के लिए अपेक्षित अन्य मदों की जाँच की जा सके।	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.19	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की अपनी कोई लिखित नीति है जिससे निजता के अधिकार और गोपनीयता की सुरक्षा की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखते हुए उनकी प्रणाली में शामिल नाविकों के पूरे और सम्पूर्ण अभिलेख/डेटा (जिसमें ऐसे डेटा को प्राप्त	हाँ	नहीं	लागू नहीं

	करना, रखना, मिलाना और तीसरे पक्ष को बताना शामिल है) को बनाए रखा जा सके?			
	टिप्पण:			
	डेटा में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे- (क) नाविकों की अर्हता; (ख) नियोजन का अभिलेख; (ग) नियोजन से जुड़ा और निकटतम रिश्तेदार (NoK) से संबंधित व्यक्तिगत डेटा; (घ) नियोजन से संबंधित चिकित्सा डेटा।			
	भर्ती एवं स्थानन सेवाएँ डेटा को हार्ड कॉपी या डिजिटल फॉर्मेट (या दोनों को मिलाकर) में स्टोर कर सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा में साइबर सुरक्षा खतरों से बचाव के उपाय होने चाहिए।			
टिप्पणियाँ:				
3.20	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा उन जलयानों की अद्यतन सूची रखता है, जिनके स्वामी पोत के स्वामी हैं और जिनके लिए भर्ती एवं स्थानन सेवा नाविक देता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे उचित साधन हैं जिनसे आपातकाल में किसी भी समय जलयानों से संपर्क किया जा सकता है? टिप्पण: प्रत्येक पोत के बारे में नियोक्ता/पोत के स्वामी के पत्राचार की विस्तृत जानकारी (सम्पर्क संख्या, ईमेल, पीआईसी, आदि के साथ) रखी जाए। (केवल पोस्ट बॉक्स संख्या वाला पता स्वीकार नहीं किया जाएगा।)	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.21	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की कोई लिखित नीति या प्रक्रिया स्थापित है जिसमें यह बताया गया हो कि पोत विशेष या खास कंपनियों विशेष में काम के प्रस्ताव के संबंध में नाविकों का उनके कार्मिकों द्वारा प्रतिदान आधार पर शोषण नहीं किया जाएगा?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.22	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की ऐसी कोई लिखित नीति या प्रक्रिया स्थापित है जो कार्यभार ग्रहण करने पर मिलने वाले अग्रिम या भर्ती एवं स्थानन सेवा द्वारा संभाले जाने वाले पोत के स्वामी और नाविक के बीच कोई अन्य वित्तीय लेन-देन से जुड़े	हाँ	नहीं	लागू नहीं

	मामलों के कारण नाविकों के शोषण की संभावनाओं से उन्हें बचा सके?			
टिप्पणियाँ:				
3.23	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा स्पष्ट रूप से यह प्रसारित करता है कि लागत, यदि कोई हो को भर्ती प्रक्रिया में नाविक से वहन करने की आशा की जाएगी? लागत संबंधी लिखित नीति भर्ती एवं स्थानन सेवा वेबसाइट पर, जहाँ उपलब्ध हो, और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.25	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की कोई लिखित नीति या प्रक्रिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नाविकों को उन नौकरियों से जुड़ी विशेष शर्तों, जिनके अधीन उन्हें नियुक्त किया जाना है, और उनके नियोजन से संबंधित पोत स्वामी की नीति के बारे में जानकारी दी गई? <i>टिप्पण:</i> <i>यह काम नाविकों के पोत पर नियुक्त होने से पहले किया जाना चाहिए। भर्ती एवं स्थानन सेवा के किसी वरिष्ठ अधिकारी (अभिमानत: शीर्ष प्रबंधन का कोई व्यक्ति) को नाविकों को पोत स्वामी/डीओसी प्रबंधक और पोत की व्यापार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देनी चाहिए और इसका अभिलेख रखना चाहिए।</i>	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				

3.26	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की कोई लिखित नीति है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अक्षमता या अनुशासनहीनता के मामलों से निपटने के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, देश की विधियों, प्रक्रियाओं और जहाँ लागू हो, सीबीए के अनुरूप हैं?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.27	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की यह सुनिश्चित करने के लिए कोई लिखित नीति या प्रक्रिया है कि नियोजन के लिए प्रस्तुत किए गए सभी ज़रूरी प्रमाण-पत्र और दस्तावेज़ अद्यतन हैं, उन्हें धोखाधड़ी से प्राप्त न किया गया हो और नियोजन से जुड़े संदर्भों की पुष्टि की गई है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.28	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की कोई लिखित नीति या प्रक्रिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नाविकों के परिवारों की जानकारी या सलाह के अनुरोधों पर तुरंत और सहानुभूति से कार्रवाई की गई है और नाविक पर इसकी कोई लागत नहीं आई है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.29	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की यह सत्यापित करने के लिए कोई लिखित नीति या प्रक्रिया है	हाँ	नहीं	लागू

	कि जिन जलयानों पर नाविकों को नियोजित किया जाता है, वहां काम की दशाएं पोत के स्वामी और नाविकों के प्रतिनिधि संगठन के बीच हुए लागू सीबीए के अनुरूप हैं?			नहीं
	टिप्पण: <i>प्रोफ़ाइल में शामिल कुल जलयानों में से कम से कम 10% के डीएमएलसी भाग I, डीएमएलसी भाग II और एमएलसी प्रमाण-पत्र की जाँच करें; यदि कुल जलयानों की संख्या 10 से अधिक है, तो कम से कम 10 जलयानों की जाँच करना ज़रूरी है।</i>			
टिप्पणियाँ:				
3.30	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा यह सुनिश्चित करता है कि नाविकों के नियोजन की शर्तें और नियम लागू विधियों, नियमों या सीबीए के अनुसार हैं? टिप्पण: (i) भर्ती एवं स्थानन सेवा को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाविकों के अधिकारों की का सम्पर्क रूप से संरक्षण किया गया है और वे नाविकों के लिए वैध नियोजन संविदा पर हस्ताक्षर करें। (ii) भर्ती एवं स्थानन सेवा और नियोक्ता या पोत के स्वामी के बीच करार को देखा जाना चाहिए और वह वैध होना चाहिए। (iii) क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा ने लागू एसईए/सीबीए की प्रति प्रशासन को प्रस्तुत (अपलोड) कर दी है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.31	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की ऐसी कोई लिखित नीति है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोत का स्वामी बिना किसी अनुचित देरी के मृत्यु या दिव्यांगता का प्रतिकर देता है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	1. जाँचें कि क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा /पोत के स्वामी ने मृत्यु और दिव्यांगता के मामलों में प्रतिकर तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2. जाँचें कि क्या प्रतिकर बिना किसी वैध कारण के यथास्थिति 3 महीने या 12 महीने से अधिक समय से लंबित है। (जैसे: विवाद में या न्यायालयाधीन मामला)			
टिप्पणियाँ:				
3.32	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा अपने प्रकाशित सभी विज्ञापनों में अनुज्ञप्ति संख्या, जारी होने की तारीख और उसकी वैधता का उल्लेख करता है, और क्या वह अपने सभी कम्प्युनिकेशन में संसूचना संख्या का उल्लेख करता है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियाँ:				
3.33	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा की विनिर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार भर्ती एवं स्थानन सेवा अनुज्ञप्ति के वार्षिक और नवीनीकरण निरीक्षण के बारे में डायरेक्टर को सूचित करने की कोई प्रक्रिया है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.34	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा , समुद्री प्रशासन के महानिदेशालय द्वारा जारी समुद्री प्रशासन महानिदेशालय परिपत्र 2024का 2और 2024 का 25 के अधीन निर्धारित ऑनलाइन रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन करता है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.35	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा ने जारीकर्ता प्राधिकारी या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति को पोत पर ऐसी किसी भी घटना जिससे चोट (मामूली चोट को छोड़कर) या मृत्यु, गायब होने, पोत से पानी में गिर जाने, या किसी भारतीय नागरिक द्वारा मानव हत्या या उसकी हत्या की ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदरऑनलाइन माध्यम या कागजी रूप में 'प्ररूप X' भेजा है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	टिप्पणः विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर पंजीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकता है, या जारी किया गया अनुज्ञप्ति वापस लिया जा सकता है।			
टिप्पणियाँ:				
3.36	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवाने मुंबई स्थित 'नाविक कल्याण निधि सोसाइटी' में तिमाही आधार पर नाविक कल्याण निधि में अंशदान किया है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	टिप्पणः			
	विदेशी ध्वज वाले जलयानों पर काम करने वाले प्रशिक्षुओं को छोड़कर, प्रत्येक नाविक, के अंशदान के अभिलेख की जाँच करें। नाविक के काम करने की वास्तविक अवधि के आधार पर, प्रति नाविक प्रति महीने छह सौ रुपये (भारतीय मुद्रा में 600रु.) का अंशदान पिछली तिमाही की अंतिम दिन से पंद्रह दिनों के भीतर 'नाविक कल्याण निधि सोसाइटी'को इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिए या समय-समय पर जारी लागू विनियमों के अनुसार तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना होगा।			
टिप्पणियाँ:				
3.37	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय पोत मालिकों द्वारा भारतीय वाले जलयानों पर काम करने वाले प्रत्येक नाविक के लिए नाविक कल्याण निधि	हाँ	नहीं	लागू

	सोसाइटीमें अंशदान प्रत्येक तिमाही में किया जाता है?			नहीं
	टिप्पण:			
	भारतीय ध्वज वाले जलयानों पर काम करने वाले प्रत्येक नाविक प्रशिक्षिती को छोड़कर, के अंशदान के अभिलेख की जाँच करें। विदेशी यात्रा करने वाले जलयानों के लिए, नाविक के काम करने की वास्तविक अवधि के आधार पर प्रति नाविक प्रत्येक महीने 500 रुपये (भारतीय मुद्रा में 500रू.) और तटीय जलयानों के लिए, नाविक के काम करने की वास्तविक अवधि के आधार पर प्रति नाविक प्रत्येक महीने 250 रुपये (भारतीय मुद्रा में 250रू.) का अंशदान देना होगा। इस अंशदान का भुगतान प्रत्येक तिमाही खत्म होने के अगले महीने की 15 तारीख तक करना होगा।			
टिप्पणियाँ:				
3.38	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नाविक को काम पर रखने के मामले में, नाविकों प्रत्यावर्तन या उनकी जगह दूसरे नाविक को लाने के लिए पचास रुपये की दर से—या ऐसी दूसरी दर से, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे एक फ्रीस ली गई है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
	टिप्पण:			
	सभी जहाजों पर काम करने वाले प्रत्येक नाविक, (प्रशिक्षिती सहित) के लिए प्रति नाविक 50 रुपये (भारतीय मुद्रा में 50रू.) अंशदान का अभिलेख देखें। यह अंशदान इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा या समय-समय पर जारी लागू विनियमों के अनुसार सरकारी खाते में प्रेषित किया जाना चाहिए।			
टिप्पणियाँ:				

3.39	क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस नाविक के साथ रोजगार संविदा किया गया है, उसे पोत पर नियोजित किया गया है? (परन्तु यह कि नाविक ऐसा करने के लिए तैयार और इच्छुक हो और यथा निदेशित पोत पर हाजिर हो।) टिप्पण: समुद्री प्रशासन महानिदेशालय वेबसाइट प्ररूप । अभिलेख की प्रविष्टियों से सत्यापित करें। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय वेबसाइट प्ररूप । इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप । से अलग है)	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.40	क्या नाविकों के लिए भर्ती एवं स्थानन सेवा या पोत के स्वामी के विरुद्ध शिकायत करने का कोई शिकायत प्रतितोषण तंत्र उपलब्ध है? (परिवेदना या शिकायतों का अभिलेख देखें)। 1. क्या शिकायत पर 2 सप्ताह से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी? 2. क्या शिकायत पर बिना किसी वैध कारण के 2 महीने से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.41	क्या नाविकों से प्राप्त यात्रा दस्तावेजों, स्वास्थ्य परीक्षा आदि के प्रभारों से संबंधित फीस का कोई अभिलेख संचारित किया गया है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.42	क्या नाविकों के निजी डाटा को प्राप्त करने, रखने और उस पर कार्रवाई करने की कोई प्रक्रिया है? टिप्पण: <i>नाविकों का पूरा ब्यौरा, जिसमें नाम, पता, आयु, कौशल, अनुभव, फ़ोन या मोबाइल संख्या और निकट संबंधी का पता शामिल है।</i>	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.43	सभी नाविकों के विगत पाँच (5) वर्षों के रोजगार संविदा की प्रति उपलब्ध होनी चाहिए। टिप्पण: <i>भर्ती एवं स्थानन सेवा द्वारा को हस्ताक्षरित नाविक रोजगार करार की प्रति केवल</i>	हाँ	नहीं	लागू नहीं

	तभी रखा जाना अपेक्षित है, जब नाविकों और पोत के स्वामी/नियोजक के बीच नाविक रोजगार करार पर हस्ताक्षर हो।			
टिप्पणियाँ:				
3.44	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा और नियोजक पोत के स्वामी के बीच करारों / सहमति पत्रों/ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं? टिप्पणः 1. करार वैध होने चाहिए। 2. प्रत्येक पोत के लिए नियोजक /पोत के स्वामी की जानकारी रखी जानी चाहिए। पता और संपर्क की जानकारी सही होनी चाहिए, न कि केवल पी.ओ. बॉक्स संख्या हो।	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.45	क्या भर्ती से जुड़े निम्नलिखित अभिलेख (जो लागू हों) कम से कम 5 साल की अवधि तक रखे जाते हैं: जारी किए गए सभी विज्ञापनों की प्रतियां, साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र, आवेदकों के साथपत्र-व्यवहार, नियुक्ति पत्रों की प्रतियां आदि (जो लागू हों)।	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.46	क्या नाविकों की चोट या मृत्यु से जुड़े दावों और प्रदत्त प्रतिकर का अभिलेख रखा जाता है? क. क्या चोट या मृत्यु का कोई ऐसा मामला है जिस पर 2 सप्ताह से अधिक समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई? ख. क्या दुर्घटना के समय से बिना किसी वैध कारण के प्रतिकर का कोई मामला 3 महीने या 12 महीने जैसी भी स्थिति हो, से अधिक समय से लंबित है? (विवाद में या न्यायालय में निर्णयाधीन) टिप्पणः चोट के लिए प्रतिकर के दावों या नाविकों की मृत्यु का ब्यौरा, और नाविक के निकट संबंधी का ब्यौरा, पासपोर्ट संख्या, रोजगार के देश, चोट या मृत्यु का प्रकार, दुर्घटना की तारीख, नियोजक का नाम और पता, और संदत्त प्रतिकर का ब्यौरा।	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				

3.47	क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे सभी पोत जिन पर नाविकों को भर्ती और नियोजित किया जाता है, वे पी एण्ड आई बीमा के अंतर्गत में आते हैं? इसके अतिरिक्त, क्या समुद्री श्रम सम्मेलन (एमएलसी) के खंड 2.5 और 4.2 के अधीन वित्तीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति भर्ती एवं स्थानन सेवा अभिकर्ता की उपलब्ध हैं? टिप्पण - <i>निरीक्षक को उन 10 जलयानों के बीमा प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता की जाँच और पुष्टि करनी चाहिए जो सबसे अधिक नाविक नियोजित करते हैं, जैसा कि भर्ती एवं स्थानन सेवा द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। यदि जलयानों की कुल संख्या 10 से कम है, तो सभी जलयानों के दस्तावेज का सत्यापन किया जाना चाहिए।</i>	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.48	क्या भर्ती किए गए नाविकों के संबंध में कोई शिकायत लंबित है? टिप्पण: संबंधित पोत से हटने (साइन-ऑफ) के 36 महीने बाद नाविक द्वारा की गई शिकायतों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उन मामलों के जिनमें जेल/हिरासत/गिरफ्तारी/पकड़े जाने/परिव्यक्त किए जाने आदि की स्थिति हो।	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.49	क्या वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और रोजगार के नियम) 2026 के उपबंधों के संबंध में भर्ती एवं स्थानन सेवा के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक या दीवानी मामला दर्ज या लंबित है? टिप्पण: <i>1. निरीक्षण शुरू होने के समय भर्ती एवं स्थानन सेवाको ऐसे किसी भी मामले की घोषणा करनी होगी।</i> <i>2. ऐसे नए भर्ती एवं स्थानन सेवा के लिए भर्ती एवं स्थानन सेवा अनुज्ञप्ति की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।</i>	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.50	रोजगार से संबंधित (नाविकों के) चिकित्सा डाटा का अभिलेख रखा जाता है।	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				

3.51	क्या कोई लिखित प्रक्रिया है जिसमें यह उल्लेख हो कि भर्ती एवं स्थानन सेवा को 'आशय- पत्र' देना होता है जिसमें 'भर्ती एवं स्थानन सेवा' के स्वामी का नाम और पता भी लिखा होना चाहिए जैसा कि प्ररूप v में दिया गया है, ताकि अतिथ्य कर्मिदल कूज पोत पर काम करने के लिए भारतीय सीडीसीहासिल कर सके; और क्या इस प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है?	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				
3.52	नाविकों के संविदाओं के अभिलेख की जाँच करें कि क्या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार पोत के मालिकों / मास्टर / भर्ती एवं स्थानन सेवा द्वारा समय से पूर्व सेवाविमुक्त नाविकों को प्रतिकर का भुगतान किया गया है।	हाँ	नहीं	लागू नहीं
3.53	इन अभिलेखों की जाँच करें: 1. पोत की जीवन-रक्षक उपकरण (एलएसए) क्षमता से अधिक संख्या में नियुक्त नाविकों का व्यौरा। 2. पिछले एक वर्ष में साइन-ऑन/साइन-ऑफ अभिलेखों में संशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों की संख्या। 3. पिछले एक वर्ष में परित्यक्त जलयानों की संख्या और उनका कुल योग। 4. पिछले एक वर्ष में रिपोर्ट की गई नाविकों की मृत्यु की संख्या और उनका कुल योग। 5. प्रतिकर के निपटान के लिए लंबित मामलों की संख्या। 6. क्या भर्ती एवं स्थानन सेवा / पोत के स्वामी द्वारा सामूहिक सौदेबाजी करार/ नाविकों के रोजगार करार (एसईए) में आत्महत्या से जुड़ी सुरक्षा शामिल है? 7. क्या पिछले एक वर्ष में भर्ती एवं स्थानन सेवा, उसके निदेशकों या संचालकों के विरुद्ध कोई पुलिस शिकायत दर्ज की गई है? साथ ही, भर्ती एवं स्थानन सेवा की गतिविधियों से संबंधित ऐसी शिकायतों की कुल संख्या भी बताएं। 8. क्या शीर्ष प्रबंधन में शामिल किसी भी व्यक्ति की अपनी कोई दूसरी भर्ती एवं स्थानन सेवा है या वह किसी दूसरी भर्ती एवं स्थानन सेवा से जुड़ा है? यदि हाँ, तो उसका नाम और व्यौरा दें। 9. लंबित ऑनलाइन / ऑफ़लाइन शिकायतों की संख्या जिन्हें बंद किया जाना है। 10. क्या भर्ती एवं स्थानन सेवाने किसी विदेशी ध्वज प्रशासन द्वारा अनुमोदित संस्थान के माध्यम से उसी नाम से प्रचालन किया है? यदि हाँ, तो पुष्टि करें कि क्या समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (समुद्री प्रशासन महानिदेशालय) से ज़रूरी मंजूरी या सूचना प्राप्त कर ली गई है।	हाँ	नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियाँ:				
3.54	लागू भर्ती एवं स्थानन सेवा नियमों / समुद्री प्रशासन महानिदेशालय कार्यकारी आदेशों / परिपत्रों के अनुसार अतिरिक्त टिप्पणियाँ, यदि कोई हों:	हाँ	नहीं	लागू नहीं
टिप्पणियाँ:				

नाम:

मुद्रा/हस्ताक्षर :

अनुसूची 5

[नियम 8(10)देखें]

निरीक्षण जाँच सूची

बैंक गारंटी बढ़ाने के लिए निरीक्षण की जाँच सूची

क्र. सं.	सत्यापन बिंदु	जारी करने वाले प्राधिकरण की टिप्पणियाँ
1	1.1 प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या (हार्ड कॉपी / ईमेल / ऑनलाइन पोर्टल / प्रधानमंत्री कार्यालय पोर्टल / सीपीग्राम / सहायता प्रकोष्ठ / सोशल मीडिया...) 1.2 निपटान की गई शिकायतों की संख्या 1.3 लंबित शिकायतों की संख्या... 1.4 सभी शिकायतों की पूरी स्थिति समुद्री प्रशासन महानिदेशालय कर्मिंदल शाखा को प्रस्तुत की जानी है।	
2	नाविकों द्वारा अनुज्ञापत्रधारी भर्ती एवं स्थानन सेवा के खिलाफ ऑनलाइन/ऑफलाइन दर्ज की गई कोई भी शिकायत, यदि हां, तो सभी शिकायतों का समाधान/बंद होने की स्थिति.	

क्र. सं.	सत्यापन बिंदु	जारी करने वाले प्राधिकरण की टिप्पणियाँ
3	बैंक गारंटी की रकम बढ़ाए जाने की तारीख से पिछले एक साल के दौरान काम पर रखे गए कुल नाविकों की संख्या। उनकी हैसियत की यदाकदा जाँच – अर्थात् क्या ये नाविक उन जलयानों पर हैं जिनके लिए संविदा किया गया था, या उन्हें दूसरे जलयानों पर स्थांतरित प्रस्थिति कर दिया गया है, या नाविकों की कोई अन्य प्रस्थिति।	
4	उनके सभी जलयानों, एमएलसी प्रमाणपत्र और वित्तीय सुरक्षा प्रमाणपत्र की असलियत की जाँच की जाएगी। अगर कोई भी प्रमाणपत्र मान्य या असली नहीं पाया जाता है, तो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025 और लागू वाणिज्य पोत परिवहन नियमों के उपबंधों के अनुसार कंपनी के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जा सकती है।	
5	सभी जलयानों की जीवन रक्षक उपकरणक्षमता का सत्यापन और अनुज्ञप्तभर्ती एवं स्थानन सेवाद्वारा उनकी नियुक्ति।	
6	उनके परित्याग के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन/ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन डेटाबेस सहित अनुज्ञप्त एवं स्थानन सेवा के साथ पंजीकृत सभी जलयानों (अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन संख्या) का सत्यापन। यदि कोई पोत अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन/अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन डेटाबेस पर सूचीबद्ध पाया जाता है, तो 2024 के वाणिज्य पोत परिवहन की सूचना 11 के अनुसार कंपनी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।	
7	परित्यक्त/फंसे/जेल में बंद किसी भी नाविक का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा और कंपनी से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। यदि उनके किसी नाविक को छोड़ दिया जाता है/कैद/गिरफ्तार कर लिया जाता है और अनुज्ञप्त स्थानन सेवा से कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है, तो बैंक गारंटी नहीं बढ़ाई जाएगी।	
8	जहाज़ पर हुई मौत या लापता होने के सभी मामलों की जाँच करना और यह देखना कि क्या घटना की रिपोर्ट करने और डीजी कॉम सेंटरको सूचित करने के लिए ज़रूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं। उनके किसी भी पोत पर हुई मौत या लापता होने के मामलों के लिए कोई बकाया मुआवज़ा है या नहीं, इसकी जाँच करना। मौत/लापता होने के सभी मामलों और उनके प्रतिकर की पूरी सूची जमा करनी होगी।	
9	समुद्री प्रशासन महानिदेशालयके परिपत्र / एमएसनोटिस और समुद्री प्रशासन महानिदेशालयके आदेशों पर आधारित कोई अन्य सत्यापन, यदि कोई हो।	

क्र. सं.	सत्यापन बिंदु	जारी करने वाले प्राधिकरण की टिप्पणियाँ
10	इस बात की पुष्टि करना कि अनुमत-समय के बाद अद्यतित की जाने वाली कोई भी साइन-ऑफ प्रविष्टियाँ लंबित नहीं हैं।	

प्ररूप 1

[नियम 7(1) देखें]

भर्ती एवं स्थानन सेवा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

1.	नाम.	
2.	प्रास्थिति [व्यक्ति/कंपनी/संस्थान/अभिकरण या अन्य संगठन]।	
3.	संस्थापन की तारीख।	
4.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का नाम, पदनाम और पता।	
5	इन नियमों के अधीन अर्हता प्रमाण-पत्र रखने वाले शीर्ष प्रबंधन का नाम, पदनाम और पता।	
5.	दूरभाष सं.।	
6.	फैक्स संख्या।	
7.	वेबसाइट और ईमेल आईडी।	
8.	(क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (ख) सभी ब्रांच का पता (ग) व्यवसाय संचालन करने के मुख्य स्थान का पता	
9.	क्या कार्यालय पर मालिकाना हक/पट्टे पर लिया गया/ किराए पर लिया गया है।	
10.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का आवासीय पता.	
11.	सभी बैंकों के नाम और पते।	
12.	पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की एक प्रति के साथ स्थायी खाता संख्या।	

13.	पिछले पाँच वर्षों के दौरान कारबार का ब्यौरा (लाभ-हानि खाता और बैलेंस शीट संलग्न करें)।	
14.	यदि नाविकों की भर्ती का कोई अनुभव हो, तो कितने वर्षों का है।	
15.	क्या कोई प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अतीत में किसी भर्ती अभिकरण से जुड़ा रहा है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें।	
16.	यदि पहले नाविकों की भर्ती के काम में शामिल रहे हैं, तो पिछले पाँच वर्षों में तैनात किए गए नाविकों की कुल संख्या का ब्यौरा वर्ष-वार, देश-वार और वर्ग-वार दें।	
17.	क्या भर्ती किए गए नाविकों के संबंध में कोई शिकायत लंबित है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें।	
18.	क्या किसी न्यायलय में कोई आपराधिक या सिविल मामला लंबित है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें।	
19.	क्या किसी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को दोषी ठहराया गया है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें।	
20.	नियोक्ता के साथ हुए समझौतों या अनुबंधों की कुल संख्या और उनका ब्यौरा।	
21.	भर्ती किए जाने के लिए प्रस्तावित नाविकों की संख्या।	
22.	शिपिंग से जुड़े अन्य क्रियाकलाप, यदि कोई हों।	

वचन-पत्र

मैं/हम वचन देते हैं कि ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी किसी भी संबंध में मिथ्या या गलत पाई जाती है, तो मैं/हम जारीकर्ता प्राधिकारी के किसी भी निर्णय का पालन करेंगे।

आवेदक का नाम और पदनाम

हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

संलग्नकों की सूची: -

- (i) निर्धारित शुल्क
- (ii) पोतस्वामी या नियोक्ता के साथ समझौता
- (iii) निगमन प्रमाणपत्र की प्रति
- (iv) पिछले पाँच वर्षों का लाभ-हानि खाता और बैलेंस शीट
- (v) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा आस्ति और देनदारियों का प्रमाण-पत्र
- (vi) अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन संख्या के साथ जलयानों की सूची, जिन पर प्रत्येक प्रपत्र-5 के अधीन नाविकों की भर्ती की जाती है या भर्ती करने का प्रस्ताव है।
- (vii) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची, साथ ही उनके हस्ताक्षर के नमूने और ईमेल पते सहित संपर्क ब्यौरा।
- (viii) प्रारूप फॉर्म-2, 3 और 4 भरे गए।

प्रपत्र 2**[नियम 7(1)(i) देखें]****घोषणा**

मैं/हम, व्यक्ति/कंपनी/संस्था/अभिकरण या के अन्य संगठन एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. मैं/हम पर कारबार करेंगे।
2. मैं/हम लाइसेंस की वैधता की अवधि के दौरान कारबार करेंगे।
3. मैं/हम प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन कामकाज करेंगे।
4. मैं/हम अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
5. मैं/हम रजिस्टर्ड ऑफिस में ऐसी जगह पर अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करेंगे जहाँ आम लोग आसानी से पहुँच सकें, और शाखा कार्यालय में ऐसी जगह पर अनुज्ञप्ति की सत्यापित प्रति प्रदर्शित करेंगे जहाँ आम लोग आसानी से पहुँच सकें।
6. मैं/हम भर्ती या रोजगार दिलाने के लिए नाविकों से कोई शुल्क नहीं लेंगे।
7. मैं/हम रजिस्ट्री कार्यालय में नीचे दिए गए स्थायी अभिलेख बनाए रखेंगे।:

(क) नाविकों के नाम और पते का रजिस्टर।

(ख) एक रजिस्टर जिसमें नाविकों से यात्रा दस्तावेजों, मेडिकल जांच आदि के लिए लिए गए शुल्क का ब्यौरा हो।;

(ग) भर्ती किए गए हर नाविक का बायो-डेटा (जिसमें नाम, पता, उम्र, कौशल, अनुभव और निकटतम रिश्तेदार का पता जैसी पूरी जानकारी हो);

(घ) प्रत्येक नाविक के रोजगार संविदा की प्रतियां; नियोक्ताओं के साथ सभी समझौता ज्ञापनों /अनुबंधों/समझौतों की मूल प्रतियां;

(ड.) नाविकों की भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज़, जिनमें जारी किए गए सभी विज्ञापनों की कार्यलय प्रति, साक्षात्कार पत्र, जहाँ लागू हो, आवेदकों के साथ पत्र-व्यवहार, चयन के आधार बनी मूल अवॉर्ड शीट, चयन प्रक्रिया में शामिल लोगों के नाम और पते, नियुक्ति पत्र की प्रति और कम से कम पाँच वर्ष की अवधि की अन्य ब्यौरा आदि शामिल हैं।

(च) नाविकों को लगी चोट या उनकी मौत के लिए प्रतिकर के दावों का रजिस्टर, जिसमें कर्मचारी के निकटतम रिश्तेदार का ब्यौरा, पासपोर्ट संख्या, रोजगार करने का देश, चोट या मौत का प्रकार यथास्थिति, दुर्घटना की तारीख, नियोक्ता का नाम और पता तथा दिए गए प्रतिकर का ब्यौरा शामिल हो।

(छ) ऐसे अन्य अभिलेख जिन्हें अनुरक्षित रखना ज़रूरी हो सकता है।

8. किसी नाविक के फँस जाने की स्थिति में, मैं/हम उससे वापस लाने का खर्च नहीं लेंगे; साथ ही, किसी मृत नाविक के शव को लाने-ले जाने का खर्च भी नहीं लिया जाएगा।
9. मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती किए गए सभी नाविकों के पास उस नौकरी के लिए वैध दस्तावेज हों जिसके लिए उन्हें भर्ती किया गया है (जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, सीडीसी, सीओसीअपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र आदि)।
10. मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन जहाज़ों पर नाविकों की भर्ती और तैनाती की जाती है, वे 'प्रोटेक्शन एंड इंडेन्निटी' बीमाके अधीन पर्याप्त रूप से कवर हों।
11. मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जहाज स्वामियों के साथ नियुक्त और तैनात किए गए सभी नाविकों के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज हो।
12. मैं/हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कार्यालय के सभी कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया गया हो और उन्हें समुद्री उद्योग की संबंधित जानकारी हो।
13. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मुझे/हमें किसी विधि के अधीन दोषी नहीं ठहराया गया है और कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।
14. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि जिन जहाज स्वामियों/अभिकर्ताओं के लिए हम नाविकों की भर्ती करते हैं, उनके साथ मेरे/हमारे वैध संविदा हैं।
15. मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि नाविकों के सभी अधिकारों की उचित रूप से रक्षा की जाए और सभी नाविक रोज़गार के वैध संविदा करें तथा समझौतों के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हों।
16. मैं/हम समय-समय पर यथासंशोधित वाणिज्यिक पोत परिवहन (भर्ती और नियोजन सेवा) नियमों के उपबंधों/प्रावधानों का पालन करेंगे।
17. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, ऊपर दी गई जानकारी सही और पूरी है। मुझे/हमें पता है कि कोई भी गलत बयान या जानकारी देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

व्यक्ति/कंपनी/संस्थान/अभिकरण या किसी अन्य संगठन के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और मुहर

तारीख,

प्रपत्र 3

[नियम 7(1)(i) देखें]

शीर्ष प्रबंधन कर्मियों की अर्हता और अनुभव की घोषणा

भर्ती और नियोजन सेवा का नाम

पता

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1. पदनाम _____ नाम _____

उत्तरदायित्व _____

शैक्षणिक अर्हता _____

वृत्तिक अर्हता _____

अनुभव _____

मोबाइल संख्या _____

ईमेल आईडी (कंपनी डोमेन आईडी) _____

2. पदनाम _____ नाम _____

उत्तरदायित्व _____

शैक्षणिक अर्हता _____

वृत्तिक अर्हता _____

अनुभव _____

मोबाइल संख्या _____

ईमेल आईडी (कंपनी डोमेन आईडी) _____

3. पदनाम _____ नाम _____

उत्तरदायित्व _____

शैक्षणिक अर्हता _____

वृत्तिक अर्हता _____

अनुभव _____

मोबाइल संख्या _____

ईमेल आईडी (कंपनी डोमेन आईडी) _____

4. पदनाम _____ नाम _____

उत्तरदायित्व _____

शैक्षणिक अर्हता _____

वृत्तिक अर्हता _____

अनुभव _____

मोबाइल संख्या _____

ईमेल आईडी (कंपनी डोमेन आईडी) _____

5. पदनाम _____ नाम _____

उत्तरदायित्व _____

शैक्षणिक अर्हता _____

वृत्तिक अर्हता _____

अनुभव _____

मोबाइल संख्या _____

ईमेल आईडी (कंपनी डोमेन आईडी) _____

नौवहन महानिदेशालय का मंजूरी संख्या (चिकित्सा व्यवसायी के लिए)

वचन-पत्र

मैं/हम (व्यक्ति/कंपनी/संस्थान/अभिकरण या कोई अन्य संगठन) इसके द्वारा घोषणा करते/करती हूँ/हैं कि इस प्ररूप में 'वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2026' के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (प) में परिभाषित 'शीर्ष प्रबंधन' का सही और सच्चा ब्यौरा दिया गया है और शीर्ष प्रबंधन' के किसी भी व्यक्ति को इस घोषणा में शामिल करने से नहीं छोड़ा गया है।

व्यक्ति/कंपनी/संस्था/अभिकरण या अन्य
संगठन के हस्ताक्षर,

नाम, पद और मुहर

तारीख:

प्रपत्र 4

[नियम 7(1)(ii) देखें]

भर्ती और नियोजन सेवा और नियोक्ता/पोत-स्वामी के बीच समझौता

नियोक्ता/पोत-स्वामी का नाम, पता, टेलीफोन संख्या, फ़ैक्स संख्या, ई-मेल और पूरा ब्यौरा:

भर्ती और नियोजन सेवा का नाम, पता, टेलीफोन संख्या, फ़ैक्स संख्या, ई-मेल और पूरा ब्यौरा:

भर्ती और नियोजन सेवा के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पता, टेलीफोन संख्या, फ़ैक्स संख्या, ई-मेल और पूरा ब्यौरा:

नियोक्ता/पोत-स्वामी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पता, टेलीफोन संख्या, फ़ैक्स संख्या, ई-मेल और पूरा ब्यौरा:

जबकि, जैसा कि ऊपर बताई गई भर्ती और नियोजन सेवा ने आज ही ऊपर बताए गए नियोक्ता/पोतस्वामी के साथ सिर्फ़ अभिकर्ता के तौर पर नियोक्ता की ओर से जहाज़ पर नाविकों की भर्ती और नियोजन के लिए एक करार किया है,

नियोक्ता/पोत स्वामी किसी भी स्थान पर फंसे होने पर अपने नियोजित नाविक को वापस लाने के साथ-साथ उसके उचित भरण-पोषण करने और मृत्यु के मामले में, यदि स्थानीय विधि के अधीन अनुमति हो, तो नाविक के शव को वापस लाने का वचन देता है।

हस्ताक्षर, मुहर और सुपुर्दगी:

(नियोक्ता/पोत के स्वामी की ओर से) हस्ताक्षर, मुहर और सुपुर्दगी:

(भर्ती और नियोजन सर्विस प्रदाता की ओर से)

प्ररूप 5

[नियम 7(8) देखें]

भर्ती और नियोजन सेवा अनुज्ञप्ति

1. भर्ती और नियोजन सेवा प्रदाता का नाम -----

2. रजिस्ट्री कार्यालय का पता

3. शाखा का पता

4. कारबार के मुख्य स्थान का पता -----

5. स्थिति (व्यक्ति/कंपनी/संस्थान/अभिकर्ता या अन्य संगठन).....
6. लाइसेंस संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि ने आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं और वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2026 यथासंशोधित के अधीन विहित प्रक्रियाओं का पालन किया है। नियमों में बताई गई शर्तों के अधीन, और जब तक अनुज्ञप्ति को लिखित रूप में निरस्त या वापस नहीं लिया जाता, यह अनुज्ञप्ति..... से तक मान्य है।

तारीख:

निदेशक के हस्ताक्षर,
पोत परिवहन कार्यालय
स्टम्प और मुहर

प्ररूप 6

[नियम 9(1) देखें]

अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र

1.	नाम	
2.	स्थिति [व्यक्ति/कंपनी/संस्थान/अभिकरण या अन्य संगठन]	
3.	अनुज्ञप्ति संख्या और जारी होने की तारीख	
4.	अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि	
5.	अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान काम पर रखे गए नाविकों की कुल संख्या – श्रेणी-वार भर्ती किए गए नाविकों की लंबित शिकायतें और यदि ऐसी कोई शिकायत है, तो उसका ब्यौरा।	
6.	क्या किसी न्यायालय में कोई आपराधिक या दीवानी मामला लंबित है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें।	
7.	क्या किसी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को दोषी ठहराया गया है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें।	
8.	रजिष्ट्री कार्यालय / शाखा में परिवर्तन का ब्यौरा	
9.	नियोक्ता के साथ हस्ताक्षर किए गए करार/संविदा की कुल संख्या। कृपया फ़्लैग-वार और स्वामित्व-वार ब्यौरा दें।	

वचन-पत्र

मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सच और सही है। अगर ऊपर दी गई जानकारी में से कोई भी बात किसी भी तरह से गलत या असत्य पाई जाती है, तो मैं/हम जारी करने वाले अधिकारी के किसी भी फ़ैसले को मानने के लिए बाध्य होंगे।

तारीख:

आवेदक का नाम और पदनाम

हस्ताक्षर और मुहर

संलग्नकों की सूची: -

- i. विहित शुल्क
- ii. पोत के स्वामी / नियोक्ता के साथ समझौता
- iii. निगमन प्रमाणपत्र की प्रति
- iv. पिछले पाँच वर्षों का लाभ-हानि खाता और बैलेंस शीट
- v. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा परिसंपत्ति और देनदारियों का प्रमाण-पत्र.

प्रपत्र 7**[नियम 11(1) देखिए]****भर्ती और नियोजन सेवा प्रदाता को कारण बताओ नोटिस**

सेवा में,

महोदय,

.....एक भर्ती और नियोजन सेवा को

वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2026 के अधीन जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा से की अवधि के लिए एक अनुज्ञप्ति संख्या जारी किया गया है

2. निम्नलिखित कारणों से निम्नलिखित उपबंधों का अनुपालन करने में..... असफल रहा है:

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

3. अब इसलिए, वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2026 के नियम 11 के उप-नियम (1) के अधीन जारी करने वाला प्राधिकरण, इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने का निदेश देता है कि भर्ती और नियुक्ति सेवा अनुज्ञप्ति संख्या को निरस्त किया जाना/वापस लिया जाना नहीं चाहिए।

भवदीय,

स्थान:

निदेशक, पोत परिवहन कार्यालय[मुंबई/चेन्नई/कोलकाता]

प्रपत्र 8

[नियम 13(1) देखिए]

बैंक गारंटी को जारी करना/वापसी

तारीख: _____

सेवा में,

निदेशक

विषय: बैंक गारंटी जारी करने/वापस करने का अनुरोध – संबंधी

महोदय,

हम चेकलिस्ट के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बैंक गारंटी वापस करने का अनुरोध प्रस्तुत करते हैं:

(i) (गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर क्षतिपूर्ति / वचनपत्र जिसमें उल्लिखित किया गया हो कि अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती एवं स्थानन सेवा के निमित्त कोई मृत्यु, दिव्यांगता और मजदूरी लंबित नहीं है और अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती एवं स्थानन सेवा द्वारा भर्ती किए गए नाविक की मजदूरी, मृत्यु और मृत्यु / दिव्यांगताप्रतिकर / अन्य दायित्वों के संबंध में किसी भी आगे के दावे के लिए उत्तरदायी होगा। वचनपत्र में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / निदेशकों का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा, पैन का उल्लेख किया जाना है।

(ii) भविष्य में संसूचना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / निदेशकों का ब्यौरा.

(iii) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई और नाविक कल्याण निधिसोसाइटी, मुंबई से “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” अभिप्राप्त करना होगा और उसकी एक प्रति इस कार्यालय में जमा करनी होगी।

(iv) आज की तारीख तक मजदूरी और मृत्यु/दिव्यांगत प्रतिकर से जुड़ी किसी भी लंबित शिकायत के संबंध में घोषणा।

(v) पोत पर यात्रा कर रहे नाविकों के वर्तमान ब्यौरों और उनकी भारत वापसी का ब्यौरा दे।

धन्यवाद।

आपका आज्ञाकारी,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम और मुहर))

संपर्क ब्यौरा और ईमेल आईडी

प्ररूप 9

[नियम 21(घ) देखिए]

नाविक का नियोजन करार

यह करार मास्टर/पोत के स्वामी(कों)/अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियुक्ति सेवा या उनकेनिमित्त उनके प्रतिनिधि और एक नाविक के बीच किया गया है, जो नीचे बताए गए क्षेत्र-वार सामूहिक सौदेबाजी करार तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025, औरसमुद्रीय श्रम अभिसमय2006 के विनियम 2.1 और दूसरी तरफ बताई गई संविदा की शर्तों के अनुसार है:

(*यथा लागू हटाएं/जोड़ें)

1. लागू और मान्यता प्राप्त सामूहिक सौदेबाजी करार: 1.1 एनएमबी (भारत), 1.2 आईएनएसए-एमयूआई, 1.3 आईसीसीएसए/एनयूएसआई, 1.4 आईसीसीएसए/एमयूआई, 1.5 अन्य टिप्पण: i) लागू सीबीएपर टिक करें ii) 'अन्य' के लिए सीबीएका ब्यौरा बताएं iii) संबंधित क्लॉज़ भी देखें।	
2. पोत के स्वामी/नियोजक का ब्यौरा	4. नाविकों का ब्यौरा
2.1 नाम	4.1 नाम
2.2 पूरा डाक पता और ई-मेल:	4.2 राष्ट्रियता /आईएनडीओएससंख्या.:
	4.3 जन्म की तारीख और जन्म का स्थान (शहर और देश):
	4.4 पूरा डाक पता और ई-मेल:
2.3 टेलीफोन / फ़ैक्स संख्या:	
2.4 संपर्क व्यक्ति:	

3. मास्टर/पोत के स्वामी/अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियुक्ति सेवा या उनकेनिमित्त उनके प्रतिनिधि का ब्यौरा (जहाँ भी लागू हो):	4.5 टेलीफोन / फ़ैक्स संख्या:
3.1 नाम:	4.6 सीडीसीसंख्या / जारी करने का स्थान:
3.2भर्ती एवं स्थानन सेवाअनुज्ञप्ति संख्या:	
3.3 तक विधि मान्य:	
3.4 डाक का पता और ई-मेल:	4.7 सीडीसी जारी होने / अवसान की तारीख:
	4.8 पासपोर्ट संख्या / जारी करने का स्थान:
	4.9 पासपोर्ट जारी होने / अवसान की तारीख:
	5. निकटतम संबंधी का ब्यौरा:
3.5 टेलीफोन / फ़ैक्स संख्या:	5.1 नाम / संबंध:
3.6 संपर्क व्यक्ति:	5.2 डाक का पता और ई-मेल:
6. पोत का ब्यौरा:	
6.1 नाम:	
6.2 रजिष्ट्री / व्यापार का पत्तन:	

6.3 आधिकारिक / अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठनसंख्या.:	5.3 टेलीफोन / फ़ैक्स संख्या:
6.4 जी.टी. / पावर (किलोवाट / बीएचपी):	7. प्रमाणपत्रों का ब्यौरा:
6.5 मास्टर सहित कर्मिंदल की संख्या:	7.1 सीओसीग्रेड / संख्या.:
8. रोज़गार का ब्यौरा:	7.2 जारी करने का स्थान:
8.1 नियुक्ति की अवधि: मास:	
8.2 पोट दर मिलने वाली मासिक मज़दूरी की रकम:	7.3 जारी होने / अवसान की तारीख:
8.3 मासिक भविष्य निधि / उपदान की दर:	7.4 परिसीमाएँ (यदि कोई हों):
8.4 संदत वार्षिक छुट्टी/मास (न्यूनतम 2.5 दिन): दिन	
8.5 विश्राम के घंटे (प्रति सप्ताह न्यूनतम 77 घंटे):घंटा	
9. मासिक आवंटन की रकम:	

10. मज़दूरी के संदाय के साधन: 10.1 संदाय की पद्धति: 10.2 साप्ताहिक/मासिक अंतराल (जो लागू हो, उस पर निशान लगाएँ): 10.3 [संख्या अंतः स्थापित करें] दिन, प्रत्येक हफ्ते/मास (जो लागू हो, टिक करें)	
11. क्षमता / पद जिस पर नियोजित किया गया:	12. विशेष पोत प्रकार हेतु पृष्ठांकन का ब्यौरा (यदि लागू हो):
13. समाप्त करने के कारण:	12.1 पृष्ठांकन का प्रकार: 12.2 स्तर / प्रमाणपत्र संख्या: 12.3 जारी करने का स्थान:
14. संदाय की तारीख स्थान	16. नियोजन समाप्त करने की सूचना (खंड 6 देखिए): नियोजन प्रारंभ की तारीख: नियोजन समाप्ति की तारीख: टिप्पण: नियोजन ऊपर बताई गई अवधि तक जारी रहेगी, जब तक कि इसे किसी उचित कारण से उससे पहले समाप्त न कर दिया जाए, या उस समय पोत समुद्र में न हो; ऐसी स्थिति में यह पत्तन पर पहुँचने तक जारी रहेगी और वहाँ पहुँचने पर खत्म हो जाएगी।
15. स्वदेश वापसी का ब्यौरा (खंड 8 देखिए): 5.1 चिकित्सीय आधार पर 5.2 अन्य (खंड 8 देखिए)	
17. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा फायदा (खंड 7 देखिए):	

18. भविष्य निधि अभिदाय (एसपीएफओ) देय		19. देय उपदान (एसडब्ल्यू)	
20. चिकित्सीय प्रमाणपत्र का ब्यौरा: 20.1 जारी करने वाला प्राधिकरण: 20.2 अनुमोदन संख्या: 20.3 जारी करने की तारीख: 20.4 अवसान की तिथि:			
21.नियोजन की अतिरिक्त निबंधन और शर्तें (जहाँ लागू हों): <i>नियोजन की कोई भी अतिरिक्त शर्त, मान्यता प्राप्त सामूहिक सौदेबाज़ी करार में उपबंधित शर्तों से कम नहीं होगी।</i>			
22. स्थान और तारीख के साथ हस्ताक्षर और मास्टर या पोत स्वामी या अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा या उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि की मुहर:		23. स्थान और तारीख के साथ नाविक के हस्ताक्षर:	
1. तट पर साइन-ऑन:	2. किनारे पर साइन-ऑफ:	1. किनारे पर साइन-ऑन	2. जहाज से साइन-ऑफ:
स्थान:.....	स्थान:.....	स्थान:.....	स्थान:.....
.....			
तारीख:.....	तारीख:.....	तारीख:.....	तारीख:.....
.....			

		3. साइन-ऑन पोत: स्थान:..... तारीख:.....	4. तट पर साइन-ऑफ: स्थान:..... तारीख:.....
24. स्थान, तारीख और मास्टर की मुहर के साथ हस्ताक्षर:			
1. साइन-ऑन पोत: स्थान: तारीख:		2. पोत से साइन-ऑफ: स्थान: तारीख:	
नाविक / मास्टर / पोत स्वामी / अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा या उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि / पोत परिवहन मास्टर / एसपीएफओ / एसडब्ल्यूएफएसद्वारा हस्ताक्षर, स्थान और तारीख के साथ टिप्पणियाँ (यदि कोई हों):			

संविदा के खंड/निबंधन और शर्तें:

- मास्टर/ पोत स्वामी/अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा या उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि और नाविक के बीच यह करार इस शर्त के अधीन है कि नाविक उस पद/रैंक और वेतन पर काम करेगा जो रोजगार के अन्य निबंधनों और सेवा की शर्तों के साथ उपदर्शित किया गया है तथा ये संबंधित सेक्टर-वार सामूहिक सौदेबाजी करार या नाविक रोजगार करार के अनुसार होंगी, जो भी लागू हो।
- यह समझौता उस इलाके और उस अवधि के लिए होगा जो लागू सामूहिक सौदेबाजी करार या नाविक रोजगार करार, जो भी लागू हो में सहमति है, और यह इस करार पर पहली बार हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू होगा।

3. एतद द्वारा यह सहमति बनी कि उक्त नाविक को सामूहिक सौदेबाजी करार या नाविक रोजगार करार उपबंधों के साथ जो भी लागू हो, या समुद्री श्रम कन्वेंशन, 2006 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से जो भी अधिक हो आपूर्ति की जाएगी।
4. इस बात पर सहमति है कि नाविकों के अधिकार, कर्तव्य और नियोजन की शर्तें, तथा पोतस्वामियों की बाध्यता लागू सामूहिक सौदेबाजी करार / नाविक रोजगार करार / ध्वज राज्य द्वारा मंजूर किए गए आईएलओकन्वेंशन के उपबंधों, ध्वज राज्य के सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों/सूचनाओं/परिपत्रों/आदेशों द्वारा तय होंगी।
5. मास्टर को लागू सामूहिक सौदेबाजी करार / नाविक रोजगार करार / ध्वज-राज्य द्वारा मंजूर आईएलओकन्वेंशन के उपबंधों, ध्वज-राज्य के संबंधित कानूनों और उनके अधीन बनाए गए नियमों/सूचनाओं/परिपत्रों/आदेशों की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए। ये दस्तावेज़ पोत पर काम करने वाले नाविकों, उनके विधिक प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को किसी भी युक्तियुक्त के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
6. किसी एक नाविक के संबंध में, यह करार समाप्त किया जा सकता है। –
 - (क) आपसी सहमति से।
 - (ख) अगर चिकित्सीय साक्ष्य से उपदर्शित होता है कि कोई नाविक बीमारी या चोट के कारण अपने कर्तव्य के निर्वहन को जारी रखने में असमर्थ है;
 - (ग) यदि कोई नाविक यात्रा के लिए नियत समय पर बिना छुट्टी अनुपस्थित रहता है; या
 - (घ) अगर मास्टर की राय में, नाविक के नियोजन को बनाए रखने से पोत या उस पर मौजूद किसी व्यक्ति को खतरा हो सकता है।
7. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा फायदों में पोत पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख और उन्हें सम्यक रूप से स्वादेश वापसी की तारीख के बीच होने वाली किसी भी बीमारी या क्षति के लिए पोत स्वामी द्वारा खर्चों का भुगतान सम्मिलित है। इसमें वे भुगतान भी सम्मिलित हैं जो पोत स्वामियों को जब किसी नाविक की मृत्यु हो जाती है या उसे लंबे समय के लिए निश्चिन्ता हो जाती है, करना अपेक्षित होता है तथा 'नाविक रोजगार करार' के अधीन सेवा कर रहा हो और उसे काम से क्षति, बीमारी या खतरे के कारण होती है, जो नाविक के रोजगार करार के अधीन सेवा करते समय या ऐसे करार के अधीन उसके रोजगार से उत्पन्न होती है और पोत के खो जाने या डूबने की स्थिति में प्रतिकर भी सम्मिलित है।
8. नाविकों की स्वदेश वापसी उनके लिए बिना किसी खर्च के होगी और यह 'नाविक रोजगार करार' की धारा 15.1 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार होगी। 'अन्य' के अधीन सम्मिलित उपबंधों में ये बातें हैं::

(क) जहाँ नाविकों का रोजगार करार समाप्त होता है;

(ख) जब नाविकों का रोजगार करार, -

(i) पोत स्वामी द्वारा; या

(ii) नाविकों द्वारा, न्यायोचित कारणों से, सामूहिक सौदेबाजी करार या नाविकों के रोजगार करार के अनुसार समाप्त हो जाता है;

(ग) जब नाविक अपने रोज़गार करार के अधीन अपने कर्तव्यों को करने में असमर्थ हों, या सामूहिक सौदेबाज़ी करार या नाविकों के रोज़गार करार के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में उनसे ऐसा करने की प्रत्याशा न की जा सके;

(घ) सामूहिक सौदेबाज़ी करार या नाविक रोज़गार करार के अनुसार मानवीय आधार पर;

(ङ) परित्यक्त नाविक के मामले में।

9. नाविक के रोज़गार करार में रोज़गार की अवधि को बढ़ा हुआ समझा जाएगा, यदि इसे नाविक और पोत स्वामी के बीच आपसी सहमति से बढ़ाया गया हो।

10. नाविक रोज़गार करार की एक प्रणाली सृजित प्रति और पाँच सेट, मुद्रित और मूल रूप में हस्ताक्षरित (व्यक्तिगत और इलेक्ट्रॉनिक रूप से) किए जाएँगे, जिनका इस प्रकार वितरण किया जाएगा:

(क) सेट 1: पोत पर कप्तान

(ख) सेट 2: नाविक

(ग) सेट 3: पोत स्वामी/नियोजक/अनुज्ञप्ति-प्राप्त भर्ती और नियोजित सेवा/पोत स्वामी की ओर से उनका प्रतिनिधि

(घ) सेट 4 और 5: इन्हें पोत स्वामी/नियोजक/अनुज्ञप्ति-प्राप्त भर्ती और नियोजन सेवा/उनके प्रतिनिधि के पास तब तक रखा जाता है, जब तक कि नाविक के पोत से साइन-ऑफ़ करने के पश्चात् नियोजक/आरपीएसको सेट 3 (जिस पर मास्टर और नाविक के सही हस्ताक्षर हों) मिल न जाए।

टिप्पण: एसपीएफओ और कल्याण निधि के भुगतान के साथ सेट 3 की एक कॉपी एसपीएफओ, एसडब्ल्यूएफएसओ और पोत परिवहन कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।

प्ररूप 10

[नियम 21(ट) देखें]

भारतीय नाविक द्वारा या उसके साथ पोत पर हुई ऐसी घटना की रिपोर्ट जिसके कारण क्षति (मामूली क्षति को छोड़कर), लापता होने, मृत्यु, पोत से गिरकर खो जाने या हत्या की घटना हुई हो।

(जानकारी प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर जमा किया जाना है)

1. नाविक का नाम
2. लिंग
3. आयु
4. जन्म तिथि
5. कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सीडीसी) संख्या
6. सक्षमता प्रमाण-पत्र (सीओसी) के ब्यौरा, जहाँ लागू हो
7. घटना की तारीख और समय

8. इंडोस संख्या।
9. निकट संबंधी के ब्यौरा
 - (क) नाम
 - (ख) संबंध
 - (ग) पता, दूरभाष संख्या और ई-मेल/फ़ैक्स
8. दुर्घटना/घटना का स्वरूप, जिसमें हुए नुकसाभियों/हताहतों की जानकारी भी है। (अतिरिक्त शीट का उपयोग करें यदि अपेक्षित हो)
9. समुद्री दुर्घटना / घटना में सम्मिलित पोत के ब्यौरा
 - (क) पोत का नाम और अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आईएमओ)संख्या
 - (ख) टन भार
 - (ग) पोत की जगह
 - (घ) ध्वज
 - (ङ.) सम्मिलित तटीय राज्य
 - (च) प्रोटेक्शन एंड इंडेन्सिटी (पीएंडआई) क्लब का नाम
 - (छ) कप्तान का नाम
 - (ज) स्वामियों के ब्यौरे
10. भारत में भर्ती और नियोजन सेवा के ब्यौरे
 - (क) नाम
 - (ख) पता, दूरभाष संख्या और ईमेल / फ़ैक्स पता
 - (ग) लाइसेंस संख्या
11. नाविक को दी गई सहायता का ब्यौरा
12. नाविक का बीमा कवरेज

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता
का नाम और
पदनामहस्ता
क्षर और मुहर

प्ररूप 11

[नियम 24(7) देखें]

कल्याण कोष में अभिदाय की रसीद

1. भुगतानकर्ता का नाम और पता: _____
2. भुगतान की गई रकम: ₹ _____ (शब्दों में: _____)
3. भुगतान की नियत तारीख: _____
4. भुगतान की वास्तविक तारीख: _____
5. वह तिमाही अवधि जिसके लिए अभिदाय दिया गया:
6. भारतीय पोतों से भिन्न अन्य पोतों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या:

(नाविक कल्याण निधि सोसाइटी की मुहर)

नाम: _____

पदनाम: _____

तारीख: _____

[फा. सं. एसवाई-19014/197/2025-एमजी-भाग(4)]

वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2026

G.S.R. 777(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5, clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 78, sub-section (1) and clauses (d), (f), (g), (h), (i), (m) and (n) of sub-section (2) of section 113 and clauses (f) and (m) of sub-section (2) of section 319 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

Chapter I General Provisions

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) “branch office” means an office of the recruitment and placement servicesubordinate to the principal place of business;

(c) “collective bargaining agreement” means, —

(i) an agreement signed, from time to time, between the union of seafarers and the association of ship owners containing the terms and conditions of employment as per the Maritime Labour Convention for seafarers onboard Indian flag ships; or

(ii) an agreement signed between the union of seafarers concerned and ship owners or employers or licenced recruitment and placement serviceon their behalf or their associations for an employment on board foreign flag ships, which is in conformity with the laws and acceptable to the flag State concerned.

Explanation.— For the purposes of this sub-clause, the expression “conformity with the laws and acceptable to the flag State concerned” means when such collective bargaining agreement is referred to in the seafarer employment agreement, and which has been submitted along with Part II of the Declaration of Maritime Labour Compliance by the shipowner to the flag state for endorsement and subsequent issuance of the Maritime Labour Certificate;

(d) “employer” means any person who assumes the responsibility of employing seafarer in respect of a ship and who has agreed to take over all such duties and responsibilities as of the ship owner;

(e) “Form” means a form appended to these rules;

(f) “Inspecting Authority” means any person or recognised organisations authorised by the Director-General to carry out an inspection under these rules;

(g) “Issuing Authority” means the director appointed under clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act;

(h) “jurisdictional Issuing Authority” means the director whose jurisdiction of the principal place of business of recruitment and placement serviceis specified in Schedule II;

(i) “licence” means a licence issued to a recruitment and placement service under these rules;

(j) “licenced recruitment and placement service” or “Licenced RPS” means any recruitment and placement service which possesses a valid licence granted under these rules;

(k) “Maritime Labour Convention” means the Maritime Labour Convention signed in Geneva on the 23rd day of February, 2006;

(l) “Maritime Labour Compliance Board” means the Board constituted under rule 5;

(m) “piracy” means piracy as defined in clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Maritime Anti-Piracy Act, 2022 (3 of 2023);

(n) “principal place of business” means the place primarily from where the recruitment and placement is conducted and wherein inspection shall be carried out;

(o) “recruitment and placement service” or “RPS” means recruitment and placement service as defined in clause (b) of section 55 of the Act;

(p) “registered office” means the registered office of recruitment and placement service, as recorded in the document of incorporation, registration, or any other government-issued registration or licence evidencing the address of such person, company, institution, agency or other organisation, as applicable;

(q) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;

(r) “ship owner” means ship owner as defined in clause (c) of section 55 of the Act;

(s) “top management” means the person or group of persons at the highest level of management within a recruitment and placement service, having responsibility for directing and controlling its operations and for ensuring implementation of its objectives and statutory obligations.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application. – These rules shall apply to –

- (a) Indian seafarers recruited through a licenced recruitment and placement service, unless otherwise specified; and
- (b) recruitment and placement service.

Chapter II

Issuing Authority and Maritime Labour Compliance Board

4. Complaint concerning activities of recruitment and placement services. —

(1) A complaint concerning the activities of recruitment and placement services may be submitted by a seafarer to the Issuing Authority electronically and shall be addressed by the Issuing Authority.

(2) The Issuing Authority shall examine and address the complaints or grievances of a seafarer engaged by recruitment and placement service for ships other than Indian ships, provided that such complaints or grievances are submitted within a period of three years from the date of the incident giving rise to such complaint or grievance, as the case may be.

5. Maritime Labour Compliance Board. — (1) For the purpose of ensuring compliance with Part V of the Act, there shall be a Maritime Labour Compliance Board comprising of the following persons, namely: –

- (a) the Director-General, Chairperson, *ex officio*.
- (b) Additional Director-General, Co-chairperson, *ex officio*;
- (c) nautical advisor, *ex officio*, Co-chairperson;
- (d) chief surveyor, *ex officio*, Co-chairperson;
- (e) chief ship surveyor, *ex officio*;
- (f) All principal officers and surveyor-in-charge of Mercantile Marine Departments, *ex officio*;
- (g) Deputy Director-General (Crew), *ex officio*, Member Secretary
- (h) shipping master, Director and seafarer’s welfare officer of all Shipping offices, *ex officio*;
- (i) representative of Seafarers’ Welfare Fund Society;
- (j) representative of Seamen’s Provident Fund Organisation;
- (k) three representatives of shipowners’ organisations, as observers; and
- (l) three representatives of seafarer’s organisations, as observers.

(2) The Chairperson may invite any person, such as inspection authorities, seafarer welfare bodies and industry associations to attend a meeting of the Board for the purpose of providing expert advice or information relevant to the functions of the Board.

(3) The Maritime Labour Compliance Board shall–

- (a) review the requirements for compliance of the Maritime Labour Convention with respect to ships and recruitment and placement services;
- (b) advise on applications for issuance of licence for recruitment and placement services;
- (c) advise on such other matters as may be referred by the Director-General.

Chapter III

Licence for recruitment and placement service

6. Recruitment and placement of seafarers. —No person, other than an owner of Indian ship in respect of the ship owned by him, shall carry on the business of recruitment and placement service, unless he is in possession of a valid licence granted under these rules.

7. Procedure for issue of licence. — (1) Any person, company, institution, agency or other organisation, in public or private sector which is desirous of obtaining a licence shall submit an application to the Issuing Authority in Form-I electronically with fees payable as specified in Schedule I, and accompanied with the following documents, namely: –

- (a) declarations in Form-II and Form- III;
- (b) an agreement in Form-IV;
- (c) details of the single point of contact of the applicant; and
- (d) bank guarantee from a scheduled bank for the amount as specified in table in sub-rule (3) of rule 8.

(2) Upon receipt of the application under sub-rule (1), the Issuing Authority shall examine the application and satisfy himself of the compliance with these rules, within fifteen days from the date of submission of the application.

(3) The Issuing Authority shall forward the application electronically to the inspecting authority for the purpose of inspection in accordance with Schedule IV and such other criteria as may be specified by the Director-General.

(4) Upon conducting the inspection under sub-rule (3), the inspecting authority shall submit a report to the Issuing Authority within fifteen days from the date of receipt of the application from the Issuing Authority.

(5) Upon receipt of the inspection report, the Issuing Authority shall, if satisfied, submit the recommendation for approval or rejection of the application, to the Director-General, within fifteen days from the date of receipt of report under sub-rule (4).

(6) The top management of the recruitment and placement service shall, on receipt of communication from the Director-General, make a presentation covering the details specified in Schedule III, to the Maritime Labour Compliance Board.

(7) The Maritime Labour Compliance Board shall submit its recommendation, in writing, to the Issuing Authority.

(8) The Issuing Authority shall issue the licence to recruitment and placement service electronically in Form-V, subject to such conditions as may be specified by the Director-General or reject the application.

(9) Where any licence is issued under sub-rule (8), login credentials shall be provided to the recruitment and placement service by the Issuing Authority, which shall not be used by any other person.

(10) In case of any rejection under this rule, the reasons for rejection of the application shall be intimated to the applicant.

8. Bank guarantee. — (1) Every recruitment and placement service shall furnish and maintain with the jurisdictional Issuing Authority, a bank guarantee of such amount specified in the table in sub-rule (3) and shall be drawn on a scheduled bank in India in favour of the Issuing Authority concerned to ensure compliance with the obligations arising under these rules and to safeguard the interests of seafarers recruited or placed by such recruitment and placement service.

(2) The bank guarantee amount specified in the table in sub-rule (3) shall apply to all recruitment and placement service applying for issuance of a licence under these rules.

(3) All existing licenced recruitment and placement service shall submit a bank guarantee to cover the differential amount as specified in the table below, within three years from the date of commencement of these rules:

Provided that this sub-rule shall not apply to existing licenced recruitment and placement service which seek to expand its recruitment capacity.

Table

Sr. No	Number of seafarers proposed to place on foreign flag ships and Indian flag ships	Amount of Bank Guarantee in Indian rupees
(1)	(2)	(3)
1.	Up to 50	25 lakhs
2.	Up to 250	40 lakhs
3.	Up to 500	55 lakhs
4.	Up to 750	70 lakhs
5.	Up to 1000	85 lakhs
6.	Above 1000	1 Crore

Explanation. - For purposes of this sub-rule, the expression “*existing licenced recruitment and placement service*” means such recruitment and placement service holding a valid licence issued under the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016.

(4) The bank guarantee shall be commensurate with the number of recruitments and placements.

(5) The bank guarantee shall be valid, irrespective of the licence being suspended or withdrawn, for the licence period or till the date of completion of contract employment of all seafarers recruited by the respective recruitment and placement service, whichever is later.

(6) The bank guarantee shall be furnished under sub-rule (1) to cover the following circumstances, in which the Issuing Authority may invoke the bank guarantee, namely: –

(a) the cost of repatriation of an abandoned seafarer or stranded seafarer or a seafarer who is detained or arrested, which includes the cost of such travel by appropriate and expeditious means, normally by air, and provision for food, clothing, drinking water supply, essential fuel for survival on board the ship, accommodation of the seafarers from the time of leaving the ship until arrival at the seafarer’s home, necessary medical care, passage and transport of personal effect, the transportation of the mortal remains of a seafarer in the event of his death and any other reasonable costs or charges from the act or omission constituting the abandonment until the seafarer’s arrival at home;

(b) in the event of detention or arrest of abandoned seafarer arising out of or in course of employment and at the discretion of the Director-General, the legal cost and fees required for representing such seafarer, including the cost of accommodation, telephone services, provision for food and clothing;

(c) monetary loss, including the outstanding wages and other entitlements due from the ship owner to the seafarer, that a seafarer may incur as a result of the failure of a recruitment and placement service or the relevant ship owner to meet its obligation under the seafarer’s employment agreement or the relevant collective bargaining agreement:

Provided that invocation of the bank guarantee for any monetary loss shall be based on such claim being made by the seafarer to the Issuing Authority, prior to which the seafarer shall comply with the following procedure of complaint, namely:–

(i) make a complaint in accordance with on board compliant procedure of the flag State; and

(ii) inform the recruitment and placement service of all details of the monetary loss, at the earliest convenience.

(7) Where the licenced recruitment and placement service is desirous of enhancing its bank guarantee, to increase the number of recruitments and placements, the licenced recruitment and placement service shall furnish requisite bank guarantee along with an application in such form as may be specified by the Director-General.

(8) No application shall be made under sub-rule (7) within six months from the date of issuance of the initial licence.

(9) Any licenced recruitment and placement service making an application under sub-rule (7) shall ensure that—

(a) it has demonstrated operational performance, with no outstanding complaints or grievances pending against it; and

(b) as far as practicable, the application is clubbed with the annual audit of the licenced recruitment and placement service, to enable verification by the Inspecting Authority:

Provided that in exceptional cases, an application submitted outside the regular annual audit cycle may be considered by the issuing authority for reasons to be recorded in writing.

(10) The issuing authority shall forward the application electronically to the inspecting authority for the purpose of inspection in accordance with Schedule-V.

(11) Upon conducting the inspection under sub-rule (10), the inspecting authority shall submit a report to the Issuing Authority within fifteen days from the date of receipt of the application under sub-rule (10).

(12) Upon receipt of the inspection report, the Issuing Authority shall, if satisfied, make a recommendation to the Director-General to enhance the bank guarantee.

(13) Upon receipt of the recommendation in sub-rule (12), the Director-General shall enable enhancement.

9. Procedure for renewal of licence. — (1) An application for renewal shall be submitted in Form-VI electronically prior to the date of expiry of the current licence with fees payable as specified in Schedule I.

(2) No application for renewal of licence shall be submitted after the expiry of the licence.

(3) Upon receipt of the application under sub-rule (1), the Issuing Authority shall examine the application and satisfy himself of the compliance with these rules, within fifteen days from the date of submission of the application.

(4) The issuing authority shall forward the application electronically to the inspecting authority for the purpose of inspection in accordance with Schedule IV and such other criteria as may be specified by the Director-General.

(5) Upon conducting the inspection under sub-rule (4), the inspecting authority shall submit a report to the Issuing Authority within fifteen days from the date of receipt of the application from the Issuing Authority.

(6) Upon receipt of the inspection report, the Issuing Authority shall, if satisfied, renew the licence of the recruitment and placement service electronically in Form VI or reject the application, within fifteen days from the date of receipt of report under sub-rule (5):

Provided that in case of rejection of the application, the reasons for rejection of the application shall be intimated to the applicant:

Provided further that no order of rejection shall be made unless the recruitment and placement service has been given an opportunity of being heard.

(7) Where any person carries on the business of a recruitment and placement service without a valid licence, including during the period after expiry of the licence and before the grant or renewal thereof, such person shall be liable to punishment under sub-section (3) of section 281 of the Act.

10. Validity of licence. — (1) The licence issued or renewed under these rules shall be valid for a period not exceeding five years, subject to annual inspections.

(2) The licence issued under these rules shall not be transferable.

11. Suspension or withdrawal of licence. — (1) The jurisdictional Issuing Authority on receipt of a report by the inspecting authority, or a complaint by a seafarer concerned or otherwise, if he has a reason to believe that the activities of the licenced recruitment and placement service are in contravention of the provisions of the Act or these rules or against the interest of the seafarer, may issue a show cause notice in Form -VII to the licenced recruitment and placement service, requiring it to show cause within a period of thirty days from the date of issue of such notice, as to why the licence shall not be suspended or withdrawn.

(2) After issuance of a show cause notice under sub-rule (1) and prior to issuance of an order under sub-rule (3), the Issuing Authority may prevent a licenced recruitment and placement service to recruit or place any further seafarer, which shall be intimated to the Director-General.

(3) The jurisdictional Issuing Authority shall, within sixty days of receipt of the reply to the show-cause notice, issue an order including an order for suspension or withdrawal of the licence, which shall be intimated to the jurisdictional Principal Officer and the Director-General.

(4) Every order for withdrawal or suspension shall be a reasoned order in writing and be published in the official website by the Director-General:

Provided that no order for suspension or withdrawal shall be passed unless the recruitment and placement service has been given a reasonable opportunity of being heard.

(5) Where a licence is suspended or withdrawn under this rule, the recruitment and placement service and its top management shall be debarred for a period of five years from applying for or obtaining any licence or approval under the Act.

12. Voluntary surrender of licence. — (1) Any licenced recruitment and placement service desirous of surrendering the licence may apply electronically to the Issuing Authority.

(2) Where any application is received under sub-rule (1), the Issuing Authority shall cancel the licence, subject to the satisfaction of the following conditions, namely: —

- (a) no seafarers are engaged by the recruitment and placement service, on behalf of any ship owner;
- (b) there are no outstanding complaints concerning the activities of recruitment and placement services;
- (c) there are no outstanding complaints or grievances of a seafarer;
- (d) there are no outstanding dues in relation to seafarers' welfare fees, welfare fund contribution and fees for repatriation or replacement of seafarers, payable by the recruitment and placement service; and
- (e) there are no outstanding wages or any other compensation due to seafarers.
- (f) any other conditions specified by Director General.

(3) The Issuing Authority may invoke the bank guarantee if any of the conditions referred to in sub-rule (2) are not fulfilled.

13. Release or return of bank guarantee. — (1) Where any licence is cancelled under sub-rule (2) of rule 12 or where the licence issued has expired, the person to whom the licence was issued, may apply to the Issuing Authority for seeking release or return of the bank guarantee in Form-VIII.

(2) The Issuing Authority shall, subject to satisfaction of the conditions specified in sub-rule (2) of rule 12, release or return the bank guarantee—

- (a) after three years from the date of submission of the application in sub-rule (1), in case no complaint has been received from any seafarer; or
- (b) after the seafarer is repatriated or compensation is settled, in cases where any seafarer is either abandoned or held captive or detained or imprisoned or any pending claim for compensation arising therefrom.

Chapter IV

Inspection

14. Inspection. — (1) Every licenced recruitment and placement service shall submit an application for annual inspection electronically, within two months prior to or one month after the anniversary date of the issue of such licence.

Explanation. — For the purposes of this sub-rule, the expression “anniversary date” means the day and month of each year, which corresponds to the date of expiry of the licence of the recruitment and placement service.

(2) Upon receipt of the application under sub-rule (1), the Issuing Authority shall examine the application within fifteen days from the date of submission of the application.

(3) The Issuing Authority shall forward the application electronically to the inspecting authority for the purpose of verifying continued compliance with the Act and these rules, in accordance with Schedule IV and such other criteria as may be specified by the Director-General.

(4) Upon conducting the inspection under sub-rule (3), the inspecting authority shall submit a report to the Issuing Authority within fifteen days from the date of receipt of the application from the Issuing Authority.

(5) Upon receipt of the inspection report, the Issuing Authority shall electronically record the annual inspection.

(6) The Director-General shall conduct the third annual inspection from the date of issuance or renewal of the licence.

(7) The Director-General or Issuing Authority may, if deemed necessary, direct that a special inspection be conducted by the inspecting authority for any other purpose as may be specified by the Director-General or Issuing Authority.

15. Seeking assistance of police or law enforcement authorities.— (1) The Director-General or any authorised officer, may seek assistance of the police or other jurisdictional law enforcement authorities if circumstances so require, for facilitating inspections under these rules.

(2) Every recruitment and placement service shall extend all reasonable assistance and cooperation to the inspecting authority and shall not obstruct or hinder the lawful discharge of functions under these rules.

16. Recruitment and placement service without licence. — (1) Where the Director-General receives information indicating that any person, company, institution, agency or other organisation is conducting, or claiming to conduct, any recruitment or placement service without valid licence under these rules, the Director-General or an officer authorised by it may examine such information.

(2) Where, upon such examination, it appears to the Director-General that such person is operating without a valid licence in contravention of these rules, the Director-General may take the following actions, namely: –

- (a) issuance of directions to discontinue such activity;
- (b) dissemination of information for the notice of seafarers and other authorities;
- (c) reporting the matter to the appropriate law enforcement authority or agency; and
- (d) any other action as may be necessary in the public interest.

Chapter V

Duties of licenced recruitment and placement service

17. Change of top management. — (1) Any licenced recruitment and placement service desirous of making any change to its top management shall submit an application for approval electronically to the Issuing Authority.

(2) On receipt of an application under sub-rule (1), the Issuing Authority shall, subject to such conditions as may be specified by the Director-General, grant or reject the application.

(3) No order for rejection shall be issued under sub-rule (2) without giving the licenced recruitment and placement service a reasonable opportunity of being heard.

(4) No change to the top management shall be permissible except with the prior approval of the Issuing Authority granted under this rule.

18. Intimation of change in agreement or contract. — Where any change is made to the agreement or contract between the shipowner or employer and the licenced recruitment and placement service, the licenced recruitment and placement service shall, within thirty days of such change, intimate the Issuing Authority and submit a copy of the revised agreement or contract along with the requisite bank guarantee as specified in the Table under sub-rule (3) of rule 8, and the applicable fees as specified in Schedule I.

19. Intimation of change in place of business. — (1) The licenced recruitment and placement service shall, in the case of any change in place of its business, intimate the Issuing Authority electronically, along with fees as specified in Schedule I, giving details of such change, within seven days of the change.

(2) Subject to verification and the satisfaction of the Issuing Authority, the updated place of business shall be reflected in the licence issued under these rules.

20. Intimation for change of name of licenced recruitment and placement service. – (1) The licenced recruitment and placement service shall, in case of change in its name, intimate the Issuing Authority along with all supporting documents and fees as specified in Schedule I, within seven days of such change.

(2) Subject to verification and the satisfaction of the Issuing Authority, the updated name shall be reflected in the licence issued under these rules.

Chapter VI

Responsibilities of licenced recruitment and placement service

21. Responsibilities of a licenced recruitment and placement service. — Every licenced recruitment and placement service shall—

(a) maintain an up-to-date record of all seafarers recruited or placed through it, which shall be available for an inspection by the inspecting authority, as and when required;

(b) ensure that its management and staff, –

(i) are adequately trained, and have relevant knowledge of the maritime industry to the extent of the duties assigned to them in this context;

(ii) shall have at least one person in its top management who, for the purposes of these rules, has previously held or currently holds a valid management-level certificate under the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers, 1978, as amended, which has not been cancelled or withdrawn, and which is issued or recognised or accepted by the Director-General:

Provided that where the licenced recruitment and placement service is engaged exclusively in recruitment and placement of seafarers for the cruise sector, relevant and verifiable industry experience at the management level may be accepted in lieu of a Certificate of Competency:

Provided further that, where the licenced recruitment and placement service is engaged exclusively in recruitment and placement for dredgers, fishing vessels, or any other class of vessels, an equivalent grade or certificate appropriate to such vessels shall be accepted for the purposes of this rule;

(iii) shall not be employed with more than one recruitment and placement service at any given time;

(iv) shall not be actively engaged in sea-going service while simultaneously serving in a management capacity in a recruitment and placement service;

(c) ensure that seafarers recruited or placed by it are informed of their rights and duties under their seafarer employment agreements, including the name and details of the ship owner, prior to or in the process of their engagement, and that proper arrangements are made for such seafarers to examine their seafarer employment agreements or contracts before and after they are signed on and also that they are provided with copies of the said agreements or contracts:

Provided that where any licenced recruitment and placement service does not disclose the name and details of the ship owner to the seafarer, while entering into the seafarer employment agreement or contract, such recruitment and placement service shall be deemed to be the ship owner for the purposes of offences and penalties under sections 281 and 282 of the Act;

(d) ensure that the seafarer employment agreement or contract shall, in all cases, contain the particulars mentioned in Form-IX and is electronically signed.

(e) verify that seafarers recruited or placed by them are qualified and hold the documents necessary for the jobs concerned; and that the seafarers' employment agreements or contracts are in accordance with the applicable flag State laws and regulations and any collective bargaining agreement that forms part of their employment agreements;

(f) ensure, as far as practicable, that the ship owner has the means to protect such seafarers from being stranded in a port; and in such an event, shall make adequate provisions for their repatriation along with the maintenance and required emergency medical assistance prior to repatriation and the transportation of the mortal remains of a seafarer in the event of death;

(g) ensure that the ship owner repatriates abandoned seafarers along with their maintenance and required medical assistance before such repatriation;

(h) examine promptly and adequately and respond to any complaint concerning its activities and inform the Director-General about any unresolved complaint;

(i) ensure that no means or mechanism or lists are used to prevent or deter seafarers from gaining an employment for which they are qualified;

(j) ensure that the ship owner bears the cost of visas, charges for pre-sign on and post-sign off medical examination, wherever required, seafarers' welfare fees, welfare fund contribution and fees for repatriation or replacement of seafarers:

Provided that the cost of obtaining a medical certificate, the continuous discharge certificate or identity document and a passport or other similar personal travel documents may be borne by the seafarers or any person on their behalf;

(k) ensure that any incident onboard the ship causing injury (excluding minor injuries), disappearance, death, loss overboard or homicide of an Indian seafarer, be reported in Form-X electronically to the Issuing Authority, or any other person authorised by the Director-General at the earliest not exceeding twenty-four hours of receipt of such information;

(l) ensure that information about available claims which can be made to the Seafarers Welfare Fund Society and the Seafarer's Provident Fund Organisation, as the case may be, in the event of death or disappearance or abandonment of a seafarer, is provided to the family of the seafarer;

(m) develop and maintain operational practices to verify the seafarers' medical examination, identity documents and such other items as may be required for seafarers to gain an employment;

(n) maintain, with due regard to the right to privacy and need to protect confidentiality in accordance with applicable law, full and complete records of the seafarers covered by their recruitment and placement system, which shall include but not be limited to—

- (i) the seafarers' qualifications;
- (ii) record of employment;
- (iii) personal data relevant to employment and related to next-of-kin; and
- (iv) medical data relevant to employment;

(o) maintain up-to-date lists of the ships, for which the licenced recruitment and placement services provide seafarers and ensure that there are reasonable means by which the ships can be contacted in an emergency, at all hours;

(p) ensure that seafarers are not subject to exploitation by their personnel with regard to offer of engagement on particular ships or by particular companies;

(q) put in place the procedures to prevent the opportunities for exploitation of seafarers arising from the issue of joining advances or any other financial transaction between the ship owner and the seafarer which are handled by the licenced recruitment and placement service;

(r) clearly publicise cost, if any, which seafarer is expected to bear in the recruitment process;

(s) ensure that the seafarers are informed of any particular condition applicable to the jobs for which they are to be engaged and of the particular ship owner's policies relating to their employment;

(t) ensure that the procedures followed while dealing with cases of incompetence or indiscipline are consistent with the principles of natural justice, the applicable law and practice and, wherever applicable, with collective bargaining agreements;

(u) ensure that all mandatory certificates and documents submitted for employment are up to date and have not been fraudulently obtained and that employment references are verified;

(v) where a certificate or document issued is found to be not authentic, the licenced recruitment and placement service shall report the case, and such fraudulently obtained certificates to be reported to Director-General;

(w) ensure that in circumstances where seafarers are kidnapped, abandoned, or subjected to comparable distress situations, all requests for information, assistance, or advice from seafarers or their families are addressed promptly, sympathetically, and free of cost;

(x) verify that the labour conditions including accommodation on ships where seafarers are placed are in conformity with applicable laws and collective bargaining agreements;

(y) ensure that the ship owner maintains adequate financial security to ensure the payment of compensation in the event of—

- (i) the death of a seafarer arising from any cause while such seafarer is serving under a Seafarers' Employment Agreement; or
- (ii) in the event of long-term disability due to an occupational injury, illness, or hazard, as provided for under the Seafarers' Employment Agreement or the applicable collective bargaining agreement, as the case may be.

(z) ensure that the ship owner receives, deals with and impartially settles contractual claims relating to compensation referred to in clause (y) through fair procedures expeditiously and not later than the timelines specified below:

- (i) the compensation for death under sub-clause (i) of clause (y) shall be paid within three months from the date of the incident;
- (ii) the compensation for long-term disability under sub-clause (ii) of clause (y) shall be paid, as far as practicable, within twelve months from the date of the incident;

(za) ensure that a copy of the licence granted under these rules is prominently displayed at the premises of the licenced recruitment and placement service at a place accessible to public;

(zb) ensure that the number, date of issue and the validity period, of the licence are mentioned in all of their advertisements published and the licence number is mentioned in all its communications;

(zc) ensure that where the seafarer is abandoned, it shall be reported electronically to the Issuing Authority, or any other person authorised by the Director-General, within twenty-four hours of receipt of such information;

(zd) ensure that measures are in place to prevent and address violence and harassment, including sexual harassment, bullying and sexual assault, in recruitment and placement processes in compliance with the Maritime Labour Convention;

(ze) ensure that the Indian ship owner pays the seafarers welfare fees and welfare fund contribution for every seafarer engaged by the licenced recruitment and placement service on such Indian ship in accordance with the Merchant Shipping (Seafarers Welfare Board and Levy of Fees) Rules, 2026;

(zf) ensure that the shipowner complies with the ship owners' obligations relating to repatriation as specified in the Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2026;

(zg) ensure that Indian seafarers on board a ship other than an Indian ship, who have been abandoned in any port or place outside coastal waters and are entitled to be repatriated, are repatriated in accordance with rule 22, by coordinating with the shipowner and authorities, as the case may be;

(zh) ensure that all the structured shipboard training programmes are planned and monitored to meet the applicable standards of competence as specified by the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers, 1978, as amended, and the applicable rules made under the Act and encourage seafarers to achieve the higher levels of competence;

(zi) ensure that where a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships or is detained or imprisoned, wages and other entitlements, including repatriation, under the seafarers' employment agreement, relevant collective bargaining agreement or these rules, as applicable, including the remittance of any allotments, shall continue to be paid during the entire period of captivity and until the seafarer is released and duly repatriated or, where the seafarer dies while in captivity, until the date of death;

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “armed robbery against ships” means any illegal act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, other than an act of piracy, committed for private ends and directed against a ship or against persons or property onboard such a ship, within a country's internal waters, archipelagic waters and territorial waters, or any act of inciting or of intentionally facilitating such acts.

(zj) ensure that a seafarer with whom an employment agreement is entered, is put on board the same ship, if the seafarer is ready and willing to do so and reports to the ship as directed.

Chapter VII

Repatriation of Seafarers and Welfare Fund Contributions

22. Repatriation of abandoned seafarers. — (1) If a ship owner of a ship other than an Indian ship fails to make arrangements for or to meet the cost of repatriation of abandoned seafarers in any port or place outside coastal waters who are entitled to be repatriated, then—

- (a) the financial security provider shall arrange for the repatriation of the seafarer concerned;
- (b) the competent authority of the Member whose flag the ship flies shall arrange for repatriation of the seafarers concerned; and if it fails to do so, the country from which the seafarers are to be repatriated or the State of which they are a national may arrange for their repatriation and recover the cost from the Member whose flag the ship flies;
- (c) costs incurred in repatriating seafarers shall be recoverable from the ship owner by the Member whose flag the ship flies;

(d) the expenses of repatriation shall in no case be a charge upon the seafarers, except as provided for in sub-rule (2).

(2) The ship owner shall not make any provision requiring that seafarers make an advance payment towards the cost of repatriation at the beginning of their employment, and also from recovering the cost of repatriation from the wages of seafarers or other entitlements except where the seafarer has been found, as per the applicable collective bargaining agreements, to be in serious default of the seafarer's employment obligations.

23. Fees for repatriation or replacement of seafarers. — (1) There shall be levied and collected, in respect of engagement of every seafarer, a fee for repatriation or replacement of seafarers at the rate of fifty rupees or such other rate as the Central Government may, by notification, specify from time to time, for the purpose of repatriation of seafarers.

(2) In respect of all ships other than Indian ships, fees referred to in sub-rule (1) shall be payable by the licenced recruitment and placement service, where the seafarer is engaged by the ship owner for the ship owned by them.

(3) The fees mentioned in the sub-rule (1) shall be subject to revision by the Director-General.

(4) The revision referred to in sub-rule (3) may be carried out once in every three years:

Provided that the amount so revised shall not exceed twenty-five per-cent of the contribution referred to in sub-rule (1).

(5) The fee shall be paid by electronic transfer to the Government account.

(6) Any expenses incurred for the repatriation or replacement of seafarers from the fees collected under sub-rule (1), shall be recoverable from the concerned ship owner or licenced recruitment and placement service by the Central Government in accordance with sub-section (4) of section 67, section 91 and section 92 of the Act.

Provided that the amount so recoverable shall be arrived after deducting the fees for repatriation or replacement of seafarers already paid by such ship owner or licenced recruitment and placement service under sub-rule (1) on the date of commencement of proceedings for recovery under the Act.

(7) The amount of fee for repatriation or replacement of seafarers collected under sub-rule (1) and expenses recovered under sub-rule (6) shall be credited to the Consolidated Fund of India.

(8) The Central Government shall determine, annually, the cost of collection of the fees and expenses specified in sub-rule (6), and after deduction of such cost from the gross collections, the net proceeds shall be remitted to the Seafarers Welfare Fund Society.

(9) The fees for repatriation or replacement of seafarers levied under sub-rule (1) and expenses recovered under sub-rule (6) and remitted to the Seafarers Welfare Fund Society shall be utilised, subject to the prior approval of the Director-General, solely for the purpose of repatriation or replacement of abandoned seafarers, in accordance with the Act and rules made thereunder.

(10) The Seafarers Welfare Fund Society shall account for all such receipts in its books and maintain separate records for amounts received under this rule.

24. Welfare fund contributions for ships other than Indian ships. — (1) Welfare Fund Contribution shall be payable to the Seafarers Welfare Fund Society in respect of all ships other than Indian ships, for all seafarers, other than trainees, engaged on such ship.

(2) The contributions in sub-rule (1) shall be made by the licenced recruitment and placement service.

(3) Such contribution shall be payable at the rate of six hundred rupees per seafarer per month, or such other rate as the Central Government may, by notification, specify from time to time.

(4) The contributions referred to in sub-rule (1) shall be remitted to the Seafarers Welfare Fund Society on a quarterly basis, by electronic transfer, within fifteen days of the last day of the preceding quarter.

(5) The welfare fund contribution amount mentioned in the sub-rule (3) shall be subject to revision by the Director-General.

(6) The revision referred to in sub-rule (5) may be carried out once in every three years:

Provided that the amount so revised shall not exceed twenty-five per cent of the contribution referred to in sub-rule (3).

(7) Seafarers Welfare Fund Society shall issue a receipt for every payment received in Form-XI.

Chapter VIII**Miscellaneous**

25. Fees. —The fees to be levied under these rules shall be as specified in Schedule I, or such other fees as the Central Government may, by notification, specify.

26. Penalties. — Any contravention of these rules or failure to comply with any requirement thereof shall be liable to penalties as specified in the Act.

27. Appeal. — (1) Any person aggrieved by any order made under these rules by the Issuing Authority, may, within a period of sixty days of the receipt of such order, prefer an appeal to the Principal Officer.

(2) The Principal Officer, shall, after providing an opportunity to be heard, may pass an order within thirty days of the appeal.

(3) Every appeal made under this rule shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

Schedule I

(See rules 7 (1), 9 (1), 18, 21 and 25)

Fees

Sr. no.	Particulars	Amount in Indian rupees
1.	Application for fresh licence	300,000 (payable to Director-General in addition to the inspecting authority fees)
2.	Application for renewal: a) Where the application for renewal is submitted within three to six months prior to the date of expiry of the current licence. b) Where the application for renewal is submitted any time after three months prior to the date of expiry of the current licence until the expiry of the current licence.	a) 100,000 (payable to Director-General in addition to the inspecting authority fees) b) 150,000 (payable to Director-General in addition to the inspecting authority fees)
3.	Initial Inspection	40,000 (payable to Director-General in addition to the inspecting authority fees)
4.	Annual Inspection	40,000 (payable to Director-General in addition to the inspecting authority fees)
5.	Renewal Inspection	40,000 (payable to Director-General in addition to the inspecting authority fees)
6.	Application for change of place of business	100,000 (payable to Director-General in addition to the inspecting authority fees)
7.	Application for change of Name of Recruitment and Placement Service.	100,000

Schedule II

[See rule 2 (1) (h)]

Jurisdiction of state-wise Issuing Authority

Name of Office	Jurisdiction area covering following States and UT.
Shipping office, Mumbai	Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir and Ladakh, Daman & Diu, Chandigarh
Shipping Office, Chennai	Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Puducherry, Lakshadweep
Shipping Office, Kolkata	All Northeast States, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha and Andaman & Nicobar Islands.

Schedule III

[See rule 7 (6)]

Content of presentation before the Maritime Labour Compliance Board

A. The presentation must include, but shall not be limited to, the following aspects:

1. Company Profile and Promoter Credentials

- (a) Corporate structure, ownership details, affiliations (if any)
- (b) Background of promoters and key personnel

2. Business Plan and Recruitment Vision

- (a) Vision, Mission, and business objectives
- (b) Proposed seafarer strength and segment (officers, ratings, cadets)
- (c) Manning strategy and client base

3. Operational Infrastructure and Staffing

- (a) Office infrastructure, organizational chart
- (b) Technical and administrative staff qualification
- (c) Crew management systems and grievance Redressal tools

4. Legal and Regulatory Preparedness

- (a) Knowledge of the Merchant Shipping Act, Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2026 and Maritime Labour Convention, 2006
- (b) Internal procedures for contract signing, placement, medical, insurance
- (c) Sample SOPs and contractual templates

5. Ethical Recruitment Standards

- (a) Anti-fraud safeguards, awareness mechanisms
- (b) Zero-tolerance for touts or illegal agents
- (c) Transparency with seafarers at all stages
- (d) Disclosure of any criminal proceeding against the company or its directors.

6. Seafarer Welfare and Risk Mitigation

- (a) Health cover, emergency, repatriation procedures
- (b) Counselling, helplines, orientation support

7. CSR and Industry Contribution (Optional)

(a) Initiatives for education, awareness, or maritime welfare

B. The presentation shall be submitted in .ppt or .pptx format to the designated Director-General Crew branch email at least 3 working days before the scheduled meeting.

C. Non-submission or absence of top management during the presentation shall lead to deferral of approval.

Schedule IV

[See rules 7(3), 4(9), 13(3)]

Inspection checklist

ChecklistforInspectionofRecruitmentandPlacementServices (New/Annual/Renewal/Special Inspection)

1. Recruitmentandplacementservicecontactdetails.

Nameofrecruitmentandplacement service with CIN (if applicable)	
RPSLicence Number	
Date of Issue (DOI)	
Date of Expiry (DOE)	
Numberofseafarersemployed (presently onboard)	
(1) RegisteredOffice Address (withPAN/TANoftheRPS) (2) Addressof Principal place of business(operatingoffice)ifnot same asRegistered Office) (3) Addressofbranchoffices,ifany	
Contactdetailsofeachoffice Telephone(Landline): Fax(ifany) E-mail(withofficialemaildomain): Website: (the website of the company/principalshallalsobe accepted)	
DateofInspection	
Location(s)ofInspection	

Details of Top management , with DIN, where applicable (as declared by the RPS in the Form III)	
Details of authorised signatories with DIN, where applicable	
Declaration if any person of the Top management of RPS: Currently holds a stake in any other RPS/ Maritime Training Institute / Maritime related company; Currently holds a top management position in any other RPS / Maritime Training Institute / Maritime related company, for information	Details, if any, of any person in Top management currently a stake or top management position in any other RPS or Maritime Training Institute. <i>(for record purposes only)</i>
Does the RPS has a documented system to conduct RPS activity? Note: <i>The documented system shall either be part of DOC/DDOC SMS or an independently certified system to the ISO 9000 standards (In case of ISO certification allowance shall be given to the time required for the certification.)</i>	
Name of the contact person (First Point of contact) with email and mobile number	This should be the same as RPS Profile contact details
Designation of contact person	

2. Detailsoftheinspectionteam.

	Name	Signature
InspectionTeamLeader		
InspectionTeamVerifier		

Note: The 3 answer boxes to the right side of each key question are: Yes box (Y), No box (N) and Not Applicable box (NA)]
(Figures in brackets indicate MS Rule reference numbers)

3. OperationalStandard

3.1	Is the address given in the licence or application for a licence the same as the current registered address or the principal place of business?	Y	N	NA
Comments:				
3.2	Is a copy of the RPS licence granted under these rules prominently displayed at the premises of the RPS at a place accessible to the public (and on the website as applicable)	Y	N	NA
Comments: To be verified at Annual/Renewal inspection only				
3.3	Are adequate resources and office infrastructure available for the RPS to provide its services? Note: Verify (a) Registered lease/rent agreements (min. 5 years validity for new applicants or 3 years with extendable clause for another 3 years), to be valid for min. 12 months at the time of the annual / renewal audit OR Ownership documents (b) whether the following infrastructure/facilities are commensurate and adequate with the number of seafarers under the engagement of the RPS:	Y	N	NA

	(i) Washroom facilities (ii) Waiting area for seafarers (iii) Working space for RPS employees (c) Space for storage of records unless maintained only in digital format) (d) Backup power supply, where required: (i) is commercial activity permitted in the premises as per the local/municipal laws? (ii) Communication and IT infrastructure as applicable Note: Minimum carpet area (or commensurate built-up area) for RPS Activities to be as follows: <table><tr><td>NO OF SEAFARER PERSON BOARD</td><td>MIN. CARPET AREA IN SQFT</td></tr><tr><td>(i) Upto 50</td><td>150</td></tr><tr><td>(ii) 51 to 250</td><td>200</td></tr><tr><td>(iii) 251 to 500</td><td>400</td></tr><tr><td>(iv) 501 to 750</td><td>500</td></tr><tr><td>(v) 751 to 1000</td><td>1000</td></tr><tr><td>(vi) above 1000</td><td>2000</td></tr></table> Note: The carpet area is applicable for new RPS licence applications or any change in address or any enhancement of the Bank guarantee.	NO OF SEAFARER PERSON BOARD	MIN. CARPET AREA IN SQFT	(i) Upto 50	150	(ii) 51 to 250	200	(iii) 251 to 500	400	(iv) 501 to 750	500	(v) 751 to 1000	1000	(vi) above 1000	2000			
NO OF SEAFARER PERSON BOARD	MIN. CARPET AREA IN SQFT																	
(i) Upto 50	150																	
(ii) 51 to 250	200																	
(iii) 251 to 500	400																	
(iv) 501 to 750	500																	
(v) 751 to 1000	1000																	
(vi) above 1000	2000																	
Comments:																		
3.4	Does the RPS maintain an up-to-date record of all seafarers recruited or placed through it? Note: 1. <i>Database would include but not be limited to name, address, age, skill, experience, address of next of kin, etc.</i> 2. <i>The cancelled e-Migrate records of seafarers should be verified for a minimum of 10 seafarers, or 10% of the total, whichever is higher, if the total number exceeds 10.</i>	Y	N	NA														
Comments:																		
3.5	Does the service provider for recruitment and placement of seafarers (RPS) ensure that its management and staff are adequately trained and have relevant knowledge of the maritime industry to the extent of the duties assigned to them in this context? Responsibility, authority, and inter-relation of all the personnel working with RPS	Y	N	NA														

	who manage, perform, and verify the work are defined.			
	Note 1:			
	Verify the statement of qualification and experience of the management personnel in Form III of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules 2026.			
	Note 2:			
	4. The licenced recruitment and placement service shall have at least one person in its top management who, for the purposes of these rules, has previously held or currently holds a valid management-level STCW Certificate, which has not been cancelled or withdrawn, and which is issued or recognised or accepted by the Director-General. 5. Provided that, where the licenced recruitment and placement service is engaged exclusively in recruitment and placement of seafarers for the cruise sector, relevant and verifiable industry experience at the management level may be accepted in lieu of a Certificate of Competency. 6. Provided further that, where the licenced recruitment and placement service is engaged exclusively in recruitment and placement for dredgers, fishing vessels, or any other class of vessels, an equivalent grade or certificate appropriate to such vessels shall be accepted for the purposes of this rule.			
Comments:				
3.6	Does the RPS ensure that seafarers recruited or placed by it are informed of their rights and duties under their employment agreements, before or in the process of their engagement and that proper arrangements are made for such seafarers to examine their employment agreements before and after they are signed on and also that they are provided with copies of the said agreements?	Y	N	NA
3.7	Is there a record of RPS having explained to the seafarer of insurance cover available under MLC clauses 2.5 and 4.2 and how to invoke the same if required?			
Comments:				
3.8	Does the RPS ensure that seafarers recruited or placed by them are qualified and hold the documents necessary for the jobs concerned and the seafarer's employment agreements are in accordance with the applicable flag state laws and regulations and any collective bargaining agreements that form part of their employment agreements?	Y	N	NA
3.9	Does the RPS verify the authenticity of the certificates/			

	documents issued to these seafarers? Documentary evidence to be maintained/provided.			
	Note:			
	<i>Where a certificate/document issued by the Indian administration is found to be not authentic, the RPS shall report the case, and such fraudulently obtained certificates to be reported to Director-General.</i>			
	Note:			
	<i>Issuance of an MLC certificate is proof of seafarers service conditions complying with flag State requirements.</i>			
Comments:				
3.10	Does the RPS provider ensure that the shipowner has the means to protect such seafarers from being stranded/abandoned/detained or arrested in a port, provisions for the repatriation of a stranded/abandoned seafarer/ or seafarer who is detained or arrested along with his maintenance and required emergency medical assistance before repatriation, and the transportation of the mortal remains of a seafarer in the event of his death?	Y	N	NA
	Note:			
	<i>1. The RPS shall also furnish a bank guarantee to cover the cost of repatriation of abandoned seafarer or stranded seafarer or a seafarer who is detained or arrested and for any monetary loss including the outstanding wages & other entitlements due from the ship owner to the seafarer as a result of the failure of RPS or the relevant ship owner to meet its obligation under the SEA or relevant CBA.</i> <i>2. RPS to check the authenticity of the insurance certificate before uploading on the ship profile / documents along with the proof of verification on DGS e-governance module.</i> <i>3. The inspector should check and verify the authenticity of 10 ships insurance certificates with the highest seafarers employed by the RPS in their list.</i>			
Comments:				
3.11	Review of abandonment cases, if any. (a) Any unattended case for more than 2 weeks? (b) Any case of unpaid wages for more than 2 months? (c) Any case of seafarers not repatriated for more than 2 months after abandonment without a valid reason?			
Comments:				
3.12	Is the Bank Guarantee valid and commensurate with the number of jobs?	Y	N	NA
	Note: <i>check the validity period of the Bank Guarantee and should be obtained from scheduled banks only. The number of seafarers on board at a given time should be commensurate to the BG.</i>			
Comments:				

3.13	Does the RPS have a procedure to examine promptly and adequately and respond to any complaint concerning its activities and inform the Director-General about any unresolved complaint?	Y	N	N A
	1. Total no of complaints received since last inspection? 2. Were the complaints resolved as per the directives of the administration and the company's policy? 3. List of unresolved complaints with reasons. Note: <i>Complaints not resolved for more than 3 months are not tenable/acceptable.</i>			
Comments				
3.14	Is there an established system of protection by way of a bank guarantee to compensate seafarers for any monetary loss that they may incur as a result of the failure of RPS and the relevant Ship Owner?	Y	N	N A
	Verify Bank Guarantee provided by the RPS and the certificates of Financial Security issued by P&I club towards 2.5 and 4.2 of MLC. Note – <i>The inspector should check and verify the authenticity of the insurance certificates for the 10 ships employing the highest number of seafarers, as listed by the RPS. If the total number of ships is less than 10, the documents for all ships must be verified.</i>			
Comments:				
3.15	Is there a procedure or policy to ensure that no means, mechanism, or lists are used to prevent or deter seafarers from gaining employment for which they are competent and qualified?	Y	N	N A
	Note:			
	<i>The recruitment should be carried out without any discriminatory policy or bias based on race, colour, gender, religion, political opinion, national extraction or social origin. However, any distinction, exclusion or preference in respect of a job based on the inherent requirements thereof shall not be deemed to be discrimination</i>			
Comments:				
3.16	Does the RPS have a documented policy stating that no fees or other charges are borne directly or indirectly, in whole or in part, by the seafarers , other than the cost to the seafarers in obtaining medical certificates, seafarer's book, and passport or other similar travel documents?	Y	N	N A
	Note: 1. <i>The cost of visas, charges for pre-sign on and post-sign off medical examination, wherever required, seafarers' welfare fees, welfare fund contribution and fees for repatriation or replacement of seafarers are to be borne by ship owner.</i> 2. <i>The documented policy shall be displayed on the notice board in the office of RPS and on RPS</i>			

	<i>website where available.</i>			
Comments:				
3.17	Does the RPS have a documented policy stating that any incident on-board causing injury (excluding minor injuries) or death, disappearance, loss overboard, or homicide by or of an Indian national is reported to the Director-General at the earliest?	Y	N	N A
	Note: <i>Not later than 24 hours of receipt of such information. However, Next of Kin is also to be informed immediately. Please also see 3.31</i>			
Comments:				
3.18	Does the RPS have a procedure to develop and maintain operational practices to verify the seafarer's medical examination, identity documents, and other items as may be required for seafarers to gain employment?	Y	N	N A
Comments				
3.19	Does the RPS have a documented policy to maintain, with due regard to the right to privacy and the need to protect the confidentiality, full, and complete records/data of the seafarers covered by their system (including the collection, storage, combination, and communication of such data to third parties)?	Y	N	N A
	Note:			
	<i>Data include but are not limited to-</i> <i>(a) these seafarers' qualification;</i> <i>(b) record of employment;</i> <i>(c) personal data relevant to employment & related to next-of-kin (NoK);</i> <i>(d) medical data relevant to employment.</i>			
	<i>RPS may store such data in hard copies or digital format (or a combination of both). The electronic data must have provision to protect against cyber security threats.</i>			
Comments:				
3.20	Does the RPS maintain an up-to-date list of ships, owned by the ship owners for which RPS provides seafarers and ensure there are reasonable means by which the ships can be contacted in an emergency at all hours?	Y	N	N A
	Note: <i>Full correspondence details (with contact number, email, PIC, etc.) of the employer/shipowner maintained in respect of each ship. (The address with the PO Box number alone will not be accepted.)</i>			
Comments:				
3.21	Does the RPS have a documented policy/procedure in place stating that seafarers will not be subjected to exploitation by their personnel regarding offers of engagement on particular ships or by particular companies on a quid pro quo basis?	Y	N	N A
Comments:				

3.22	Does the RPS have a documented policy/procedure in place to prevent the opportunities for exploitation of seafarers arising from the issue of joining advance or any other financial transaction between shipowner and seafarer handled by RPS?	Y	N	N A
Comments:				
3.23	Does the RPS clearly publicise the cost, if any, that the seafarer is expected to bear in the recruitment process? The documented policy on cost shall be displayed on the RPS website, where available, and on the notice board in the office.	Y	N	N A
Comments:				
3.25	Does the RPS have a documented policy/procedure in place to ensure that the seafarers are informed of any particular condition applicable to the jobs for which they are to be engaged and of the particular shipowner's policies relating to their employment? Note: <i>This should be carried out before the seafarers join the ship. Seafarers should be briefed by a senior officer of RPS (preferably by any person in top management) about the Ship Owners/ DOC Managers and Trading Pattern of the ship and records maintained.</i>	Y	N	N A
Comments:				
3.26	Does the RPS have a documented policy in place to ensure that the procedures followed while dealing with cases of incompetence or indiscipline is consistent with the principles of natural justice, the law of the land, and practice and wherever applicable with CBA?	Y	N	N A
Comments:				
3.27	Does the RPS have a documented policy/procedure in place to ensure that all mandatory certificates and documents are submitted for employment are up-to-date and have not been fraudulently obtained and employment references are verified?	Y	N	N A
Comments:				
3.28	Does the RPS have a documented policy /procedure in place to ensure that requests for information or advice by families of seafarers are dealt with promptly and sympathetically and at no cost to the seafarer?	Y	N	N A
Comments:				
3.29	Does the RPS have a documented policy/procedure in place to	Y	N	N

	verify that the labour conditions on ships where seafarers are placed conform with applicable CBA concluded between the ship owner and representative seafarer's organisation?			A
	Note: <i>Verify the DMLC Part I, DMLC Part II, and MLC certificates for at least 10% of the total ships in the profile, with a minimum of 10 ships if the total number exceeds 10.</i>			
Comments:				
3.30	Does the RPS ensure that the terms and conditions of employment of seafarers comply with applicable laws or regulations or CBA? Notes: <i>(i) RPS to ensure that the rights of these seafarers are duly protected and that they enter into valid seafarer's employment contract.</i> <i>(ii) Agreement between RPS and the employer or the ship owner to be sighted and should be valid.</i> <i>(iii) Has the RPS submitted (uploaded) the copy of the applicable SEA/CBA to the Administration?</i>	Y	N	N A
Comments:				
3.31	Does the RPS have a documented policy to ensure that the ship owner without undue delay pays death compensation or disability compensation?	Y	N	N A
	1. Check if the process of compensation settlement has been initiated by the RPS/ship owner in cases of death and disability. 2. Check if the compensation is unsettled for more than 3 months or 12 months, as the case may be, without valid reasons. (For Ex: indispute or sub-judice)			
Comments:				
3.32	Does the RPS mention the number, date of issue, and the validity of the licence in all their advertisements published, and the licence number is mentioned in all its communications?	Y	N	N A
Comments:				
3.33	Does the RPS have a procedure to notify the Director of the annual and renewal inspections of the RPS licence as per the specified requirement?	Y	N	N A
Comments:				
3.34	Is the RPS in compliance with the online reporting requirements prescribed under DGSC Circular 2 of 2024 and 25 of 2024 issued by the Directorate General of Maritime Administration?	Y	N	N A
Comments:				
3.35	Has the RPS sent Form X to Issuing Authority or any other person authorised by the Director-General in online mode or paper form of any incident on-board causing injury (excluding minor injuries) or death/disappearance, loss overboard, or homicide by or of an Indian national within	Y	N	N A

	24 hours of receiving such information?			
	Note: <i>Failure to furnish the report within a specified period may lead to suspension or withdrawal of the registration granted, or licence issued.</i>			
Comments:				
3.36	Has the RPS made a welfare fund contribution towards Seafarers Welfare Fund Society, Mumbai on a quarterly basis?	Y	N	N A
	Note:			
	<i>Check records of contribution for every seafarer excluding trainees, engaged onboard foreign flag ships. Rupees Six hundred (INR 600) per seafarer per month based on the actual period of the employment of the seafarer. The contributions shall be remitted on a quarterly basis within fifteen days from the last date of the previous quarter to the Seafarers Welfare Fund Society, by electronic transfer, or as per the applicable regulations issued from time to time.</i>			
Comments:				
3.37	Does the RPS ensure that contributions to SWFS by Indian Ship Owners for every seafarer engaged by them on-board Indian flag ships are made on a quarterly basis?	Y	N	N A
	Note:			
	<i>Check records of contribution for every seafarer excluding trainees, engaged onboard Indian flag ships. Rupees five hundred (INR 500) per seafarer per month based on the actual period of the employment of seafarer for Foreign-going ships and two hundred fifty (INR 250) per seafarer per month based on the actual period of the employment of seafarer for Coastal vessels. The contribution shall be paid by the fifteenth of the month following the end of every quarter.</i>			
Comments:				
3.38	Does the RPS ensure that, in respect of engagement of every seafarer, a fee for repatriation or replacement of seafarers at the rate of fifty rupees or such other rate as the Central Government may, by notification, specify from time to time, for the purpose of repatriation of seafarers?	Y	N	N A
	Note:			
	<i>Check records of contribution for every seafarer including trainees, engaged onboard all ships Rupees Fifty (INR 50) per seafarer. The contributions shall be remitted to the Government account, by electronic transfer, or as per the applicable regulations issued from time to time.</i>			
Comments:				
3.39	Is it ensured that a seafarer with whom an employment contract is entered into is placed on board the ship? (Provided that the seafarer is ready and willing to do so and reports to the ship as directed.)	Y	N	NA
	Note:			

	<i>verify records with DGS website Form I entries.</i> <i>(The DGS website Form I is different from the Form I appended to these rules)</i>			
Comments:				
3.40	Is there a grievance redressal mechanism available to enable complaints to be made by seafarers against the RPS or against the ship owner? (Check the record of grievance or complaints). 1. Is the grievance/complaint unattended for more than 2 weeks? 2. Is the grievance/complaint unresolved for more than 2 months without a valid reason?	Y	N	NA
Comments:				
3.41	Is there a record maintained related to charges for travel documents, medical examinations, etc. collected from seafarers?	Y	N	NA
Comments:				
3.42	Is there a procedure for the collection, storage, and processing of seafarers' personal data? Note: <i>Full particulars of seafarers including Name, Address, Age, Skill, Experience, Phone or Mobile No. and Address of Next-of-Kin</i>	Y	N	NA
Comments:				
3.43	Copy of employment contract of all seafarers available for last five (5) years. Note: <i>The RPS is required to maintain a copy of the signed SEA only where the SEA is entered between the seafarer and the shipowner/employer.</i>	Y	N	NA
Comments:				

3.44	Agreement /MOUs/Contracts between RPS and the employer or the ship owner sighted? Note: <i>1. The Agreements should be valid.</i> <i>2. Detail of the employer/ship owner maintained in respect of each ship. The address and contact details should be proper, not merely a P.O. Box number.</i>	Y	N	NA
Comments:				
3.45	Are the following records, as applicable, related to recruitment maintained for a minimum retention period of 5 years: Copies of all advertisements issued, interview call letters, correspondence with applicants, copies of appointment letters etc. as applicable.	Y	N	NA
Comments:				
3.46	Are records of claims and compensations made related to injury or death of seafarers maintained? a. Is there any case of injury/death unattended for more than 2 weeks? b. Is there a case of compensation pending for more than 3 months or 12 months, as the case may be, from the time of the accident without valid reasons? (In dispute or sub-judice) Note: <i>Record of claims for compensation for injury or details of the death of seafarers along with the detail of Next of Kin of the seafarer, passport number, country of employment, nature of injury or death, date of accident, name, and address of the employer and details of compensation paid.</i>	Y	N	NA
Comments:				
3.47	Does the RPS ensure that all ships on which seafarers are recruited and placed are covered by the P & I insurance? In addition, the copies of the certificates of Financial Security under clauses 2.5 and 4.2 of MLC are available with the RPS agent. Note - <i>The inspector should check and verify the authenticity of the insurance certificates for the 10 ships employing the highest number of seafarers, as</i>	Y	N	NA

	<i>listed by the RPS. If the total number of ships is less than 10, the documents for all ships must be verified.</i>			
Comments:				
3.48	Are there any complaints pending in respect of seafarers recruited? Note: <i>Complaints made by a seafarer 36 months after his/her sign-off from the ship in question need not be entertained except in cases of jailed / detention / arrest / capture / abandonment, etc.</i>	Y	N	NA
Comments:				
3.49	Is there any criminal or civil case registered/pending in any court in relation to the provisions of the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers Rules) 2026 against the RPS? Note: <i>1. Any such case to be declared by the RPS at the time of the commencement of the inspection.</i> <i>2. RPS licence should not be recommended to such new RPS.</i>	Y	N	NA
Comments:				

3.50	Record of medical data (of seafarers) relevant to employment maintained	Y	N	NA
Comments:				
3.51	Is there a documented procedure stating that the RPS shall provide a letter of intent which also indicates the name and address of the owner "of RPS" as given in Form V for managing their ships to enable Hospitality Crew to obtain Indian CDC to work on a cruise ship and the same is being implemented?	Y	N	NA
Comments:				
3.52	Verify the records of the seafarers' contracts if the compensation to seafarers on premature discharge is paid by the ship owners / Master / RPS in accordance with the provisions of Section 79 of MS Act 2025.	Y	N	NA
3.53	Verify the records such as. 1. Details of any seafarers engaged over and above the Life-Saving Appliances (LSA) capacity of the ship. 2. Number of applications submitted for correction of Sign-On/Sign-Off records during the last one year. 3. Number of ships abandoned during the last one year, along with the cumulative total. 4. Number of deaths of seafarers reported in the last one year, along with the cumulative total. 5. Number of cases pending for compensation settlement. 6. Whether suicide coverage is included under the collective bargaining agreement / Seafarers' Employment Agreement (SEA) by the RPS / Shipowner. 7. Whether any police complaints have been filed against the RPS, its directors, or operators during the last one year, along with the cumulative number of such complaints relevant to the RPS activities. 8. Whether any of the persons in the top management own or is associated with another RPS. If yes, provide the name and details. 9. Number of any pending online / offline grievances pending for closure. 10. Whether the RPS has operated under the same name through any institution approved by a foreign flag administration. If yes, confirm whether the requisite approval or intimation has been obtained from the Directorate General of Shipping (DGS).	Y	N	NA
Comments:				

3.54	AdditionalRemarks,if any in accordance with applicable RPS Rules / DGS Executive orders / circulars:	Y	N	NA
Comments:				

Name:

Seal/signature:

Schedule V
[See rule 8(10)]
Inspection checklist

ChecklistforInspectionfor Enhancement of Bank Guarantee

Sr No	Verification points	Comments by Issuing Authority
1	1.1 Total number of Grievances received hard copies / Email / Online portal/PMOPG /CPGRAM /Helpdesk / social media.... 1.2 Number of Grievances resolved 1.3 Number of Grievances pending..... 1.4The complete status of all Grievances is to be submitted to the DGS Crew branch.	
2	Any complaint filed by seafarers online / offline against the licenced RPS, if yes, the status of all complaints resolved / closed.	
3	The total number of seafarers engaged within last one year from the date of receipt of the Enhancement of Bank Guarantee. The random verification of their status whether these seafarers are on board the ships for which contract opened or have been transferred to different ships or any other status of the seafarers.	
4	The verification of all their ships and MLC Certificate and financial security certificates to be verified for their genuineness. If anyone certificate is not valid or not genuine, necessary action may be initiated against the company as per application provisions of the Merchant Shipping Act 2025 and applicable merchant shipping rules.	
5	The verification of all ships LSA Capacity and their engagement by the licenced RPS.	

Sr No	Verification points	Comments by Issuing Authority
6	The verification of all ships (IMO Number) registered with the licenced RPS with IMO / ILO database for their abandonment. In case, if any ship found to be listed on IMO/ IMO database, necessary action will be initiated against the company as per Merchant Shipping Notice 11 of 2024.	
7	The verification of any seafarers abandoned /stranded/jailed to be ascertained and action taken report from the company to be obtained. Bank Guarantee shall not be enhanced if any of their seafarers are abandoned /imprisoned/arrested and no support from the licenced RPS is provided.	
8	Verification of all death / missing cases on board and whether the procedures for reporting and appropriate action for reporting the incident to DG Comm Center been complied or not. Any outstanding compensation due for any death / missing cases on board any of their ship. The complete list of all death/missing and their compensation to be submitted.	
9	Any other verification based on DGS Circulars / MS Notices and DGS Orders, if any	
10	Verification that there are no pending sign-off entries to be updated beyond permission time.	

FORM I

[See rule 7(1)]

APPLICATION FOR RECRUITMENT AND PLACEMENT SERVICE LICENCE

1.	Name.	
2.	Status [person/company/institution/agency or other organisation].	
3.	Date of incorporation.	
4.	Name, designation and address of the authorised signatories.	
5	Name, designation, address of the top management holding Certificate of Competency under these rules.	
5.	Telephone Number.	
6.	Fax Number.	
7.	Website and e-mail id.	

8.	(a) Registered office address (b) Address of all branches (c) Principal Place of Business Operational Address	
9.	Whether the office is owned/leased/hired.	
10.	Residential address of the authorised signatories.	
11.	Name and address of all the Bankers.	
12.	Permanent Account Number along with a copy of the previous year's income-tax returns.	
13.	Details of business during the last five years (enclose profit and loss account and balance sheet).	
14.	Experience, if any, in recruitment of seafarer, number of years.	
15.	Whether any authorised signatory has been associated with any recruiting agency in the past, if so, give details.	
16.	If previously in the business of recruitment of seafarer's total number of seafarers deployed year-wise, country-wise and category-wise during the last five years.	
17.	Whether there are any complaints pending in respect of seafarers recruited, if so, details thereof.	
18.	Whether there is any criminal or civil case pending in any court. If so, details thereof	
19.	Whether any authorised signatory has been convicted. If so, details thereof.	
20.	Total number of agreements or contracts with employer with details thereof.	
21.	Number of seafarers proposed to be recruited.	
22.	Other Shipping related activities carried out, if any.	

UNDERTAKING

I/we do hereby undertake that whatever stated above is true and correct to the best of my/our knowledge, information and belief and in the event of any of the information furnished above is found false or incorrect in any respect, I/we shall abide by any decision of the Issuing Authority.

Date:

Name and designation of the applicant
Signature and Seal

List of enclosures: -

- (i) Prescribed fee
- (ii) Agreement with the ship owner or employer
- (iii) Copy of certificate of incorporation
- (iv) Profit and Loss account and Balance Sheet for last five years
- (v) Certificate of the assets and liabilities by a chartered accountant
- (vi) List of ships, with IMO Nos. on which seafarers are recruited or proposed to be recruited against each Form-V.
- (vii) List of authorised signatories, with specimen signatures and contact details with e-mail address.
- (viii) Filled in Form-II, III and IV.

FORM II

[See rule 7(1)(i)]

DECLARATION

I/We, person/company/institution/agency or other organisation ofhereby declare that:

1. I/We shall conduct the business at
2. I/We shall carry out the business during the period of the validity of the licence.
3. I/We shall conduct the business under signatures and seal of the authorized signatories.
4. I/We shall not transfer the licence.
5. I/We shall display the licence at a place accessible to public in the registered office and the attested copy of the licence at a place accessible to public in the branch office.
6. I/We shall not charge any fee from the seafarers for the purpose of recruitment or for providing employment.
7. I/We shall maintain the following permanent records at the Registered Office as under:
 - (a) a register of name and address of seafarers.
 - (b) a register containing charges for travel documents, medical examination etc. collected from the seafarers;
 - (c) bio-data (giving full particulars including name, address, age, skill, experience and address of next of kin) of each seafarer recruited;
 - (d) copies of employment contract of each seafarer; originals of all MoUs/contracts/agreements with the employers;
 - (e) all documents relating to recruitment of seafarers, including office copies of all advertisements issued, letters of interviews, where applicable, and correspondence with applicants, original award sheet leading to the selection, names and addresses of persons involved in the selection process, copies of letters of appointments and other particulars, etc, for a minimum period of five years.

(f) a register of claims for compensation for injury or details of death of the seafarers along with the details of the next of kin of the seafarer, passport number, country of employment, nature of injury or death, as the case may be, date of accident, name and address of the employer and the details of compensation paid.

(g) such other records as may be required to be maintained.

8. I/We shall not charge the repatriation expenses from the seafarer in the event of his being stranded and also will not charge for transportation of the mortal remains of a dead seafarer.
9. I/We shall ensure that all seafarers recruited are in possession of valid documents for the job for which they are recruited (i.e. Passport, Visa, CDC, CoC required qualification certificates etc.).
10. I/We shall ensure that all ships on which seafarers are recruited and placed are covered adequately by the Protection and Indemnity insurance.
11. I/We shall ensure that all seafarers recruited and placed with the ship owners are adequately covered by insurance coverage.
12. I/We ensure that all the personnel in our office are adequately trained and have relevant knowledge of the maritime industry.
13. I/We declare that I/we are not convicted under any law and that no criminal proceedings are pending.
14. I/We declared that I/we have valid contracts with all ship owners/agents for whom we recruit seafarers.
15. I/We shall ensure that all rights of seafarers will be duly protected and all seafarers shall enter into valid contracts of employment and sign article of agreements.
16. I/we shall abide by the provisions of the Merchant Shipping (Recruitment and Placement Service) Rules as amended from time to time.
17. I/We declare that to the best of my/our knowledge, belief and information the above particulars are correct and complete. I/We am/are aware that any false statement or information shall render the application cancelled.

Signature of

person/company/institution/agency or another organisation

Name, designation and seal

Date,

FORM III

[See rule 7(1)(i)]

DECLARATION OF QUALIFICATION AND EXPERIENCE OF TOP MANAGEMENT PERSONNEL

Name of the recruitment and placement service

Address

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1. Designation _____ Name _____

Responsibilities _____

Educational Qualification _____

Professional Qualification _____

Experience _____

Mobile No _____

Email ID (Company Domain ID) _____

2. Designation _____ Name _____

Responsibilities _____

Educational Qualification _____

Professional Qualification _____

Experience _____

Mobile No _____

Email ID (Company Domain ID) _____

3. Designation _____ Name _____

Responsibilities _____

Educational Qualification _____

Professional Qualification _____

Experience _____

Mobile No _____

Email ID (Company Domain ID) _____

4. Designation _____ Name _____

Responsibilities _____

Educational Qualification _____

Professional Qualification _____

Experience _____

Mobile No _____

Email ID (Company Domain ID) _____

5. Designation _____ Name _____

Responsibilities _____

Educational Qualification _____

Professional Qualification _____

Experience _____

Mobile No _____

Email ID (Company Domain ID) _____

Directorate General of Shipping approval number (For medical practitioner)

UNDERTAKING

I/We, person/company/institution/agency or other organisation, hereby declare that this Form contains the accurate and true details of the Top Management as defined in clause (u) of sub-rule (1) of rule 2, of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2026 and no person in the Top Management has been excluded from this declaration.

Signature of
person/company/institution/agency or other organisation,
Name, designation and seal.

Date:

FORM IV

[See rule 7(1)(ii)]

AGREEMENT BETWEEN RECRUITMENT AND PLACEMENT SERVICE AND THE EMPLOYER/SHIPOWNER

Name, Address, Tel. No., Fax No., E-mail and full style of the Employer/Shipowner:

Name, Address, Tel. No., Fax No., E-mail and full style of the recruitment and placement service:

Name, Address, Tel. No., Fax No., E-mail and full style of the authorized signatory of recruitment and placement service:

Name, Address, Tel. No., Fax No., E-mail and full style of the authorized signatory of Employer/Shipowner:

Whereas, as the above-named recruitment and placement service has entered into an agreement on this day of

with the above-named employer/ship owner for the recruitment and placement of seafarers on board for and on behalf of the employer as agent only,

The employer/ship owner undertakes to repatriate the seafarers so employed if stranded at any place as well as to look after his reasonable maintenance and to transport the mortal remains of the seafarer, if permissible under local laws, in case of death.

Signed, stamped and delivered:

(For and on behalf of the employer/ship owner) Signed, stamped and delivered:

(For and on behalf of the recruitment and placement service provider)

FORM V

[See rule 7(8)]

RECRUITMENT AND PLACEMENT SERVICE LICENCE

7. Name of the recruitment and placement service provider-----

8. Address of the registered office.....

9. Address of branch.....

10. Address of Principal place of Business -----

11. Status (person/company/institution/ agency or other organisation.).....

12. Licence number

This is to certify that thehas presented the requisite documents and has complied with the procedures prescribed under Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2026, as amended.

Subject to the conditions referred to in the rules, and unless the licence is suspended or withdrawn in writing, this licence is valid fromto.....

Date:

Director,

Signature of the

Shipping Office

Stamp and Seal

FORM VI

[See rule 9(1)]

FORM OF APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE

1.	Name	
2.	Status [person/company/institution/agency or other organisation]	
3.	Licence number and date of issue	
4.	Validity period of licence	
5.	Total number of seafarers employed during the period of licence – category wise Pending complaints of seafarers recruited and if so, details thereof.	
6.	Whether there is any criminal or civil case pending in any court. If so, details thereof.	
7.	Whether any authorized signatory has been convicted. If so, details thereof.	
8.	Details of change of registered office / branch	
9.	Total number of agreement / contracts signed with employers. Please give the details Flag-wise and ownership-wise.	

UNDERTAKING

I/we do hereby undertake that whatever is stated above is true and correct to the best of my/our knowledge, information and belief and in the event of any of the information furnished above is found false or incorrect in any respect, I/we shall abide by any decision of the Issuing Authority.

Date:

Name and designation of the
applicant Signature and
Seal

List of enclosures: -

- i. Prescribed fee
- ii. Agreement with the ship owner / employer
- iii. Copy of Certificate of Incorporation
- iv. Profit and Loss Account and Balance Sheet for last five years
- v. Certificate of the assets and liabilities by a Chartered Accountant.

FORM VII

[See rule 11(1)]

SHOW CAUSE NOTICE TO RECRUITMENT AND PLACEMENT SERVICE PROVIDER

To,

Sir,

Whereasa recruitment and placement service has been issued a licence bearing numberfor the periodtoby the Issuing Authority under Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2026.

2. Whereashas failed to comply with the following provisions for the following reasons:

(a)

(b)

(c)

(d)

3. Now, therefore, the Issuing Authority under sub-rule (1) of rule 11 of the Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2026, hereby directs to show cause within a period of thirty (30) days from the date of issue of this notice, as to why the recruitment and placement service Licence bearing No.should not be suspended/withdrawn.

Yours
faithfully,

Place:

Director,
Shipping Office

[Mumbai/Chennai/Kolkata]

FORM VIII

[See rule 13(1)]

RELEASE/RETURN OF BANK GUARANTEE

Date: _____

To,

The Director

Sub: Request for Release/Return of Bank Guarantee. – Reg

Sir,

We hereby submit request for return of Bank Guarantee along with following documents as per checklist:

- (i) Indemnity / Undertaking on non-judicial stamp paper stating that no Death, disability and wages are pending on behalf of licenced RPS and will be responsible for any further claim with regard to wages, death and death / disability compensation / other liabilities of seafarer recruited by the licenced RPS. The name, address and contact details, PAN of the Authorised Signatory / Directors to be mentioned in the Undertaking.
- (ii) Details of Authorised Signatory / Directors for communication in future.
- (iii) 'No Objection Certificate' from Seafarer's Provident Fund Organisation, Mumbai and Seafarer's Welfare Fund Society, Mumbai to be obtained and copy thereof to be submitted to this office.
- (iv) Declaration with reference to any pending grievances relating to wages and death / disability compensation as on date.
- (v) Present details of seafarers' onboard ships and their repatriation to India.

Thanking you.

Yours faithfully,

(Authorised Signatory (name with seal))

Contact details and Email ID

Form IX*[See rule 21(d)]***SEAFARER'S EMPLOYMENT AGREEMENT**

This agreement is made between master/ ship owner(s)/ licenced recruitment and placement service or their representative on their behalf and a seafarer as detailed below in accordance with collective bargaining agreement-sector wise, indicated below and the Merchant Shipping Act 2025 & regulation 2.1 of Maritime Labour Convention 2006 and as per contractual clauses/terms and conditions stated overleaf:

(*Delete/add as applicable)

1. Applicable recognised collective bargaining agreement: 1.1 NMB (India), 1.2 INSA-MUI, 1.3 ICCSA/NUSI, 1.4 ICCSA/MUI, 1.5 Others Note: i) Tick applicable CBA ii) specify CBA details for 'Others' iii) Also refer clause	
2. Details of ship owner/employer	4. Details of seafarers
2.1 Name	4.1 Name
2.2 Full postal address & e-mail:	4.2 Nationality / INDoS No.:
	4.3 Date-of-birth and place of birth (Town and Country):
	4.4 Full postal address & e-mail:
2.3 Telephone / Fax no.:	
2.4 Contact person:	
3. Details of master/ship owner/ licenced recruitment and placement service or their representative on their behalf (wherever applicable):	4.5 Telephone / Fax no.:
3.1 Name:	4.6 CDC No. / Place of issue:
3.2 RPS Licence No.:	
3.3 Valid till:	

3.4 Postal address & e-mail:	4.7 CDC date of issue / expiry:
	4.8 Passport No. / Place of issue:
	4.9 Passport date of issue / expiry:
	5. Details of next-of-kin:
3.5 Telephone / Fax no.:	5.1 Name / Relationship:
3.6 Contact person:	5.2 Postal address & e-mail:
6. Details of ship:	
6.1 Name:	
6.2 Port of registry / trade:	
6.3 Official / IMO No.:	5.3 Telephone / Fax No.:
6.4 G.T. / Power (Kw / BHP):	7. Details of certificates:
6.5 No. of crew including master:	7.1 CoC grade / No.:
8. Details of employment:	7.2 Place of issue:
8.1 Engagement period: Months:	
8.2 Amount of monthly wages on board:	7.3 Date of issue / expiry:
8.3 Rate of monthly PF / gratuity:	7.4 Limitations (if any):
8.4 Paid annual leave/month (Minimum of 2.5 days): Days	
8.5 Hours of rest (minimum of 77 hours per week):Hours	

9. Amount of monthly allotment:	
10. Means of payment of wages: 10.1 Method of payment: 10.2 Weekly/Monthly intervals (<i>tick as applicable</i>): 10.3 [<i>insert number</i>] day of each week/month (<i>tick as applicable</i>)	
11. Capacity / Rank employed:	12. Details of special ship type endorsement (if applicable):
13. Reason(s) for signing off:	12.1 Type of endorsement: 12.2 Level / Certificate no.: 12.3 Place of issue:
14. Paid off on datePlace.....	16. Notice of termination of employment (<i>see clause 6</i>): employment commencement date: employment end date: Note: The employment shall continue for the period as mentioned above unless it is terminated for justified reasons in advance of this point or the ship is at sea at that time in which event it will continue until its arrival in port at which point it will terminate.
15. Repatriation Details (<i>see clause 8</i>): 5.1 On medical grounds 5.2 Others (See clause 8)	
17. Health and social security benefits (<i>see clause 7</i>):	
18. PF contribution (SPFO) due	19. Gratuity (SWFS) due
20. Details of medical certificate: 20.1 Issue Authority: 20.2 Approval No: 20.3 Issue Date:	

20.4 Expiry Date:

21. Additional Terms & Conditions of employment (where applicable):

Any additional employment condition shall not be less than that provided in the recognised collective bargaining agreement)

22. Signature with place and date & stamp of master or ship owner or licenced recruitment and placement serviceor their representative on their behalf:

23. Signature of seafarer with place and date:

2. Signed-on ashore:

Place:

.....

Date:

.....

2. Signed-off ashore:

Place:

.....

Date:

.....

2. Signed-on ashore:

Place:

.....

Date:

.....

2. Signed-off from ship:

Place:

.....

Date:

.....

3. Signed-on ship:

Place:

.....

Date:

.....

4. Signed-off ashore:

Place:

.....

Date:

.....

24. Signature with place and date & stamp of master:

1. Signed-on ship: Place: Date:	2. Signed-off from ship: Place: Date:
Remarks (if any) with signature, place and date by seafarer / master/ ship owner/ licenced recruitment and placement service or their representative on their behalf/ shipping master / SPFO / SWFS:	

Contractual clauses/terms and conditions:

1. This agreement between master/ shipowner/ licenced recruitment and placement service or their representative on their behalf and the seafarer is subject to the condition that the seafarer will serve in capacity/rank on wages as indicated with other terms of employment and service conditions as per the relevant collective bargaining agreement sector-wise, or Seafarer's Employment Agreement, as applicable.
2. This agreement shall be for serving in the area and for the period as agreed in applicable collective bargaining agreement or Seafarer's Employment Agreement, as applicable, from the date of the first signature in this agreement.
3. It is hereby agreed that the said seafarer will be supplied with provisions as applicable collective bargaining agreement or Seafarer's Employment Agreement, as applicable, or in accordance with Maritime Labour Convention, 2006 provisions, whichever is higher.
4. It is agreed that the rights, duties and the terms of employment of seafarers and the obligations of ship owners shall be governed by applicable collective bargaining agreement / Seafarer's Employment Agreement/ the provisions of ILO Conventions ratified by the flag State, relevant Acts of the flag State, the rules/notices/circulars/orders made thereunder.
5. Master should keep on board a copy of applicable collective bargaining agreement / Seafarer's Employment Agreement/ the provisions of ILO Conventions ratified by the flag State, relevant Acts of the flag State, the rules/notices/circulars/orders made thereunder. These documents should be made available to seafarers working on the ship, their lawful representatives and other legitimate authorities for their perusal at any reasonable time.
6. In relation to an individual seafarer, this agreement may be terminated –
 - (a) by mutual consent.
 - (b) if medical evidence indicates that a seafarer is incapable of continuing to perform his duties by reason of illness or injury;
 - (c) if a seafarer is absent without leave at a time fixed for sailing; or
 - (d) if in the opinion of the master, continued employment of the seafarer is likely to endanger the ship or any person on board.
7. Health and social security benefits include payment by the shipowner of any costs incurred in respect of any sickness or injury occurring between the date on which they commenced duty on board a ship and the date on which they are deemed to have been duly repatriated. This also includes payments that shipowners are required to make in respect of the death or long-term disability of a seafarer due to an occupational injury, illness or hazard occurring while the seafarer is serving under a Seafarer's Employment Agreement or arising from their employment under such agreement, and compensation in case of loss or foundering of the ship.

8. The repatriation of the seafarers shall be at no cost to seafarers, on conditions mentioned in clause 15.1 of the Seafarer's Employment Agreement. The provision under 'Others' include:
- (a) where the Seafarers' Employment Agreement expires;
 - (b) when the Seafarers' Employment Agreement is terminated, -
 - (i) by the ship owner; or
 - (ii) by the seafarer, for justified reasons, as per collective bargaining agreement or Seafarers' Employment Agreement;
 - (c) when the seafarers are no longer able to carry out their duties under their employment agreement or cannot be expected to carry them out in the specific circumstances, as per collective bargaining agreement or Seafarers' Employment Agreement;
 - (d) on compassionate grounds as per collective bargaining agreement or Seafarer's Employment Agreement;
 - (e) in case of abandoned seafarer.
9. The period of employment in the Seafarer's Employment Agreement shall be deemed extended if it has been extended on mutual agreement between the seafarer and the ship owner.
10. There shall be a system-generated copy and five sets of Seafarer's Employment Agreement shall be printed and signed (physically and electronically) in original for distribution as follows:
- (a) Set 1: Master on board
 - (b) Set 2: Seafarer
 - (c) Set 3: Ship owner/Employer/Licensed recruitment and placement service/their representative on behalf of ship owner
 - (d) Set 4 and 5: Retained with Ship owner/employer/Licensed recruitment and placement service/their Representative until the set 3 (duly signed by master and seafarer) has been received by the employer/RPS after the seafarer has been signed off from the ship.

Note: A copy of Set 3 shall be submitted to SPFO, SWFS and Shipping Office along with the payment of SPF and Welfare fund.

FORM X

[See rule 21(k)]

REPORT OF INCIDENT ONBOARD THE SHIP CAUSING INJURY (EXCLUDING MINOR INJURIES), DISAPPEARANCE, DEATH, LOSS OVERBOARD OR HOMICIDE BY OR OF AN INDIAN SEAFARER

(TO BE SUBMITTED WITHIN TWENTY-FOUR HOURS OF RECEIPT OF INFORMATION)

1. Name of seafarer
2. Sex
3. Age
4. Date of Birth
5. Continuous Discharge Certificate (CDC) Number
6. Certificate of Competency (CoC) details, where applicable
7. Date and Time of Incident
8. Indos No.
7. Next-of-kin details
 - (a) Name

- (b) Relationship
 - (c) Address, Tel.No. and E-mail/Fax
8. Nature of accident / incident including damages / casualties suffered
(use additional sheet if required)
9. Details of ship involved in marine casualty / incident
- (a) Name of Ship and International Maritime Organization (IMO)Number.
 - (b) Tonnage
 - (c) Location of ship
 - (d) Flag
 - (e) Coastal state(s) involved
 - (f) Name of Protection and Indemnity(P&I) Club
 - (g) Name of Captain
 - (h) Details of owners
10. Details of recruitment and placement service in India
- (a) Name
 - (b) Address, Tel. No. and Email / Fax address
 - (c) Licence No.
11. Details of Assistance given to the seafarer
12. Insurance Coverage of the seafarer

Place:

Date:

Name and
Designation of
Authorised
Signatory
Signature and Seal

FORM XI

[See rule 24(7)]

Receipt for Welfare Fund Contribution

1. Name and Address of Payer: _____
2. Amount Paid: ₹ _____ (in words: _____)
3. Due Date of Payment: _____
4. Actual Date of Payment: _____
5. Quarterly period for which contribution made: _____
6. Number of seafarers engaged on ships other than Indian ships: _____

(Seal of Seafarer Welfare Fund Society)

Name: _____**Designation:** _____**Date:** _____

[F. No. SY-19014/197/2025-MG-Part(4)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.